समसामयिकी

मार्च - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. आईटी अधिनियम की धारा 66A
4. आरटीआई का विरोध करते हुए राजनीतिक दल
6. ट्विटर संवाद
6. स्पेक्ट्रम की नीलामी
6. चुनाव सुधार
8. राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन
9. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2015 संसद द्वारा पारित
9. फार्मा जन समाधान योजना
9. अटल नवाचार मिशन (एआईम)
9. मूल्य स्थिरीकरण कोष
10. ऊर्जा संगम 2015 - भारत का वैश्विक हाइड्रोकार्बन शिखर सम्मेलन
10. पशु वध और मांस पर प्रतिबंध
11. अधिकरणों की संवैधानिकता
12. सुप्रीम कोर्ट ने जाटों के लिए कोटा को ख़ारिज किया
13. ऊपरी सदनों के लिए राष्ट्रीय नीति
13. भारत की बेटी (INDIA'S DAUGHTER): क्या प्रतिबंध जायज़ है?
15. अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न
16. केरल पर्यटन ने जर्मनी में गोल्डन गेट पुरस्कार जीता
16. एनपीसीआई ने 150 लाख डीबीटी खातों को आधार के साथ जोड़ा
17. प्रधानमंत्री ने 'टीम इंडिया' के लिए 2022 तक प्राप्त किये जाने वाले 13 लक्ष्य निर्धारित किये
17. कोयला मामले में, सीबीआई अदालत ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ,सम्मन जारी किया
17. कोयला, खनन बिल संसद द्वारा पारित
18. नीति पोर्टल (POLICY PORTAL)

अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

21. भारत और मॉरीशस संबंध:
22. भारत और सेशल्स सम्बन्ध:
23. प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा
24. सार्क यात्रा:
25. जापान के विरोध से, भारत - अमेरिकी सौदे में ,रुकावट
25. आईएईए, परमाणु विनियमन में अधिक स्वायत्तता को भारत की जरूरत मानता है
26. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, एल -1 बी वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया
26. भारत और हिंद महासागर: समुद्री व्यापार एवं सभ्यताओं के बीच, सम्बद्धता के, पुनर्नवीकरण पर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
27. एलजीबीटी के हित के खिलाफ भारत का वोट
28. ली कुआन यू: सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री का निधन
28. भारत और क़तर संबंध
29. यमन संकट
30. ऑपरेशन राहत
30. बारूदी सुरंग प्रतिबन्ध संधि (MINE BAN TREATY)
30. ईरान और विश्व शक्तियों के बीच ,परमाणु समझौता
31. चीन ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की
31. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के सदस्य देशो की संख्या में बढोतरी
32. चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' पहल
32. इजराइल चुनाव:
33. भारत की अफगान दुविधा

अर्थव्यवस्था

35. नया मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता
37. आईएमएफ द्वारा भारत की वृद्धि दर अनुमान में बढ़ोत्तरी
37. रेलवे द्वारा जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर
37. प्राथमिकता आधारित ऋण(प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग)
38. आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती
39. 1 रुपये के नोट का विमोचन
39. ट्रेन टिकटों के लिए गो इंडिया स्मार्ट कार्ड
39. स्वर्ण धातु खाता योजना
40. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुमान
41. रुपे डेबिट कार्ड

सामाजिक एंव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

42. बालिका शिक्षा में वृद्धि के लिए डिजिटल लैंगिक एटलस
43. मुस्लिम आरक्षण
43. भारत के अतृप्तमातृत्वअधिकार (INDIA' SNREALISE MATERNITY ENTITLEMENT)

VISION IAS

44. रोटा वायरस टीका
45. भारत में वृद्धों का दु:ख-दर्द
45. सामाजिक क्षेत्रक के संबंध में बजट की मुख्य बातें
47. आपकी बेटी- हमारी बेटी योजना

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

48. कार्बन सिंक के रुप में महासागर:-
48. वनोन्मूलन का मानसून पर प्रभाव
49. हरितावरण तथा भू द्रव्यमान खोते सुन्दरवन
49. सिंधुदुर्ग तट पर तीन नई प्रवाल भित्ति पायी गई
49. पश्चिम बंगाल में गैंडे की जनसंख्या में वृद्धि
49. तितलियों की नई प्रजातियाँ
49. समुद्र स्तर में वृद्धि का सुंदरवन क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रभाव
50. प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एण्ड टाइमली इंप्लीमेंटेशन)
50. अवाक्स (AIRBORNE WARNING AND CONTROL SYSTEMS अर्थात AWACS)
50. शोध हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (छात्रवृत्ति) में इजाफा
50. मानव भ्रूणों का जीनीय संपादन (GENETICALLY EDITING HUMAN EMBRYOS)
51. तीन त्वरित सहायता जहाज नौसेना में सम्मिलित (IMMEDIATE SUPPORT VESSELS (ISVS) COMMISSIONED IN NAVY) :भारतीय नौसेना को तात्कालिक रूप से सशक्त करने के लिए आई .एस .वी के
51. अस्त्र प्रक्षेपास्त्र (ASTRA MISSILE)
51. स्टोक होम जल पुरुस्कार :(STOCKHOLM WATER PRIZE)
51. डिजीलाकर (DIGILOCKER):
52. सेवा वितरण में सुधार के लिए रेलवे द्वारा उठाये गए कदम
53. राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण और प्रमाणन कार्यक्रम (NERPAP)
53. वायु सेना और नौसेना के लिए रक्षा खरीद
53. बल्ब का पुनर्चक्रण
54. अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा स्टेशन
54. जापान ने वायरलेस तरीके से बिजली प्रेषित की
55. जलवायु परिवर्तन मुद्दे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आते
55. रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनायें
56. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन
57. गाँधी शांति पुरूस्कार
57. स्टीफन हॉकिंग
57. शनि ग्रह के चंद्रमा - टाइटन पर स्थित तैलीय समुद्र में रोबोट पनडुब्बी
57. मार्श ऑर्बिटर मिशन (MOM) अर्थात मंगलयान
57. 'मैत्री' परियोजना

आईटी अधिनियम की धारा 66A

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी एक्ट) की धारा 66A को "अस्पष्ट" और "असंवैधानिक" करार देते हुए निरस्त कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय:

- न्यायालय ने अपने निर्णय में यह विचार अभिव्यक्त किया है कि संविधान द्वारा प्रदान किये गए मूल्यों में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वोपरि स्थान है।
- न्यायालय के अनुसार इस अधिकार की प्रकृति को समझने के लिये चर्चा करना, समर्थन करना और भड़काना, इन तीन अवधारणाओं के बीच के मूलभूत अंतर को समझना आवश्यक है। किसी विषय विशेष पर चर्चा करना अथवा किसी विचार का समर्थन करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का मर्मबिंदु है जब किसी विषय पर चर्चा अथवा उसके समर्थन में व्यक्त किये गए विचार इतने अधिक आक्रामक हो जाये कि ये लोगों को भड़काने का कार्य करने लगे तथा इससे लोकव्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो, केवल तभी इन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

विश्लेषण:

- यह फैसला कई कारणों से सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक मील का पत्थर है ।उच्चतम न्यायाल के द्वारा, संसद द्वारा पारित इस सेंसरशिप कानून को अवैधानिक घोषित करना न्यायालय के द्वारा दिए गए चरम निर्णयों का उल्लेखनीय उदाहरण है।
- धारा 66(A) को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने न केवल भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति को नया जीवन दिया है बल्कि गंभीरता और उत्साह के साथ भारतीयों हेतु एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन भी किया है।
- नि:संदेह न्यायालय यह भी मानता है कि आलोचना करने का अधिकार, और असहमति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अंग हैं।

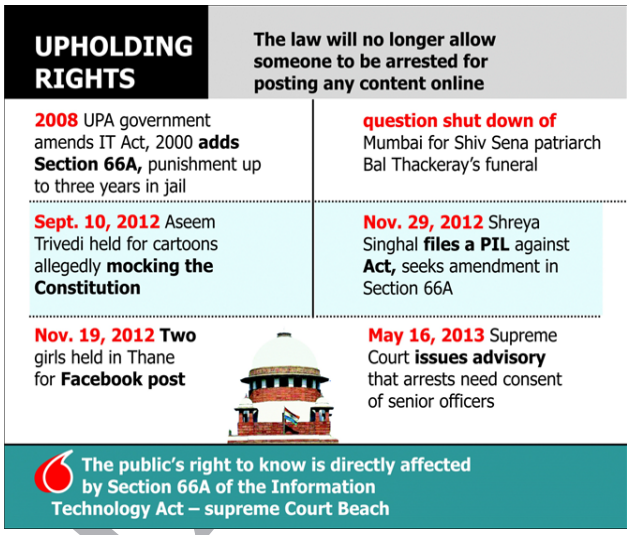

धारा 66(A) का क्या कहना है:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सन् 2000 ई. में पारित किया गया था, लेकिन इसमें इस विवादास्पद खंड को शामिल नहीं किया गया था। सन् 2008 में कानून में एक संशोधन कर धारा 66(A) जोड़ा गया था।

धारा 66 (A) में लिखा है:

"कोई भी व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी संचार उपकरण के माध्यम से:

(क) ऐसी कोई भी सूचना भेजता है जो मोटे तौर पर आक्रामक या डराने धमकाने वाली है|

(ख) किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी संचार उपकरण के माध्यम से प्रेषित ऐसी कोई भी सूचना, जिसे झुंझलाहट, असुविधा, खतरे, बाधा, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने के उद्देश्य से भेजा गया है, जबकि वह जानता है कि यह सूचना गलत है।

(ग) ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल सन्देश ,जिसे झुंझलाहट या असुविधा या धोखा देने के लिए या इस तरह के संदेशों की उत्पत्ति के स्रोत के बारे में , प्राप्तकर्ता को गुमराह करने के उद्देश्य से भेजा गया है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जिसमें कारावास की अवधि तीन साल तक हो सकती है।"

सुचना का अधिकार का विरोध करते हुए राजनीतिक दल

भारत में छह राष्ट्रीय दलों ने 2013 के केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश का पालन करने से इन्कार कर दिया

है, जिसमें इन राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया था। उन्होंने केन्द्रीय सुचना आयोग द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किये जाने के आदेश के खिलाफ अपील द्वारा कानूनी उपायों तक की मांग नहीं की है।

हाल ही में दिए गए सीआईसी के आदेश:

- 16 मार्च 2015 को केन्द्रीय सुचना आयोग ने एक और आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि वह इस मामले में असहाय है और वह ना तो अपने 2013 के आदेश के अनुपालन हेतु बाध्य करेगा और न ही कोई जुर्माना लगाएगा।
- इससे पहले, केन्द्रीय सुचना आयोग ने तीन बार सम्बंधित राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया था । राजनीतिक दलों ने इन सभी को नजरंदाज कर दिया।
- नए आदेश में कहा गया है कि केवल जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है और चूँकि राजनीतिक दलों ने उनकी नियुक्ति नहीं की है इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
- सुचना का अधिकार के इतिहास में गैर अनुपालन के विशिष्ट मामले में, केन्द्रीय सुचना आयोग ने सुझाव दिया है कि आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार या न्यायालय द्वारा की जायेगी।

याचिकाकर्ता की, केन्द्रीय सुचना आयोग आदेश के प्रति प्रतिक्रिया:

- याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय सुचना आयोग के इस कदम को "अपनी जिम्मेदारियों का परित्याग" करना करार दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार - "सीआईसी एक अदालत नहीं है बल्कि एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था है। केन्द्रीय सुचना आयोग से कानून की भावना का पालन करने की अपेक्षा की जाती है न कि कानून के शब्दों का । निश्चित रूप से , यह अधिनियम सूचना आयोग को जुर्माना लगाने और मुआवजे की शक्ति प्रदान करता है।"
- "केन्द्रीय सुचना आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों पर जुर्माना न लगाये जाने के निर्णय के ,दूरगामी व खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सूचना आयोग यदि किसी संस्था को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करता है और ऐसी इकाईयाँ आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो वे अपने पक्ष में राजनीतिक दलों से सम्बंधित मामलों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकती है । इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, अंतिम शक्ति किसी और के पास ना होकर, केन्द्रीय सुचना आयोग अर्थात् सूचना आयोग के पास ही होनी चाहिए"।

वर्तमान स्थितियों में संभव समाधान

- पहला समाधान राजनीतिक दलों से सम्बंधित है ,जिन्हें और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। वे या तो केन्द्रीय सुचना आयोग के आदेश का पालन करें अथवा इसे अदालत में चुनौती देने का साहस रखें। स्थिति यह है कि कोई दल आदेश को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है ,जबकि जनमत इसके विरुद्ध है । दूसरा उपाय, स्पष्ट शक्तियों के साथ केन्द्रीय सुचना आयोग को सशक्त बनाया जाय । यह भी महत्वपूर्ण है कि आदेश को न मानने के परिणामों को, स्पष्ट करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाय ।
- तीसरा उपाय यह है कि, न्यायालय इस संबंध में निर्णय दें।
- संसद के लिए ऐसा संशोधन पास करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें सूचना के अधिकार से केवल राजनीतिक दलों को छूट दी जाये जबकि अन्य संस्थान इसमें शामिल हों। यह भी एक पुराने निर्णय जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर चुनावी उम्मीदवारों को अपनी संपत्तियों का खुलासा करने से छूट प्रदान की गयी थी, की तरह खारिज कर दिया जायेगा।

पारदर्शिता की आवश्यकता

- राजनीतिक दलों का यह दावा है कि उनकी आंतरिक बैठकों के कार्यवृत्त को, जिसमें टिकट वितरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर तथा दल की रणनीति पर चर्चा होती है, को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, केवल बहाने हैं।
- हालांकि, असली डर उनको उनके वित्त के खुलासे का है। वे अपनी घोषित आय में से 75 फीसदी से अधिक दान के स्रोत का खुलासा नहीं करते हैं।
- हम अपने लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं।यदि राजनीतिक दल स्वयं को प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि के सम्बन्ध में प्रत्येक सूचना साझा करने के लिए तैयार हो जाते है,तो निश्चय ही लोकतंत्र के आधार स्तम्भ ,राजनीतिक दलों में पारदर्शिता आयेगी । अंततोगत्वा लोकतंत्र में जनशक्ति अपनी निर्णायक भूमिक निभाने में सक्षम हो पायेगी ।
- वास्तविक लोकतंत्र में राजनीतिक दल मात्र वोट एकत्रित करने वाली मशीन नहीं हैं, बल्कि ऐसे जीवंत लोकतांत्रिक संगठन हैं जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

13 जून का केन्द्रीय सुचना आयोग का आदेश और विरोधी तर्क

सचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी साझा करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा इन्कार किये जाने पर केन्द्रीय सुचना आयोग ने सुभाष अग्रवाल द्वारा की गई अपील के प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट किया है कि ये सभी सार्वजनिक निकाय हैं । अत: छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मांगी गयी सूचना देनी चाहिए। तर्क-

1. वे भूमि, आवास और कर छूट जैसे राज्य के मूल्यवान संसाधनों

VISION IAS

के प्राप्तकर्ता है जो सार्वजनिक कोष से प्रदान की जाने वाली पर्याप्त राशि है ।

2. चुनावी समय के दौरान आल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पर नि: शुल्क एयरटाइम प्रदान किया जाता है ।

3. इसके अलावा वे जनता के लिए कार्य करते हैं, इस आधार पर उन्हें सार्वजनिक जांच के लिए खुला होना चाहिए।

4. राजनीतिक दलों को जन-प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 29(ए) के तहत तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है पुन: अनुच्छेद 102(2), 191(2) और दसवीं अनुसूची के तहत भी उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।

ट्विटर संवाद

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्विटर संवाद नाम से एक सेवा प्रारंभ की है। यह एक ऐसी सेवा है, जिसके माध्यम से लोगों को मोबाइल फोन पर संदेश के रूप में, सरकारी नेताओं और एजेंसियों द्वारा किये गए ट्वीट्स प्राप्त होंगे।
- ट्विटर संवाद, ज़िपडायल (ZipDial) द्वारा उपलब्ध कराए गए एक मंच पर आधारित है। यह भारतीय कम्पनी है जिसको हाल ही में ट्विटर द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। इस कंपनी के द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पहली भारतीय सेवा शुरू की गयी है।
- यह सेवा आपात स्थिति के दौरान उपयोग में आएगी। इसके द्वारा सरकारी एजेंसियां लाइव अपडेट, कानून-व्यवस्था अथवा सुरक्षा से सम्बंधित, तात्कालिक रूप से संवेदनशील जानकारी साझा कर सकते हैं।

स्पेक्ट्रम की नीलामी

- दूरसंचार स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी 19 दिन की सघन प्रतिस्पर्धात्मक निलामी के पश्चात् समाप्त हो गयी। इससे सरकार को 1.10 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

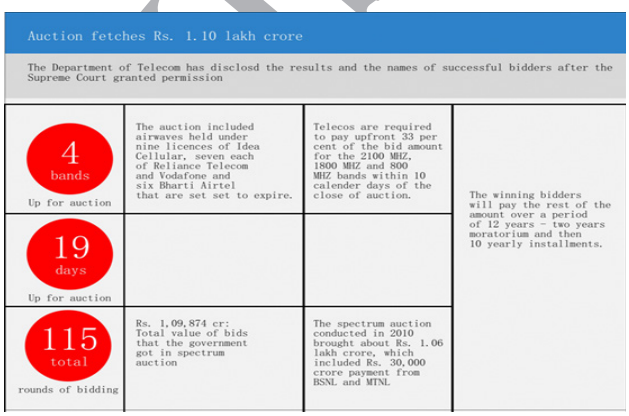

- कुल 22 टेलीकॉम क्षेत्रों में से 17 में 3G मोबाइल सेवाओं के प्रयोग के लिए, प्रीमियम 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज बैंड रपेक्ट्र मे बिक्री के लिऐ बोलियाँ लगाई गयीं।
- टेलीकॉम ऑपरेटरों को नीलामी के करीब दस कैलेंडर दिनों के भीतर 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए 25 प्रतिशत और 2100 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए 33 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करना आवश्यक है।

विश्लेषण:

- स्पेक्ट्रम की नीलामी पिछली सरकार के शून्य नुकसान सिद्धांत पर आधारित है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां अपनी स्पेक्ट्रम लागत वसूल करने के के लिए टैरिफ बढ़ा देंगी।
- उच्च नीलामी राशि होने से ,दूरसंचार ऑपरेटरों की बैलेंस शीट प्रभावित होगी और इस बात की आशंका है कि ऑपरेटर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे ,जैसा कि 3G नीलामी में हुआ था।
- 3G नीलामी 2010 में की गयी थी, जिसने सरकार को एक अप्रत्याशित लाभ दिलवाया, लेकिन इससे दूरसंचार उद्योग को एक झटका लगा जिससे पूरी तरह से उबरना अभी तक बाकी है।
- बोली लगाने के उन्मादी दौर के परिणामों को अभी तक भी महसूस किया जा रहा है। ये परिणाम उपभोक्ताओं को निम्न स्तरीय सेवाओं की आपूर्ति, ऑपरेटरों के नेटवर्क विस्तार पर निवेश में कटौती, दूरसंचार ऑपरेटरों की अस्तव्यस्त बैलेंस शीट और द बैंक ऋण की एक बड़ी बकाया राशि, के रूप में महसूस किया जा रहा है।
- यह स्पष्ट है कि सरकार की इच्छा राजस्व को अधिकतम करने और दूरसंचार ऑपरेटरों के अप्रत्याशित लाभ को रोकने की है, लेकिन इसे उद्योग और उपभोक्ताओं के लंबी अवधि के विकास हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित किया जाना चाहिए।

चुनाव सुधार

- न्यायाधीश ए.पी.शाह के नेतृत्व में भारत के विधि आयोग ने "चुनाव सुधार" विषय पर अपनी रिपोर्ट संख्या 255, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में चर्चा किये गए विभिन्न मुद्दों का सारांश निम्नलिखित है:

आम मतदाता सूची को तैयार करना और प्रयोग करना

- विधि आयोग ने संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए आम मतदाता सूची की शुरूआत हेतु, भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव का समर्थन किया है।

निर्दलीय उम्मीदवार

- विधि आयोग ने सिफारिश की है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को

चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर ऐसे उम्मीदवार अगंभीर होते हैं और ऐसे उम्मीदवार (एक ही नाम से) केवल मतदाता के लिए भ्रम की स्थिति निर्मित करने के लिए खड़े होते हैं।

- इस प्रकार जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 4 और 5 में संशोधन किया जाना चाहिए और लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति, केवल भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ धारा 11(4) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को ही दी जानी चाहिए।
- सीटों की संख्या पर प्रतिबंध जिन पर एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है
- आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) में संशोधन की सिफारिश की है, जो उम्मीदवार को किसी भी चुनाव (संसदीय, विधानसभा, द्विवार्षिक परिषद् या उप चुनाव) में दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।
- समय के व्यय और निरर्थक प्रयास चुनाव थकान, और मतदाताओं को होने वाली तकलीफ को ध्यान में रखते हुए धारा 33 (7) को संशोधित किया जाना चाहिए और उम्मीदवारों को केवल एक ही सीट से खड़ा होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सरकार प्रायोजित विज्ञापनों पर प्रतिबंध

- आयोग ने सदन/विधानसभा की समाप्ति की तारीख से छह महीने पहले सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है।
- यह सिफारिश चुनावों मे निष्पक्षता बनाए रखने के लिए की गई है;
- ये सिफारिशें, सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने के लिए, जनता के पैसे के इस्तेमाल को रोकने और सत्तारूढ़ पार्टी या उम्मीदवार को अन्य उमीद्वारो की तुलना में अनावश्यक और अनुचित लाभ न मिले ,ऐसी परिस्थितियाँ सुनिश्चत करके, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रकिया के संचालन के लिए की गयी है।

वापस बुलाने का अधिकार (Right to Recall)

- विधि आयोग किसी भी रूप में ,वापस बुलाने के अधिकार ,को प्रदान किये जानें के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह लोकतंत्र की अति को प्रेरित करेगा, निर्वाचित उम्मीदवारों की स्वतंत्रता को नजरंदाज करेगा। यह अल्पसंख्यक हितों पर ध्यान नहीं देता, इससे अस्थिरता और अराजकता बढ़ जाती है, दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, व्यवहार में लागू करने के लिए विशेष रूप से भारत में जहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (First past the post) प्रणाली है वहाँ इसे व्यवहारिक रुप प्रदान करना कठिन एंव महगा होगा ।

वोटों की गिनती के लिए कुल योग

- विधि आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की गिनती समग्र/एकीकृत तौर पर किये जाने की, भारतीय निर्वाचन आयोग की मांग का समर्थन किया है। यह प्रणाली उन क्षेत्रों में मतदाताओं के उत्पीड़न को रोकने में कारगर होगी, जिनके मतदान की प्रवृत्ति अन्य पोलिंग स्टेशन पर डाले गए मतों से निर्धारित होती है ।

NOTA और अस्वीकार करने का अधिकार

- विधि आयोग ने वर्तमान में NOTA (None of the above) सिद्धांत के विस्तार, जिसकी परिणति उम्मीदवार को अस्वीकार किये जाने के अधिकार के रूप में होनी थी, उस पर असहमति जताई है। अस्वीकार करने के अधिकार में ऐसे चुनाव को खारिज या रद्द कर दिया जाता है ,जिसमें वोटों का बहुमत NOTA विकल्प के पक्ष में है।

निर्वाचन याचिका

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक "चुनाव पीठ" की शुरूआत की जानी चाहिए, जिनके क्षेत्राधिकार में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सभी चुनाव विवाद आते हो ।
- चुनाव याचिका पेश करने के लिए प्रक्रिया को सरल और कम औपचारिकता वाला बनाया जाना चाहिए।

जनमत सर्वेक्षण

अभी चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव के प्रसारण पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित है । आयोग ने इस तरह के निषेध का विस्तार प्रिंट मीडिया के लिए भी करने की सिफारिश की है। जनमत सर्वेक्षणों के नियमन को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला इस सर्वेक्षण के संचालन संगठनों की साख के सन्दर्भ में जनता को पता होना चाहिए। दूसरा जनता के पास जनमत सर्वेक्षणों से सम्बंधित आंकड़ो को एकत्रित करने में, किन साधनों और माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जनता को पर्याप्त रूप से अवगत कराया जाए कि सार्वजनिक जनमत सर्वेक्षण पूर्वानुमान या भविष्यवाणियों की प्रकृति के हैं और इनमें त्रुटि भी संभव है। परिणामत: नयी धाराओं 126C और 126D को जनप्रतिनिधित्व कानून में शामिल किया जाना चाहिए।

VISION IAS

पेड न्यूज (paid news) और राजनीतिक विज्ञापन

आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि "खबर के लिए भुगतान करने", "खबर के लिए भुगतान प्राप्त करने" और "राजनीतिक विज्ञापन" को स्पष्ट रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में परिभाषित किया जाना चाहिए और पेड न्यूज को एक दंडात्मक अपराध घोषित किया जाना चाहिए।

भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यालय को मजबूत बनाना

- भारतीय निर्वाचन आयोग को इसके सदस्यों को हटाये जाने के मामलों में आयोग के सभी सदस्यों को बराबर संवैधानिक संरक्षण देकर; दूसरा, निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को विमर्शकारी बनाकर और तीसरा, निर्वाचन आयोग के लिए एक स्थायी व स्वतंत्र सचिवालय का निर्माण करके मजबूत बनाया जाना चाहिए ।
- संविधान के अनुच्छेद 324(5) में अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के हटाने की प्रक्रिया को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के समान बनाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।
- मुख्य चुनाव आयुक्त सहित, सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय कॉलेजियम या चयन समिति के परामर्श से किया जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या संख्यात्मक ताकत के मामले में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता); और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी हो।
- एक चुनाव आयुक्त की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, केवल उन संभावनाओं को छोड़कर जिसमें तीन सदस्यीय कॉलेजियम/समिति लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों से ऐसे आयुक्त को अयोग्य पाती है।
- भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए एक अलग स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय प्रदान करने के लिए नई उप-धारा (2A) को संविधान के अनुच्छेद 324 में जोड़ा जाना चाहिए।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

- आयोग ने, बहुलमत प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाये जाने का समर्थन नहीं किया है ।

भारत में दल-बदल विरोधी कानून

- विधि आयोग ने, संविधान की दसवीं अनुसूची में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश की है, जिसमें दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के सवाल पर फैसला करने का अधिकार , राष्ट्रपति या राज्यपाल (अध्यक्ष या सभापति के स्थान पर) के पास निहित होने की बात कही गयी है, जो भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कार्य करेगा। इससे अध्यक्ष के कार्यालय की अखंडता की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

चुनाव वित्तपोषण:

- आयोग ने चुनावों में , राज्य द्वारा वित्त पोषण की मांग का समर्थन नहीं किया है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में उपयुक्त संशोधन का सुझाव दिया है । आयोग के अनुसार किसी उम्मीदवार के चुनाव खर्च की गणना चुनावों की अधिसूचना की तिथि से लेकर परिणामों की घोषणा होने तक के समय को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए।
- आयोग ने राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम के ऐसे योगदान जो समग्र रूप से 20 करोड़ रुपये से अधिक के हैं या पार्टी के कुल योगदान का 20% हैं, जो भी कम हो, का खुलासा करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन के लिए आयोग ने प्रासंगिक चुनाव नियमों के साथ साथ आयकर अधिनियम में भी संशोधन की सिफारिश की है।
- कॉरपोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों को धन दान करने से पहले अपनी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेना भी अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों और दलों के आंतरिक लोकतंत्र का विनियमन
- आयोग की मान्यता है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, दल का संविधान, दल का संगठन, आंतरिक चुनाव, उम्मीदवार चयन, मतदान प्रक्रिया और गैर अनुपालन के कुछ मामलों में पंजीकरण रद्द करने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग को शक्ति दिया जाना चाहिए ।
- लगातार दस साल तक संसदीय या राज्य चुनाव लड़ पाने में अक्षम होने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन

- सरकार को उस समय राज्य सभा में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब भ्रष्टाचार और काले धन पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में विपक्ष द्वारा लाया गया एक संशोधन पारित कर दिया गया।

NOT THE FIRST TIME

Past in stances of govt adopting amendments to Motion of Thanks to the Presidential address in RS **IN 1980,** when Indira Gandhi was in power, does not take notice of disturbing attempts to engineer defections on a large scale in Assemblies in the states ruled by non-Congress(I) Govts.

IN 1989, during VP Singh's rule, six amendments were carried to the effect that it does not mention the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute and the measures proposed toresolve it, does not mention the steps to be taken to avert destabilizing state governments, fails to state that the government will am end the Constitution to ensure 'Right to Work' as a Fundamental Right, does not mention about the In do-Sri Lanka Accord and fails to specify government's stand on the question of life and security of Tamils and devolution of power to the North-Eastern Provinces.

IN 2001, during Atal Bihari Vajpayee's rule, an amendment was adopted as the Address did not contain the Government's decision to sell out BALCO, a PSU with a track record of continuous profit earning, to a private firm.

VISION IAS

- यह राज्य सभा के इतिहास में चौथी बार हुआ है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में संशोधन पारित किया गया।
- इससे पहले यह 30 जनवरी 1980 को जनता पार्टी के शासन के दौरान, 29 दिसंबर 1989 को वी.पी.सिंह नेतृत्व वाली नेशनल फ्रंट और तीसरी बार 12 मार्च 2001 को जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार सत्ता में हुआ था।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2015 संसद द्वारा पारित

- इस बिल का उद्देश्य ई-रिक्शा और ई-गाड़ियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1957 के दायरे में लाना है ताकि वे देश भर में सड़कों पर काम कर सके।
- सरकार ई-रिक्शा खरीदने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों के लिए तीन से चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करेगी।
- महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।

महत्व

- इससे 'भारत में बनाओ' (मेक इन इंडिया) पहल को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ये बैटरी चालित वाहन अब देश में ही निर्मित किये जा रहे हैं।
- इससे पहले इन्हें चीन से आयात किया जाता था, लेकिन अब पुणे स्थित एक कंपनी इनका निर्माण कर रही है।
- इससे प्रदूषण में कमी आएगी जो मेट्रो शहरों की एक बड़ी समस्या है।
- सरकार के अनुसार इससे देश भर में लगभग 1 करोड़ गरीब रिक्शा चालकों को फायदा होगा।

पृष्ठभूमि

- ई-रिक्शा या बैटरी चालित तिपहिया वाहन उस समय सड़कों से दूर चले गए थे, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पिछले साल जुलाई में उनके संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

फॉर्मा जन समाधान योजना

- केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा 'फॉर्मा जन समाधान' योजना का शुभारंभ किया गया।

विशेषताएं

- यह मूल्य निर्धारण और दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु इन्टरनेट आधारित प्रणाली है ।
- यह राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा बनाई गई है।
- फॉर्मा जन समाधान योजना, उपभोक्ताओं और अन्य को दवाओं के अधिक मूल्य निर्धारण, दवाओं की अनुपलब्धता या कमी, एनपीपीए द्वारा कीमतों के पूर्व अनुमोदन के बिना नई दवाओं की बिक्री और बिना किसी पर्याप्त कारण के किसी भी दवा की बिक्री के लिए आपूर्ति के इंकार से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए ऑन लाइन सुविधा प्रदान करेगी।
- एनपीपीए किसी भी शिकायत प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर इस पर कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

महत्व

- इस फॉर्मा-साक्षरता पहल से लोगों के बीच जागरूकता पैदा होगी और अवैध-विपणन (ब्लैक मार्केटिंग), नकली दवाओं, दवाओं की बढ़ी हुई लागत के खिलाफ एक शक्ति संतुलन स्थापित होगा।
- यह कदम आम आदमी को सशक्त बनाएगा।

अटल नवाचार मिशन (एआईम)

- वित्त मंत्री ने अनुसंधान और विकास हेतु नीति आयोग में 150 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ अटल नवाचार मिशन (एआईम) की घोषणा की है।
- एआईएम नवाचार, अनुसंधान और विकास और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करेगा।
- एआईएम में शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा।

मूल्य स्थिरीकरण कोष

- कृषि और सहकारिता विभाग ने एक केन्द्रीय योजना के रूप में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) को मंजूरी दी है। मूल्य स्थिरीकरण कोष को, केंद्रीकृत रूप में एक मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (PSFMC) द्वारा प्रबंधित किया जायेगा और यह राज्य के सभी प्रस्तावों को मंजूरी देगा।

उद्देश्य:

- मूल्य स्थिरीकरण कोष का उद्देश्य 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण हेतु बाजार हस्तक्षेप आधारित समर्थन प्रदान करना है।

कोष का वित्तीयन:

- मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 500 करोड़ रुपये के साथ की जाएगी।

VISION IAS

- मूल्य स्थिरीकरण कोष को कार्यशील पूंजी और मौसम प्रभावित बागवानी उत्पादों के खरीद और वितरण के नियंत्रण आधारित गतिविधियों के लिए आवश्यक व्यय हेतु किया जायेगा जिसमें ब्याज मुक्त ऋण भी शामिल है।
- अनुवर्ती निधि (Revolving fund): इस प्रयोजन के हेतु राज्य एक अनुवर्ती निधि का सृजन करेंगे जिसमें केन्द्र और राज्य बराबर (50:50) योगदान देगें।
- हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में राज्य स्तरीय कोष के लिए केन्द्र-राज्य योगदान का अनुपात 75:25 होगा। अनुवर्ती निधि को इसलिए रखा जा रहा है ताकि भविष्य की सभी हस्तक्षेप आवश्यकताओं का फैसला राज्य स्तर पर ही किया जा सके।
- केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से केंद्र की ओर से अग्रिम के साथ अपने परिक्रामी निधि (Revolving fund) की स्थापना करेंगी।

खरीद:

- इन वस्तुओं की खरीद फार्म गेट/मंडी में, किसानों या किसानों के संगठनों से सीधे की जाएगी और ये वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए अधिक उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जाएंगी।
- प्रारंभ में इस निधि का इस्तेमाल, केवल प्याज और आलू के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

विश्लेषण:

- कीमत व्यवहार को प्रभावित करने वाली सरकार की कृषि नीतियाँ तीन प्रकार की हो सकती हैं- उत्पादन नीतियाँ (उत्पादन को प्रभावित करने वाली), व्यापार नीतियाँ (आयात/निर्यात नीति घरेलू आपूर्ति को प्रभावित करती है) और प्रत्यक्ष मूल्य स्थिरीकरण नीतियाँ जैसे-बफर स्टॉक, आपात भंडार, मूल्य नियंत्रण और निजी व्यापार का निषेध।
- वर्षा से खराब होने वाले कृषि उत्पादों की कीमतों में विस्तृत रूप से उतार-चढ़ाव देखा गया है। कीमत में उतार चढ़ाव मुख्य रूप से मौसमी और स्थानिक होती है। कृषि वस्तुओं के, अंतर-राज्य आवागमन में, बाधा भी इस कीमत विभिन्नता के कारण ही है।
- मूल्य स्थिरीकरण कोष कीमतों में अस्थिरता की समस्या का समाधान करने के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मूल्य स्थिरीकरण कोष में डेटा संग्रह और प्रसार विधि को,योजना को सशक्त बनाने के लिए , एक घटक के रूप में, शामिल किया जाना चाहिए।

ऊर्जा संगम 2015 - भारत का वैश्विक हाइड्रोकार्बन शिखर सम्मेलन

- प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 'ऊर्जा संगम 2015' का उद्घाटन किया, जो भारत की ऊर्जा-सुरक्षा को आकार देने के उद्देश्य से भारत का सबसे बड़ा वैश्विक हाइड्रोकार्बन सम्मलेन है।
- ऊर्जा संगम का उद्देश्य, विश्व में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना तथा एक नया 'ऊर्जा सुरक्षा' मंच बनाकरनिवेशकों के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। वैश्विक स्तर पर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग समझौतों को मजबूत करना है।
- प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक, आयात पर निर्भरता, 77% से घटा कर 67% करने हेतु, तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सभी हितधारकों से आग्रह किया है।
- प्रधानमंत्री ने भारतीय समाज के आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्गों को, स्वेच्छा से रसोई गैस सब्सिडी त्यागने की अपील की है ताकि उसका लाभ समाज के गरीब वर्गों के साथ और अधिक व्यापक रूप से साझा किया जा सके।

पशु-वध और मांस पर प्रतिबंध

- राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने, महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक सन् 1995, पर अपनी सहमति दे दी है। यह बिल 1995 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसे लगभग 19 साल के बाद स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह बिल महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 को संशोधित करता है तथा बैल और बछड़े के वध पर रोक लगाता है। नए कानून के मुताबिक गोमांस बेचने या इसे रखने की स्थिति में 5 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यह अधिनियम पानी के भैंस (वॉटर बफौलो) के वध की अनुमति देता है, जिसका मांस आम तौर पर निम्न गुणवत्ता वाला माना जाता है। इस विधेयक के पास होने से , अपने राज्य के निवासियो के आहार की आदतों और पशुधन के बीच भेदभाव के आधार सम्बन्धी अनेक प्रश्न राज्य की शक्ति सीमा के समक्ष खड़े हुए हैं ।
- महाराष्ट्र के बाद, हाल ही में हरियाणा सरकार ने गौ-वंश संरक्षण और गौ-संवर्धन विधेयक, 2015 पारित किया है। जो गाय के वध और गौमांस की बिक्री पर रोक लगाता है। विधेयक का लक्ष्य राज्य में गायों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देना है। विधेयक में घायल, कमजोर, आवारा अलाभकर गायों की पनाह और देखभाल के प्रयोजन हेतु संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है। गौहत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी को दोषी पाये जाने पर

VISION IAS

30000 से 1 लाख रुपये जुर्माने के साथ-साथ 3 से 10 साल के लिए कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना तथा 3 से 5 साल तक का सश्रम कारावास दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से; कर्मचारी या एजेंट के माध्यम से, वध के प्रयोजन के लिए ,गाय के निर्यात को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पशु-वध पर उच्चतम न्यायालय का रूख़

- 1958 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास के नेतृत्व में पांच सदस्यीय पीठ ने बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पशु-वध पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों की संवैधानिकता का निर्धारण किया था ।
- इस न्यायिक पीठ ने निर्धारित किया कि सभी उम्र की गायों और भैंसों, दोनों के बछड़ों को छोड़कर, जो पशु दुध नहीं देते हैं उनका वध किया जा सकता है। अदालत ने ऐसे पशुओं को "अनुपयोगी" के रूप में वर्गीकृत किया और पाया कि इस तरह के "अनुपयोगी पशुओं" को जिन्दा रखना देश के पशु चारे का व्यर्थ खर्च होगा।
- गौमांस और भैंस के मांस की कीमतें मटन या बकरी के मांस की कीमतों का लगभग आधा होती है। भारत में गरीब लोगों की संख्या अधिक है ,जो शायद ही फल दूध या घी प्राप्त कर पाते हैं, यदि उन्हें गौमांस या भैंस-मांस के एक टुकड़े से भी वंचित किया जाता है, जिसे वे कभी-कभी खाद्य-पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते है तो उनके कुपोषण से ग्रस्त होने की संभावना बन सकती है। इस प्रकार कोर्ट ने निर्धारित किया कि गौमांस या भैंस का मांस भारत में लोगों के एक बड़े वर्ग के भोजन की सामग्री है।
- लेकिन 2005 में भारत के मुख्य न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय पीठ ने सन् 1958 के फैसले के विरुद्ध निर्णय दिया और गुजरात के मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को सही ठहराया चाहे गौ-वंश उपयोगी हो या अनुपयोगी।
- पीठ ने कहा कि सन् 1958 का फैसला उस युग में भोजन की कमी के सन्दर्भ में 'भारत की चिंता" से प्रभावित था । यह गांधी, विनोबा, महावीर, बुद्ध, नानक और अन्य लोगों की भूमि है। बुढ़ापे में मवेशियों को अनुपयोगी कहकर उनकी निंदा करना और उन्हें कसाईखाना भेजना एक निंदनीय और कृतघ्नता भरा कार्य होगा।
- अदालत ने इस तर्क को भी अस्वीकार किया हैं कि गोमांस व भैंस का मांस गरीब आदमी का प्रोटीन युक्त आहार था , क्योंकि गौमांस भारतीय समाज की कुल मांस की खपत पैटर्न में केवल 1.3% का ही योगदान देता है।

हाल के प्रतिबंध के विरोध में तर्क

- गौमांस गरीबों के लिए प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है।
- गौमांस की बिक्री लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है। इस तरह के प्रतिबंध से उनकी आजीविका संकट में पड़ जाने के कारण ऐसे लोगों के लिए एक पुनर्वास योजना की आवश्यकता होगी।
- प्रतिबन्ध लगाने से बेकार या वृद्ध पशु को खिलाने का अतिरिक्त बोझ उत्पन्न होगा।
- गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान में बैल को भी शामिल किये जाने की आलोचना की जा रही है ।क्यों गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? जबकि भैंसों की हत्या पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है? दोनों दूध देते हैं इस अर्थ में दोनों "पवित्र" या मां की तरह हैं। इसमें एक अंतर्निहित "नस्लवादी" पूर्वाग्रह तो नहीं है कि भैंस ज्यादातर काली तथा गाय अधिकतर सफेद होती है? या गाय समाजवादी है और इसलिए हमारे संशोधित संविधान की प्रस्तावना के साथ फिट बैठता है और भैंस एक पूंजीवादी विकार का हिस्सा है?

अधिकरणों की संवैधानिकता

- मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) से संबंधित मुख्य प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया।
- निर्णय का संबंध अध्यक्ष न्यायिक सदस्य और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के तकनीकी सदस्य की योग्यता और चयन से है। उच्च न्यायालय ने इसे यह सुझाते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया कि कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहा अधिकारी न्यायिक भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता ।
- उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने विभिन्न न्यायाधिकरणों की संवैधानिकता का सवाल उठाया है।
- भारत में अधिकरणों की वैधता, चरित्र और क्षेत्राधिकार विमर्श का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि किसी भी न्यायाधिकरण को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हीं होना चाहिए।

VISION IAS

- चंद्र कुमार (1997) और NCLT (2010) में कोर्ट ने सुझाव दिया कि न्यायाधिकरण अदालतों के अधिकार क्षेत्र की जगह ले रहे है। अतएव अदालतों की तरह उन्हें भी संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए ।
- इसका तात्पर्य है कि जब अधिकार क्षेत्र को न्यायिक अदालत से न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किया जा रहा है तो इस न्यायाधिकरण के सदस्यों को जजों के समकक्ष पद, प्रतिष्ठा और क्षमता धारण करनी चाहिए।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण (एनटीटी) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही इस फैसले में स्पष्ट रूप से न्यायाधिकरणों की संवैधानिकता का परीक्षण करने के मापदंडों को निर्धारित किया गया है।
- विधि सेंटर फॉर लीगल पालिसी रिसर्च (2014) ने ,29 विभिन्न न्यायाधिकरणों की पहचान की है, जो विभिन्न केन्द्रीय कानूनों के तहत स्थापित किये गए थे, उनमें से कई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों के साथ असंगत पाए गए।

विश्लेषण:

- न्यायपालिका और विधायिका के बीच अदालतों के अधिकरणन (Tribunalisation of courts) पर टकराव है। चूँकि अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं, अत: वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का पालन नहीं करते जिसका सामान्यत: न्यायालयों द्वारा पालन किया जाता है।
- न्यायाधिकरण विशेष विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए बनाए गये हैं। लेकिन पक्षपाती, अक्षम और अनुचित न्यायाधिकरण ,अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा इन उद्देश्यों को नुकसान अधिक पहुँचाते हैं।
- स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ो में निहित सिद्धांत और शक्तियों के विभाजन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है जो संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है।
- चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्धारित किया था कि यदि न्यायिक शक्तियों को न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया गया तो यह संविधान के मूल ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जाटों के लिए कोटा को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार द्वारा 4 मार्च 2014 को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया है जिसमें नौ राज्यों के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में, जाटों को शामिल किया गया था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

- राजनीतिक रूप से संगठित समुदायों यथा जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।
- सामाजिक पिछड़ापन ,अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने का मुख्य आधार होना चाहिए ।अत: पिक्षड़ेपन को मात्र जाति के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता ।
- राज्य को, किसी भी जाति अथवा समूह के ,स्वयं को पिछड़ा घोषित कर दिए जाने के आधार पर इस जाति अथवा समूह को पिछड़ी जाति अथवा समूह की मान्यता दिए जाने पर विचार नहीं करना चाहिए ।
- सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रांसजेंडर की तरह उभरते हुए ,सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समूहों की पहचान करने के लिए सरकार को निर्देश दिया है।
- अधिसूचना को "प्रतिगामी शासन" का एक उदाहरण करार देते हुए अदालत ने पाया कि सरकार के इस फैसले का आधार एक दशक पहले के आंकड़े हैं।
- जाति ,एक सामाजिक समूह के पिछड़ेपन के ,आसान निर्धारण के लिए एक प्रमुख तथा विशिष्ठ कारक हो सकता है, किन्तु ऐसा निर्धारण केवल जाति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।
- सर्वाधिक पात्र समूह की पहचान के लिए ,उपलब्ध साधनों और तरीको को निरंतर उन्नत और सटीक बनाना चाहिए ।अत: वर्तमान संदर्भो में राज्य को पिछड़ेपन के लिए जाति के मानक से परे भी अन्य मानकों पर ध्यान देना चाहिए ।इस निर्णय ने स्थापित किया है कि सरकार न्यायिक और कानूनी दोनों रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है।

पृष्ठभूमि

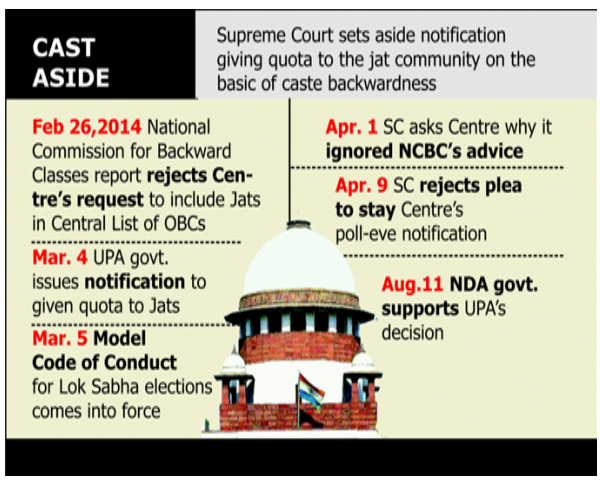

VISION IAS

4 मार्च की अधिसूचना, फरवरी 2014 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सरकार को ओबीसी सूची में जाटों को शामिल न किए जाने की सलाह देने के बाद भी जारी की गयी थी।

सरकार के तर्क

- सरकार ने तर्क दिया था कि उसे संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सार्वजनिक रोजगार में, अवसर की समानता का ध्यान रखने की शक्ति प्राप्त है।
- सरकार का कहना है कि जाटों को शामिल करना "मजबूत कारकों" पर आधारित था, जिन्हें एक दशक पहले से ही राज्य सूची में शामिल किया जा चुका था।
- यह तर्क दिया गया है कि एक समुदाय के लिए कोटा निर्धारण की शक्ति के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सलाह पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है।
- केंद्र ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की नौ राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केन्द्रीय सूची में जाटों को शामिल किये जाने वाली अधिसूचना को, खारिज किये जाने वाले 17 मार्च के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है।

ऊपरी सदनों के लिए राष्ट्रीय नीति

राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से किया जाना चाहिए । असम और राजस्थान अपने यहाँ विधान परिषद् सृजन के साथ ,विधान परिषद् वाले राज्यों के सात सदस्यीय (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश) छोटे से क्लब में शामिल होना चाहते हैं। ओडिशा में भी विधान परिषद की स्थापना के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

ऊपरी सदन के निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति

- असम और राजस्थान में, विधान परिषदों की स्थापना पर विचार करने वाली संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि केंद्र सरकार को राज्य विधायिकाओं में, ऊपरी सदन के निर्माण के लिए, एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए ताकि इसे राज्यों में कार्यशील सरकारें,द्वितीय सदन को अपनी स्वेक्षा से समाप्त न कर सके|
- इससे प्रकट होता है कि विधानपरिषदो की स्थापना के निर्णय का अत्यधिक राजनीतिकरण हो गया है।
- अस्थायी रूप से मुद्दे पर विचार किये जाने की अपेक्षा, इस विषय पर एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिए |

दूसरे सदन के लिए तर्क

- ऊपरी सदन प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
- दूसरा सदन विधायी मामलों में सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए एक उपयोगी मंच होगा।
- विभिन्न समुदायों और जातीय समूहों के सदस्यों को, जिन्हें सभा में नहीं भेजा जा सका है, को उचित प्रतिनिधित्व के लिए, परिषद में शामिल किया जा सकता है।

दूसरे सदन के विपक्ष में तर्क

- परिषद् एक पार्टी के भीतर विभिन्न राजनीतिक हितों को समायोजित करने के लिए एक ढांचे से अधिक कुछ भी नहीं है।
- विधान परिषदों की शक्ति दूसरे सदन के समकक्ष नहीं है। इसका उपयोग सत्तारूढ़ पार्टी के पराजित उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।
- वे अधिक से अधिक चार महीने के लिए कानून में देरी कर सकते हैं।
- इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा।
- हाल ही के अनुभव यह सुझाते हैं कि विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में. मुख्यमंत्री तक भी विधान परिषद् का मार्ग चुनते हैं ।

भारत की बेटी (INDIA'S DAUGHTER): क्या प्रतिबंध जायज है?

बीबीसी ने 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार पर एक वृत्तचित्र (डॉक्युमेंट्री)- 'बलात्कार जिसने स्तब्ध कर दिया' (the rape that shocked) बनाया है। इस वृत्तचित्र को देश के विभिन्न कोनों से उठ रही कई आलोचनाओं के मद्देनजर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंध के खिलाफ पक्ष और विपक्ष में निम्न तर्क हैं:

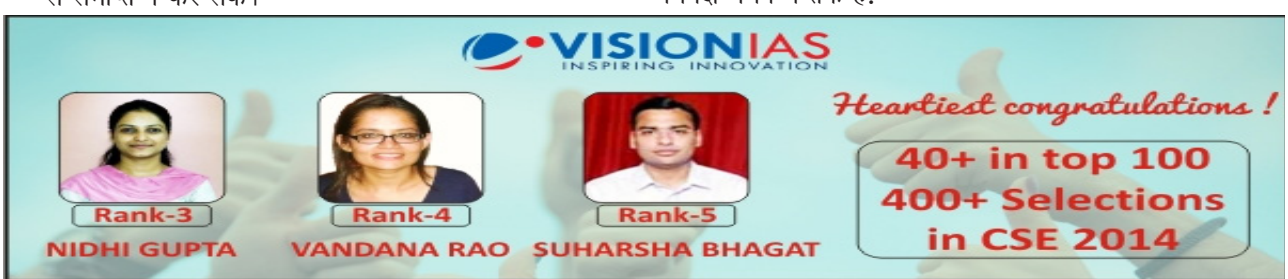

प्रतिबन्ध के पक्ष में तर्क	प्रतिबन्ध के विपक्ष में तर्क
प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन • फिल्म निर्माताओं द्वारा स्पष्ट रूप से सामाजिक अनुसंधान के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन अंततः फिल्म को BBC4 पर प्रसारित किए जाने का निर्णय ले लिया गया। इस प्रकार सामाजिक उद्देश्य के अपने घोषित उद्देश्य की बजाय इस वृत्तचित्र ने चतुराई पूर्ण ढंग से व्यावसायिक लाभ उठाया । • फिल्म निर्माताओं ने अधिकारियों के समक्ष अप्रकाशित फुटेज प्रस्तुत करने के लिए एक कानूनी उपक्रम पर हस्ताक्षर किए थे परन्तु इसका पालन नहीं किया गया। • फिल्म निर्माताओं ने एक लिखित आश्वासन दिया गया था की ,इस विषय से सम्बंधित न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने से पूर्व, वे फिल्म का सार्वजानिक रूप से प्रसारण नहीं करेंगे क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा। इसके पश्चात् भी बीबीसी और फिल्म निर्माताओं के द्वारा इसे प्रसारित किया गया ।	• प्रक्रियाओं का अनुपालन हर कदम पर किया गया था। सरकार के द्वारा जनता से यह तथ्य छुपाया गया कि वृत्त चित्र को जारी करने के लिए आरोपित शर्त कि इसका निर्माण विशुद्ध रूप से सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जायेगा, को वृत्त चित्र निर्माताओ के द्वारा शब्दावली में परिवर्तन की मांग पर ,हटा दिया गया था। ब्रिटिश फिल्म-निर्माता लेस्ली उडविन (LesleeUdwin) द्वारा समीक्षा समिति के समक्ष जांच के लिए 13 घंटे के असम्पादित (unedited) दृश्य लाये गए ,जिसमें ऐसा कुछ भी नकारात्मक नहीं पाया गया ,जो जेल सुरक्षा का उल्लंघन करता हो। • "निर्भया घटना" सार्वजनिक हित का एक स्पष्ट मुद्दा है और जांच-परीक्षण तथा पुष्टि के सभी चरणों को, उच्च न्यायालय के माध्यम से पूरा किया गया है।यह जनसमुदाय में गंभीर चर्चा का विषय रहा है। इस मुद्दे पर जहा एक ओर जनता के द्वारा व्यापक प्रदर्शन हुए हैं वहीं न्यायमूर्ति वर्मा समिति के द्वारा इस विषय की गहन जाँच की गयी है । सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अपील के स्तर पर अब विचाराधीन का मुद्दा उठाना बेतुका है।
• यह बलात्कार और हत्या का दोषी पाये गए व्यक्ति को, मीडिया का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ,जिसकी अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित और विचाराधीन है **लोक व्यवस्था के लिए खतरा** भारत की बेटी, और विशेष रूप से बलात्कारी और हत्यारे के रूप में दोषी करार दिए गए मुकेश सिंह के साथ ,साक्षात्कार के प्रसारण या प्रचार-प्रसार से, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी । उनमे भय का वातावरण व्याप्त होगा । अतः संभव है की इसके विरुद्ध जनसमुदाय में आक्रोश उतपन्न हो ,जिसकी अंतिम परिणिति व्यापक विरोध प्रदर्शनों में हो । इस रूप में यह कानून और व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन सकता है । **भारत की छवि का बदनाम होना**	• भारतीय अधिकारियों द्वारा इस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है जैसे-दोषी ठहराए गए अपराधियों के साथ साक्षात्कार, पत्रकारिता और फिल्म-निर्माण के लिए बिल्कुल नया है। • बचाव पक्ष के वकील, जिनके साक्षात्कार को वृत्तचित्र में व्यापक स्थान दिया गया है । बलात्कारी से अधिक हिंसक भाषा बोलते हैं क्या उनके इस बयान के आधार पर उनकी बार कौंसिल की सदस्यता रद्द नहीं कर दी जानी चाहिए ? क्या वे इस प्रकार का साक्षात्कार देने के संबंध में अपने मुवक्किल को सही सलाह दे सकते है? यदि गृह मंत्री मृत्यु की सजा प्राप्त, बलात्कार के दोषी अपराधी की असम्मानजनक टिप्पणी से इतना अधिक चिंतित है तो हिंसा के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग और अपराध को बढ़ावा देने के अपराध में वकील के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं दायर की गई?

VISION IAS

• यह फिल्म दानव के रूप में भारतीय पुरूष और एक विकृत समाज के रूप में भारत का झूठा चित्रण करती है। यह वह निरूपित नहीं करती जो हम हैं। इसके बजाय इसमें एक ऐसे समाज का चित्रण है ,जो एक क्रूर बलात्कार होने के विरोध में अभूतपूर्व संख्या में बाहर आया। इसमें एक ऐसे समाज का चित्रण है, जिसने वर्ष 2013 में एक आपराधिक संशोधन कानून बनाने के लिए सरकार को प्रेरित किया। हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने के लिए किए गए अपने आप के वादे को याद दिलाने के लिए '16 दिसम्बर' को 'महिलाओं के साहस' के रूप में हर साल मनाते है। • यदि यह वृत्तचित्र निष्पक्ष होता तो तो इसमें निर्भया घटना के पश्चात हमारे समाज के द्वारा व्यक्त किये गए घनघोर आक्रोश और पीड़ा को भी चित्रित करना चाहिए था । यह नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा लंदन, बोगोटा से वाशिंगटन तक सभी समाजो में व्यापक चिंता का विषय है । यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो मुश्किल है कि आप भारतीय कानूनों की प्रगतिशीलता का मूल्यांकन कर पाए, जहाँ कि पीड़ित महिला का एक बयान ही किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाये जाने के लिए पर्याप्त है । अन्य देशों में, बलात्कार की घटनाएं स्थानीय या राष्ट्रीय खबर नहीं बनती हैं। भारत में ब्रिटेन जैसे कुछ "प्रगतिशील" देशों की तुलना में सजा दिए जाने की दर अधिक है।	• यद्यपि, ऐसा क्षण हो सकता है ,जहाँ आपको लगता है कि एक खास दृश्य को अलग ढंग से किया जा सकता था, यह सम्पूर्ण रूप में, बिना ताम झाम और उपदेश के, घटनाओं का एक शक्तिशाली और प्रभावी चित्रण है ,जिसने यौन उत्पीड़न और महिला हिंसा के खिलाफ हजारों युवा लोगों को आक्रोशित करते हुए भारत को जगाया। • यह बलात्कार संस्कृति के प्रसार के पीछे ,संरचनात्मक कारणों को दर्शाने वाला एक दर्पण है। कभी कभी, शब्दों और भाषा का यथा रूप चित्रण अपराधी की सोच और मानसिकता को वास्तविक रूप में प्रकट करता है । बलात्कारी का "राक्षस", "दुष्ट", के रूप में वर्णन इस सच्चाई की अनदेखी करता है कि एक समाज के रूप में हम द्वेष और हिंसक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिल्म इसे सामने लाती है।
• सरकार ने आरोप लगाया है कि इससे "पर्यटन प्रभावित" होता है	• यह इस तरह से कहना होगा कि भारत की प्रतिष्ठा बचाओ ना कि इसकी महिलाओं की।

निष्कर्ष

पुन: एक ऐसा समूह भी है जो पूरी समझ के साथ यह मानता है कि हम इंटरनेट के युग में हैं जहाँ प्रतिबंध के बावजूद इन्टरनेट के माध्यम से ,ऐसी सामग्री तक पहुँचा जा सकता है।भले ही भारतीय संसद के द्वारा भारतीय कानूनों की अवमानना और पत्रकारिता मानदंडो के उल्लंघन के लिए वृत्तचित्र पर प्रतिबन्ध लगाया गया हों ।

जबकि दूसरे समूह का मानना है कि' भारत की बेटी 'एक शक्तिशाली, संवेदनशील और अच्छी तरह से तैयार, निर्भया और उसके प्रगतिशील कामकाजी परिवार के जीवन और सपनों का चित्रण है , जिसने पैरा मेडिकल शिक्षा दिलाने के लिए पुश्तैनी जमीन बेच दी और उसके लिए कुर्बानियां दी। केंद्रीय कथानक के आधार-चरित्र निर्भया के माता-पिता हैं जो चाहते हैं कि उसकी कहानी, उसका नाम, पता इत्यादि बताया जाये । ऐसी युवा महिलाओं और लड़कियों ने जिन्होंने सड़कों पर विरोध प्रदर्शित किया था और वे पानी की बौछारों और आंसू गैस से विचलित नहीं हुई थी । इसने भारतीय मनमानस के अंतस में निहित अवसाद को बाहर निकलने का कार्य किया है । केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि भारत की बेटी के विरोध का कोई सामाजिक, नैतिक या कानूनी आधार नहीं है और इसके लिए जितना मना किया जायेगा, उतना ही वैश्विक स्तर पर लैंगिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मुद्दों पर भारत की छवि और अधिक शर्मनाक होगी।

अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न

- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्व. शिक्षाविद् मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
- यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, और असाधारण काम के लिए नागरिकों को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 'दिसम्बर 2011में सरकार ने इस

VISION IAS

पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए इसके मानदंडों को बदल दिया था और मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर के प्रदर्शन की नयी श्रेणी को जोड़ा था । प्रधानमंत्री स्वयं इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं।

- प्राप्तकर्ता, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्राप्त करता है। इसमें कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं होता है।
- इसकी स्थापना के बाद से अब तक 45 लोगों (मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी सहित) को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2014 में, प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इससे सम्मानित किया गया था।

मदन मोहन मालवीय

- 25 दिसम्बर 1861 को जन्मे, शिक्षाविद् और प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे।
- इन्होने एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।
- मालवीय सन् 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
- हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक थे। दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के साथ भी जुड़े।
- सन् 946 में मृत्यु हो गई।

अटल बिहारी वाजपेयी

- 25 दिसंबर '1924 को जन्मे।
- लोकसभा के लिए 9 बार और राज्य सभा के लिए दो बार चुने गए।
- वर्ष 1977-79 में ,मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार में, कैबिनेट मंत्री(विदेश मंत्री) रहे।
- कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त, पहले प्रधानमंत्री थे । जिन्होंने पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।
- तत्कालीन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिसे सन् 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना गया।
- सन् 2009 में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की वजह से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

केरल पर्यटन ने जर्मनी में गोल्डन गेट पुरस्कार जीता

- केरल पर्यटन ने 8 मार्च, 2015 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ,अपने लोकप्रिय मल्टीमीडिया अभियान के तहत इंटरनेशनल पर्यटन-बोर्स बर्लिन (आईटीबी-बर्लिन) 2015 में गोल्डन गेट पुरस्कार जीता।
- राज्य के पर्यटन विभाग ने अपने 'महान पश्चजल (The Great Backwater)' अभियान के तहत लगातार दूसरी बार गोल्डन गेट पुरस्कार जीता है। वर्ष 2014 में अभियान ने आईटीबी-बर्लिन की प्रिंट श्रेणी के गोल्डन गेट पुरस्कार में, राज्य ने गोल्ड पुरस्कार जीता था। हालांकि, राज्य पर्यटन ने वर्ष 2015 में प्रतिष्ठित पुरस्कारों की अलग श्रेणी में, इसी अभियान के तहत रजत पुरस्कार जीता है।
- आईटीबी बर्लिन दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार मेला है। इसमें 180 से अधिक देशों से देश, शहर और क्षेत्र, टूर ऑपरेटर, ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल और होटल और कई अन्य सेवा प्रदाता अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करते हैं। आईटीबी बर्लिन मार्च में मेसे (Messe) बर्लिन में सालाना आयोजित होता है। आईटीबी-बर्लिन में हर साल दिए जाने वाले गोल्डन गेट पुरस्कार को 'पर्यटन संचार में ऑस्कर' करार दिया गया है जो वैश्विक पर्यटन संचार में शीर्ष महत्व का है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 150 लाख डीबीटी खातों को आधार के साथ जोड़ा

- भुगतान प्रणाली के लिए देश के प्रमुख संगठन भी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 15 करोड़ बैंक खातों को आधार संख्या के साथ सफलतापूर्वक जोड़कर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इससे वह 30 जून से पहले ही 17 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतर (डीबीटी) खातों को आधार से जोड़ने के लक्ष्य के करीब आ गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने, एनपीसीआई को, शीर्ष संस्था के रूप में, प्रस्तुत करते हुए यह उम्मीद व्यक्त की, है कि सरकार की सभी सहायकी और सहायता हस्तांतरण कार्यक्रमों के लाभार्थियो को लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से सम्बद्ध किया जा सकेगा ।
- सरकार लीकेज कम करने और लागत बचाने हेतु, डीबीटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डीबीटी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने वर्ष 2014 में 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' का शुभारम्भ किया है, जिसके तहत बैंकों ने 26 जनवरी तक 12.5 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं।
- एनपीसीआई जनधन योजना के तहत सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी है।

VISION IAS

प्रधानमंत्री ने 'टीम इंडिया' के लिए 2022 तक प्राप्त किये जाने वाले 13 लक्ष्य निर्धारित किये

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिन्हें 'टीम इंडिया' द्वारा राज्यों के नेतृत्व तथा केंद्र के निर्देशन में प्राप्त किया जायेगा। ये लक्ष्य मानव जीवन के हर पहलू को सम्मिलित करते हैं जो भारत को उत्कृष्टता के शिखर पर ले जा सकते हैं।

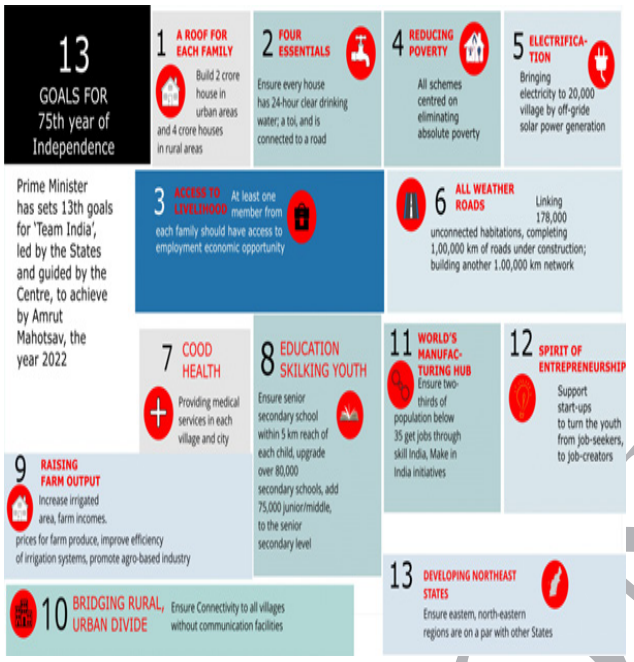

कोयला मामले में सीबीआई अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मन जारी किया

- सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सन् 2005 के ओडिशा में तालाबिरा II/III कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित एक मामले में, आरोपियों के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पांच अन्य लोगों को पेश होने के लिए बुलाया।
- अदालत ने पाया कि डॉ. सिंह पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ मौजूद हैं।
- विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने तालाबिरा II कोयला ब्लॉक में हिंडाल्को को शामिल करने को अनुचित बताया है।
- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाला मामले में आरोपी के रूप में उन्हें तलब किये जाने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
  - ✓ डॉ सिंह ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी सम्मन को इस आधार पर रद्द करने की मांग की है कि आदेश जारी करते समय वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे।
  - ✓ सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पांच अन्य लोगों के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन पर रोक लगा दी है।

• The Talabira-II/III coal blocks are located in odisha's mineral-rich jharsuguda district	• Birla writes to PM saying old coal linkage was not used as a bauxite mine lease had not materiallsed
• In 2005, they were allocated to Mahanadi Coalfields and Neyvell Lignite Corporation (NLC)	• Birla says his request for Talabira-II has backing of Odisha CM Naveen Patnik
• Allocation made by a Screening Committee headed by then Coal Secretary PC Parakh	• PM clears change in allocation: 70% to Mahanadi Coalfields; 15% to NLC; 15% Hindalco
• KM Birla writes to Manmohan singh asking for reallocation of the blocks to Hindalco	• In August 2012, CAG faults coal block allocations overail; pegs loss at ₹ 1.86 lakh crore
• Birla meets Singh, who also heads Cols Ministry, Singh directs him back to the ministry	• In 2014, CBI given clean chit to Singh, Birla and Parakh saying it cannot question govt policy
• Ministry says Hindalco was not using coal available to it from Mahanadi Coalfields	• March 11,2015: Court summmons Singh, Birla, Parakh as suspects in the case pertaining to the block

कोयला, खनन बिल संसद द्वारा पारित

संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 और कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015 दोनों को मंजूरी दे दी है।

कोयला और खनिज नीलामी के माध्यम से, राष्ट्रीय खजाने में एकत्र संपूर्ण राशि उन्ही राज्यों को दी जाएगी, जहाँ कोयला और खनिज के नीलाम किये गए क्षेत्र स्थित है।

VISION

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक 2015

कोयला विधेयक, 200 से अधिक रद्द किये गए कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है।

- कोयला और खनिज ब्लॉकों की नीलामी की कम्प्यूटरीकृत ठोस व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए इन ब्लॉकों की नीलामी, ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।
- अध्यादेश जिसे अब विधेयक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है,का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोयले की भारी कमी को दूर करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह इस्पात, सीमेंट और बिजली कम्पनियों को कोयला खदानों के आवंटन में मदद करेगा, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं ।
- राज्यों को यह आश्वस्त करते हुए कि उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा, सरकार का कहना है कि अग्रिम शुल्क के साथ ही, रॉयल्टी भुगतान में राज्यों को हिस्सा मिलेगा। हालांकि, कांग्रेस ने सरकार की योजना से संतुष्ट नहीं है उसके अनुसार केवल उन्ही राज्यों को नीलामी से प्राप्त समस्त राशि प्रदान करने की नीति, जहाँ ये कोयला भंडार निहित है उचित नहीं है । इसलिए अन्य राज्यों को भी, नीलामी का एक हिस्सा दिया जाना चाहिए।

कोयला एक राष्ट्रीय संपत्ति है और संविधान निर्माताओं ने इसे केंद्रीय सूची में रखा हैं क्योंकि वे चाहते थे कि सभी राज्य इस क्षेत्र के विकास के लिए सामान रूप से प्रतिबद्ध हो तथा इस प्रयास में प्राप्त होने वाली लाभ और हानि में सामान रूप से भागीदार बने।

95% से अधिक कोयला, 5 राज्यों द्वारा उत्पादित किया जाता है और वे नए कानून के तहत इसकी नीलामी द्वारा लायी गयी अप्रत्याशित राशि उनके पॉकेट में होगी।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक ,2015

- विधेयक द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
- नये अधिनियम के लागू होने पर, एक नयी अनुसूची (अनुसूची 4) जुड़ेगी, जिससे इसके दायरे में बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैंगनीज अयस्क, खनन, जिन्हें अभी अधिसूचित खनिज कहा जाता है, इसमें शामिल हो जायेंगे।
- जाहिर है नया विधेयक जिन कोयला ब्लांको के लिए लाइसेंस दिया जाना है, उसके लिए नीलामी की प्रक्रिया व्यवस्था स्थापित करना चाहता है । यह प्रस्ताव करता है कि 1957 के मूल अधिनियम के विपरीत खनन रियायतों का कोई नवीकरण नहीं होगा। लेकिन यह अब 30 साल की बजाय, 50 साल के लिए लाइसेंस का प्रस्ताव करता है। सरकार ने पहले ही नीलामी के लिए, 199 खानों की पहचान की है। नया बिल केंद्र सरकार के, अनुमोदन पर राज्य सरकारों को अधिसूचित और अन्य खनिजों के लिए खनन पट्टों और पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टों की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करता है। इसके अतिरिक्त बिल, बोली लगाने वालों के चयन के लिए, नियम और शर्तें निश्चित करेगा, साथ ही नीलामी की प्रक्रिया को भी निश्चित करेगा।
- केंद्र सरकार कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से कुछ खानों को आरक्षित कर सकती है और इसके लिए उनके द्वारा पात्रता शर्तें निर्धारित की गयी है।
- केन्द्र सरकार को अतिरिक्त पट्टे देने की बजाय, खनन क्षेत्र को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इस रूप में व्यवस्था में मनमानेपन को रोकने के लिए एक और छिद्र को बंद किया गया है । वर्तमान में, हर एक पट्टे के लिए अधिकतम सीमा 10 वर्ग किमी निर्धारित की गयी है।
- प्रस्तावित कानून खनन क्षेत्र में, एक जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान करता है, जो खनन से प्रभावित लोगों की शिकायतों को दूर करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट नाम से एक और संगठन क्षेत्रीय और अखिल भारतीय योजना के लिए गठित की जाएगी।

नीति पोर्टल (POLICY PORTAL)

- केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने, एक सार्वजनिक पोर्टल नीति भारतनीति.इन (Bharatniti.in), का शुभारंभ किया, जो प्राचीन किन्तु समकालीन संदर्भो में प्रासंगिक दृष्टिकोण के आधार पर भविष्यगामी नीतियों की रूपरेखा निर्माण में सहायक होगा ।
- भारतनीति इन अपनी सार्थकता, युगों-युगों की यात्रा में संचित ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सृजित मूल्यों के द्वारा, समकालीन भारत की दशा और दिशा के निर्धारण के आधार के रूप में सिद्ध करता है
- पोर्टल पारंपरिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में समकालीन भारत, किन मूल्यों के आधार पर, अपने समग्र विकास के किस मार्ग का चयन करें ,इसके लिए विकल्प प्रस्तुत करेगा ।

अटल पेंशन योजना (APY) -

पेंशन योजना की आवश्यकता?

- योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संबंध में उनकी दीर्घजीविता

VISION IAS

के समक्ष संभावित चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात बचत के लिए प्रेरित करती है ।

- NSSO के वर्ष 2011-12 के 66 वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के 47.29 करोड़ श्रमिक हैं, जो कुल श्रम शक्ति का 88% हैं और इनके लिए किसी भी औपचारिक पेंशन योजना का प्रावधान नहीं है।
- सरकार ने वर्ष 2010-11 में, स्वावलंबन योजना शुरू की थी। हालांकि, स्वावलंबन योजना के तहत कवरेज अपर्याप्त है, जिसका प्रमुख कारण 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन योजना के लाभ के संबंध में प्रावधान स्पष्ट नहीं है ।
- इसलिए वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-16 के लिए अपने बजट भाषण में, अटल पेंशन योजना (APY) नामक एक नई पहल की घोषणा की है।

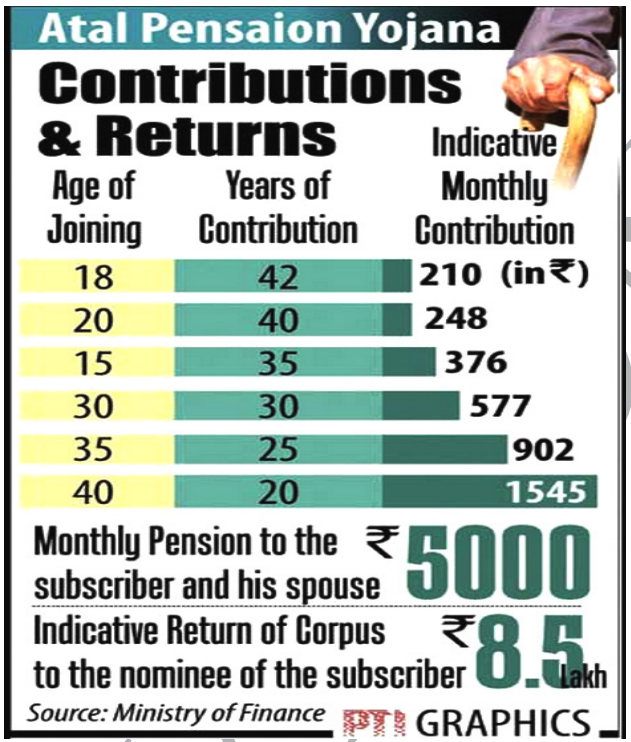

- अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के उन सभी नागरिकों ध्यान पर केंद्रित किया जाएगा जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में शामिल हैं और जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।
- **अटल पेंशन योजना से लाभ:** यदि कोई इस योजना में शामिल होता है और 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच योगदान देता है तो उसे 1000 से 5000 रुपये के बीच निश्चित पेंशन मिलेगी। योगदान के स्तर अलग-अलग हो सकते हैं । यदि ग्राहक जल्दी शामिल होता है, तो उससे अधिक पेंशन मिलेगी और अगर वह देर से शामिल होता है तो उसे कम पेंशन मिलेगी।
- **अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता:** अटल पेंशन योजना (APY), वैसे सभी बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है, जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।
- **शामिल होने के लिए उम्र और अंशदान अवधि:** APY में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। इसलिए अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 साल या उससे अधिक होगी।
- **अटल पेंशन योजना का फोकस:** योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केन्द्रित है।
- **नामांकन और सब्सक्राइबर भुगतान:** पात्र श्रेणी के सभी बैंक खाता धारक ऑटो डेबिट सुविधा के साथ योजना में शामिल हो सकते हैं।
- **नामांकन एजेंसियां:** सेवा प्रदाता स्वावलंबन योजना के तहत, अग्रीगेटर (aggregators) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों को शामिल करेंगे।
- **अटल पेंशन योजना का आपरेशनल फ्रेमवर्क:** यह भारत सरकार की योजना है, जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। एनपीएस की संस्थागत संरचना का उपयोग, एपीवाई के तहत लाभार्थियो को पंजीकृत करने में किया जायेगा।
- **अटल पेंशन योजना हेतु अनुदान:** सरकार निम्नलिखित सुवधाएँ प्रदान करेगी-
- ग्राहकों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी।
- पात्र लाभार्थियो को, उनके योगदान का 50% या 1000 रूपए सालाना जो भी कम हो सह-योगदान के रूप में सरकार देगी।
- सरकार ,अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान संग्रह एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रचार और विकास गतिविधियों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

विश्लेषण - प्रस्तावित अटल पेंशन योजना दो महत्वपूर्ण मायनों में, एनपीएस-एस (एनपीएस स्वावलंबन) से अलग है।

एनपीएस-एस एक परिभाषित योगदान योजना है, जिसमें ग्राहक के योगदान को सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, और इक्विटी में निवेश किया जाता है, जहां ग्राहकों को तय रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। जबकि, अटल पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ योजना है, जो संबंधित मासिक योगदान की मात्रा केअनुसार 1000 और

5000 रूपए के बीच निश्चित मासिक आय के साथ लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करेगी ।

अटल पेंशन योजना के तहत सरकार पात्र ग्राहक को उसके योगदान का 50% या 1000 रूपए (शुरू में वर्ष 2019-20 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए) सालाना जो भी कम हो प्रदान करेगी। यह एक क्रमिक अनुदान योजना के निर्माण के लिए ,मार्ग प्रशस्त करती है। योजना के अन्तर्गत , जो उपभोक्ता 1000 रुपये से कम योगदान देता है,उसे भी उसकी योगदान राशि के अनुरूप सरकारी योगदान प्राप्त होगा। एनपीएस-एस के समान योगदान प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को, अटल पेंशन योजना में, 2000 रूपए का योगदान करना (एनपीएस-एस के तहत 1000 रूपए)होगा ।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
CLASSROOM

LIVE/ONLINE
Classes also available
www.visionias.in

- INTERACTIVE AND INNOVATIVE WAYS OF TEACHING
- ONLINE ACCESS TO STUDYMATERIAL, TESTS & PERFORMANCE INDICATORS
- CONTINUOUS ASSESSMENT THROUGH ASSIGNMENTS AND ALL INDIA TEST SERIES
- INDIVIDUAL GUIDANCE

CSE 2014

NIDHI GUPTA
Rank-3

VANDANA RAO
Rank-4

SUHARSHA BHAGAT
Rank-5

40+ Selections in top 100
400+ Selections in CSE 2014

CSE 2013

GAURAV AGRAWAL
Rank-1
200+ Selections in CSE 2013

GENERAL STUDIES
ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
• 60 classes
Starts : 7th Sep
2 PM

LIVE/ONLINE
Classes also available

ETHICS MODULE
• By renowned faculty and senior bureaucrats
• 25 Classes • Regular Batch
Starts : 21st Sep
10 AM

ALL INDIA IAS
TEST SERIES 2015
- General Studies
- Geography
- Philosophy
- Essay
- Sociology
- Psychology
- Public Administration

Starts : 20th Sep

PHILOSOPHY
By Anoop Kumar Singh
Foundation/Crash Course
@ JAIPUR Center
• Includes comprehensive study material
• Includes All India Philosophy mains test series
Starts : 7th Sep

www.facebook.com/visionias.upsc
www.twitter.com/Vision_IAS

DELHI:
HEAD OFFICE: 1/8-B, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro
Rajinder Nagar Centre: 78, 1st Floor, Old Rajinder Nagar, Near Axis Bank
103, 1st Floor B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar
Contact : - 9650617807, 9717162595, 8468022022

JAIPUR: Ground Floor, Apex Mall, Jaipur. Contact :- 9001949244, 9799974032

HYDERABAD: 1-10-140/A, 3rd Floor, Rajamani Chambers, St. No.8, Ashok Nagar, Telangana - 500020. Contact :- 9000104133, 9494374078, 9799974032

प्रधानमंत्री की हिन्द महासागरीय देशों की यात्रा

भारत के प्रधानमंत्री ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तीन हिंद महासागरीय देशों का दौरा किया। हिंद महासागर के तीन द्वीपीय देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा, भारत के निकटतम और विस्तारित पड़ोस में हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। यह इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने की तथा नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की भारत की इच्छा को प्रदर्शित करता है। चीन के द्वारा इन देशो में हाल के दिनों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश, भारत के लिए चिंता का विषय है ।

- जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10-14 मार्च के दौरान सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका का दौरा किया, तो इससे हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में, भारत की भूमिका को बल मिला।
- भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच ,मौजूदा समुद्री सुरक्षा सहयोग व्यवस्था में, शामिल होने के लिए भारत ने सेशेल्स और मॉरीशस को आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने हिंद महासागर के आसपास, एक मजबूत क्षेत्रीय समूह के निर्माण की दिशा में कदम बढाया है।
- भारत हिन्द महासागर के लिए एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयासरत है ,जो इसके 'सागर' नाम को सार्थक करे। सागर अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास ('SAGAR — Security and Growth for All in the Region')
- भारत, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देशों को उनके समुद्री क्षेत्र सतर्कता क्षमताओं को, मजबूत बनाने और क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है।
- श्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर में शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो का है ।
- श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है - विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण बनाना; सभी देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों के प्रति सम्मान; एक दुसरे के हितों के लिए संवेदनशीलता; समुद्री सुरक्षा के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान; और समुद्री सहयोग में वृद्धि।

- दुनिया के दो तिहाई तेल जहाजों, बल्क कार्गो का एक तिहाई और सभी कंटेनर ट्रैफिक का आधा हिस्सा हिंद महासागरीय जलमार्ग से होकर गुजरता है। इस तथ्य को देखते हुए, इस क्षेत्र का सामरिक महत्व निर्विवाद है। इसके अलावा हमारे विस्तारित पड़ोसियों के साथ रणनीतिक संबंध हिंद महासागर में ,चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है।

भारत और मॉरीशस संबंध:

भारत और मॉरीशस के बीच, हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के आधार पर अद्वितीय सम्बन्ध हैं। मॉरीशस में 70% जनसँख्या भारतीय मूल के लोगों की है। मॉरीशस अपना राष्ट्रीय दिवस ,12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के दांडी मार्च के सम्मान में मनाता है, जिन्होंने मार्च 1930 में इसी दिन दांडी यात्रा की शुरुआत की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान, भारत और मॉरीसश ने पांच समझौता ज्ञापनो पर हस्ताक्षर किये । भारत ने विकास या सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ़ क्रेडिट उपलब्ध कराया है तथा इन विकास या सुरक्षा परियोजनाओं के बारे में फैसला करने का अधिकार भी मॉरीशस को दिया है।

- मॉरीशस का एक विशाल,विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, जो 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है।
- मॉरीशस के लिए एक भारत निर्मित, नौसैनिक गश्ती पोत, 'बाराकुडा' को, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि यह हिंद महासागर को और अधिक सुरक्षित बनाएगा।
- अपनी रणनीतिक अवस्थिति के आधार पर मॉरीशस को हिंद महासागर में ,समुद्री गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। समुद्री डकैती जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकने और विभिन्न द्वीपों के बीच संवादहीनता को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित, इसकी व्यापक

VISION IAS

परिसंपत्तियों के बेहतर नियंत्रण में, तटीय गश्ती पोत को शामिल किये जाने से महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी ।

प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान भारत और मॉरीशस के बीच हस्ताक्षर किये गए समझौता ज्ञापनो की सूची:

- **महासागरीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन**
  - ✓ यह समझौता ज्ञापन, महासागरीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करेगा, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में सतत विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षेत्रों यथा ;
  - ✓ समुद्री संसाधन, मत्स्य पालन, हरित पर्यटन, शोध और अनुसंधान तथा सागर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास, विशेषज्ञों और इससे संबंधित गतिविधियों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में अन्वेषण और क्षमता विकास के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **वर्ष 2015-18 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम**
  - ✓ यह कार्यक्रम ,2015-2018 के लिए इस क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को बढावा देगा ।
  - ✓ इस कार्यक्रम की अवधारणा में सांस्कृतिक मंडलियों, ललित कला में प्रशिक्षण, सांस्कृतिक प्रदर्शनियों को आयोजित किया जाना, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने, छात्रों के आदान-प्रदान, आदि शामिल है।
  - ✓ इस कार्यक्रम से दोनों देशों के लोगों के बीच, भागीदारी में वृद्धि होगी।
- **भारत से ताजा आम के आयात के लिए प्रोटोकॉल**
  - ✓ इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य ,मॉरीशस में भारत से ताजे आम के आयात को सुगम बनाना है।
- **मॉरिशस के "अगलेगा" द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन**
  - ✓ यह समझौता ज्ञापन मॉरीशस के बाहरी द्वीप पर समुद्री और हवाई संपर्क में सुधार के लिए ,बुनियादी ढांचे के उन्नयन और स्थापना की सुविधा प्रदान करता है, इससे इस दूरदराज के द्वीप के निवासियों की हालत में काफी सुधार आएगा।
  - ✓ इन सुविधाओं से इस बाहरी द्वीप में मॉरीशस के हितों की रक्षा में मॉरीशस के रक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी।
  - ✓ यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को रणनीतिक लाभ देगा
- **चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर, समझौता ज्ञापन**
  - ✓ यह समझौता ज्ञापन, दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा ,जो कि हमारे अद्वितीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की वजह से पहले से ही हमारी परंपराओं का हिस्सा है
  - ✓ इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के पारंपरिक प्रणालियों की मान्यता, पारंपरिक औषधीय पदार्थ की आपूर्ति, संयुक्त अनुसंधान और विकास, और दोनों देशों के बीच विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की परिकल्पना की गई है।
  - ✓ इसका उद्देश्य आयुष (AYUSH) के अंतर्गत आने वाली ,विभिन्न भारतीय पारंपरिक पद्धतियों को प्रोत्साहन और उनका संवर्धन करना है ।

भारत और सेशल्स सम्बन्ध:

हिंद महासागर के तीन देशों के दौरे के हिस्से के रूप में नरेन्द्र मोदी 34 साल बाद ,सेशेल्स की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सेशेल्स इस क्षेत्र में भारतीय सहायता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक है।

- दोनों देशों के गहन संबंध समुद्री सुरक्षा और विकास में, सहयोग की दोहरे आधार पर आधारित है। सेशेल्स के पास ,13 लाख वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है, जिसे देखते हुए भारत सेशेल्स के समुद्री सुरक्षा सहायता में संलग्न रहा है।
- विकास में सहयोग, भारत के विस्तारित समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें समुद्र में डकैती और आतंकवाद रोकने में सहयोग के अलावा गश्ती पोत और जल सर्वेक्षण आदि भी शामिल हैं। साथ ही इसमें क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है, जिसमें सेशेल्स की एक प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या को आईटीईसी के तहत प्रशिक्षित किया जाना है।
- दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अक्षय ऊर्जा जैसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने की परम्परा रही है ।
- सेशेल्स, भारत और अफ्रीकी संघ के बीच के पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का एक हिस्सा है।

सेशल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- सेशेल्स का सामरिक महत्व नेपोलियन काल से ही है, जब ब्रिटेन के द्वारा इस द्वीप पर नियंत्रण कर लिए जाने से उसके व्यापार मार्गों का विस्तार ईस्ट इंडीज के देशों तक हो गया था। तेल

VISION IAS

जलमार्ग और तेल उत्पादक देशों से अपनी निकटता के कारण अमेरिका, सेशेल्स के अल्दाब्रा द्वीप पर अपने एक सैन्य अड्डे का निर्माण करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक बाध्यताओं के कारण इसे डिएगो गार्सिया में बनाया गया।

- भारत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक सहयोग के विस्तार से और सामरिक भागीदारी के माध्यम से, हिंद महासागर क्षेत्र में , अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है । भारत ने 2005 से चार पश्चिमी हिंद महासागर द्वीप राष्ट्रों को साथ लाने के लिए एक नीति शुरू की है और सेशल्स इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- अंतरराष्ट्रीय समुद्री संचार मार्गों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थिति वाला देश सेशेल्स, लघु विकासशील द्वीपीय राष्ट्रों के समूह 'एस आई डी एस(SIDS)' का भी नेतृत्व करता है।इस प्रकार सेशेल्स और भारत के मध्य सहयोग के लिए ,एक विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है ।
- यह 'नीली अर्थव्यवस्था' को आगे बढ़ाने में अग्रणी है, जिसमें बहुत से पहलु जैसे पर्यावरण, हाइड्रोकार्बन, समुद्री अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और महाद्वीपीय शेल्फ का पर्यवेक्षण आदि शामिल है। मोदी ने कहा है कि समुद्री अर्थव्यवस्था हमारे भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपरिहार्य है।'
- चीन इन द्वीपीय देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के साथ पैठ बना रहा है ।यह भारत के लिए चिंता का विषय है। पिछले साल नामीबिया के एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेशेल्स सहित हिंद महासागर क्षेत्र में 18 नौसैनिक अड्डों के स्थापना की योजना है। इससे भारत की चिंता और बढ़ गयी है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत इस द्वीप राष्ट्र के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करे जिससे चीन द्वारा प्रदान किये जाने वाले आर्थिक या वाणिज्यिक लाभ, बे असर हो जाएँ और इस द्वीप देश को चीन एक सैन्य अड्डे की तरह उपयोग न कर पाए
- यह द्वीप राष्ट्र पूर्वी अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार की तरह है, जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-वाणिज्यिक संबंध हैं।यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि सेशेल्स ,भारतीय कंपनियों के लिए उभरता हुआ बाजार भी है।

यात्रा के परिणाम

- भारत ने सेशेल्स के एजम्प्शन (Assumption) द्वीप के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इससे इस साझेदारी को मजबूती मिलेगी। यह द्वीप, 11 वर्ग किमी से अधिक में फैला हुआ है और मेडागास्कर के उत्तर में एक सामरिक जगह पर स्थित है। 'द्वीप विकास', द्वीपों में रणनीतिक संपत्ति के विकास की एक उक्ति है। अमेरिका और चीन दुनिया भर में द्वीपों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, जाने जाते हैं।

  ✓ एजम्प्शन (Assumption) द्वीप को दुनिया के सबसे अच्छे समुद्र तट होने का खिताब कई बार मिल चुका है। भारत के द्वारा सेशेल्स से लीज पर लिए गए ऐजेम्पसन द्वीप की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति है ।

- श्री मोदी ने भारत द्वारा स्थापित किए जा रहे ,आठ तटीय निगरानी रडार प्रणालियों में से पहले का उद्घाटन भी किया। भारत हिंद महासागर के तटीय देशों की सामुद्रिक परिक्षेत्र सतर्कता क्षमताओं को मजबूत बनाने में भी मदद कर रहा है।
- दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफी, अक्षय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में सहयोग के लिए चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता एजम्प्शन (Assumption) द्वीप में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है।
- भारत इन चार समझौतों के अंतर्गत सेशेल्स के जल वैज्ञानिक भंडार की पहचान करने में मदद करेगा। जलीय विज्ञान ;समुद्री नेविगेशन, समुद्री निर्माण, निकर्षण, अपतटीय तेल अन्वेषण और ड्रिलिंग सम्बंधित गतिविधियों को प्रभावित करने वाले तत्वों के अनुमापन और उनके लक्षणों का वर्णन करने वाला विज्ञान है । इसके अलावा भारत सेशेल्स को एक और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान देगा।इससे सेशेल्स को तटीय सुरक्षा में मदद मिलेगी।
- भारत सेशेल्स के नागरिकों को तीन महीने के लिए मुफ्त वीजा देने को भी राज़ी हो गया है और यह सुविधा उन्हें सीधे आगमन पर भी उपलब्ध होगी।

इस प्रकार 'दक्षिणायन', भारत के, विस्तारित पड़ोसियों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, उत्पन्न करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेशेल्स की सफल यात्रा, भारत के लिए एक शुभ संकेत है ।यह बिना किसी बंधनकारी सूत्र के हिन्द महासागर के मोती के सामान देशों को जोड़ने का भारत का प्रयास है ।

प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ,हिंद महासागरीय देशों के अपने दौरे के अंतिम चरण में श्रीलंका का दौरा किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच प्राचीन जातीय, भाषाई और धार्मिक संबंधों का हवाला देते हुए, श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की वकालत की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक "संयुक्त श्रीलंका" ही चाहता है, लेकिन "13वें संशोधन का पूर्ण कार्यान्वयन शीघ्र होना चाहिए, जो कि तमिल बहुल, उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में सत्ता के अन्तरण का

VISION IAS

मार्ग प्रशस्त करेगा । श्री मोदी जाफना का दौरा करने वाले, महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के बाद , तीसरे भारतीय नेता पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए।

इस यात्रा के मुख्य अंश:

- यात्रा के दौरान चार समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए:
  - ✓ अधिकृत पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट
  - ✓ सीमा शुल्क सहयोग
  - ✓ युवाओं का आदान-प्रदान और शिक्षा
  - ✓ एक विश्वविद्यालय के सभागार का निर्माण
- श्रीलंकाइयों को आगमन पर ई-वीजा सुविधा
- भारत ने श्रीलंका के रेलवे के उन्नयन के लिए 318 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ़ क्रेडिट तथा त्रिंकोमाली को "पेट्रोलियम हब 'के रूप में विकसित करने का वादा भी किया ।

सार्क यात्रा:

सार्क यात्रा, पड़ोसी सार्क देशों के बीच विवादों को हल करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ सहयोग का विस्तार करने के क्रम में, सचिव स्तर की वार्ता के लिए भारत का एक प्रयास है।

इस संदर्भ में भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने भूटान से अपनी यात्रा की शुरुआत की और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान होते हुए आफगानिस्तान गए।

विदेश सचिव की भूटान यात्रा

- विदेश सचिव ने क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के अलावा सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाये इस विषय पर भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ, वार्ता की।
- विदेश सचिव, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मिले और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भी मुलाकात की।

विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा

- भारतीय विदेश सचिव ने बांग्लादेशी विदेश सचिव के साथ बिम्सटेक, सार्क, और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की । क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों सहित भूमि सीमा समझौते और तीस्ता सहित अनेक विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की।
- विद्युत उत्पादन और वितरण तथा सड़क, आवास और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे के विकास एवं भावी क्षेत्रों में निवेश जैसे मुद्दे भी बांग्लादेश के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान उठाए गए।

विदेश सचिव की अफगानिस्तान यात्रा

- विदेश सचिव ने, अपनी सार्क यात्रा के अंतिम चरण में ,काबुल का दौरा किया और इस यात्रा में सुरक्षा के साथ-साथ तालिबान के साथ वार्ता, विकास और कनेक्टिविटी के मुद्दे शीर्ष पर थे।
- राष्ट्रपति अशरफ गनी, सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला और विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी सहित ,अफगानिस्तान के वरिष्ठ नेतृत्व ने भी, विदेश सचिव के साथ बैठकों में भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग पर चर्चा की।
- भारतीय और अफगान अधिकारियों ने 120 मिलियन डॉलर की लागत से निर्मित वाली जलापूर्ति करने वाली, पाइप लाइन बिछाने की, परियोजनाओं सहित, अफगानिस्तान में, भारत द्वारा विकसित की जा रही अन्य परियोजनाओं पर चर्चा की। भारत ने अफगानिस्तान को 2 अरब डॉलर की विकास सहायता देने की घोषणा की है।

विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा

- भारत ने पाकिस्तान के साथ, विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी क्योंकि पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कश्मीरी अलगाववादियों के साथ विचार-विमर्श किया था। विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा उस घटना के सात महीने बाद हुई।
- आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करने के अलावा दोनों पक्षों ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन पर चर्चा की ।
- दोनों पक्षों ने 2016 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा की। साथ ही पूरे क्षेत्र में व्यापार और यात्रा संबंध में सुधार लाने पर ध्यान देने की बात भी कही गयी।

सार्क यात्रा का विश्लेषण

- यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम पाकिस्तान के साथ संबंधों की पुनः बहाली है। सार्क पर चर्चा के अलावा, प्रधान मंत्री मोदी के "नेबर्स फर्स्ट" परिकल्पना के तहत, सभी देशों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुयी।
- सार्क यात्रा, नई सरकार की विदेश नीति को भी दर्शाती है, जिसमें विवादित मुद्दों को हल करने के लिए ,सार्क देशों के साथ रचनात्मक बात की गयी है। शांतिपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

जापान के विरोध से भारत - अमेरिकी सौदे में रुकावट

- हाल ही में जब भारतीय और अमेरिकी अधिकारी असैन्य परमाणु

VISION IAS

समझौते की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगे हुए थे, उस समय इस समझौते का जापान ने विरोध किया।

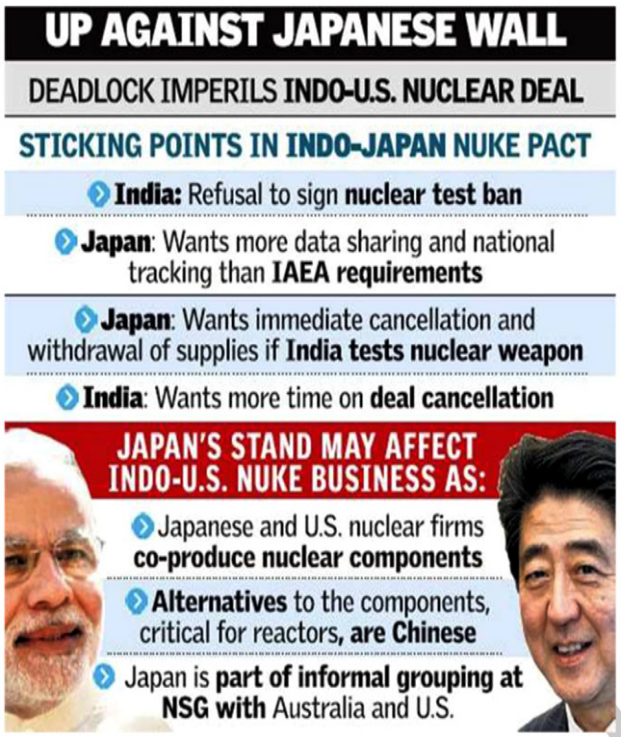

- अमेरिका और भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार 'दायित्व' के मुद्दे को हल कर दिया गया था, परंतु यहाँ जापान का विरोध भारत की परमाणु योजना पर निगरानी रखने से सम्बंधित है।
- भारत-जापान असैन्य परमाणु करार के मार्ग की दो बाधायें हैं। ये मुद्दे क्रमश: जानकारी को साझा करने और परमाणु हथियारों के परीक्षण से संबधित है । जापान चाहता है कि भारत देश में कुल उपलब्ध यूरेनियम, प्लूटोनियम और परमाणु सामग्री से सम्बंधित आंकड़े साझा करे।
- दूसरा मुद्दा यह है कि अगर भारत हथियारों के परीक्षण पर रवयं के द्वारा लगाये हुए अधिस्थगन का उल्लंघन करता है ,तो ऐसी परिस्थिति में जापान चाहता है कि असैन्य परमाणु समझौता तत्काल रद्द हो।
- जापान चाहता है कि इस स्थिति में वह जापान द्वारा निर्मित के सभी उपकरण और पुर्जे वापस मंगवा सके । इस स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भारी नुकसान होगा।

आईएईए परमाणु विनियमन में अधिक स्वायत्तता को भारत की जरूरत मानता है

भारत के परमाणु सुरक्षा मानकों की 12 दिन की समीक्षा पूरा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की अंतरष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने कहा कि भारत में "सुरक्षा उपायों" के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है , लेकिन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को अपने कार्य को कुशलता से करने के लिए सरकार की ओर से और अधिक स्वायत्तता की जरूरत है।

- अंतरष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक युकिया अमानो के मुंबई, दिल्ली और राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन (आरएपीएस) के दौरे के बाद ,अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की समीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया । वियना में आईएईए की एक विज्ञप्ति के अनुसार, छह प्रारंभिक सुझावों को भारतीय एजेंसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जो समीक्षा के अंत में दिए गए थे।

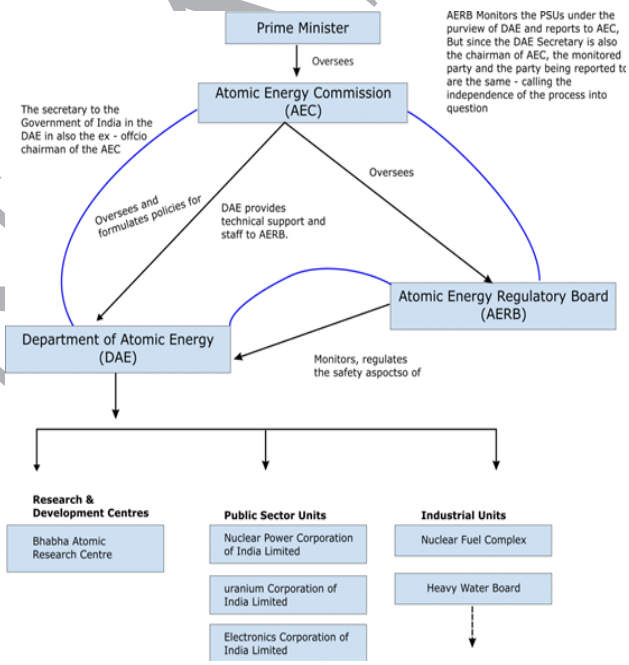

- भारत में वर्तमान में 5780 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 21 परमाणु ऊर्जा संयंत्र चल रहे हैं।
- वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था आईएईए ने भारत से निम्न बिन्दूओं को सुनिश्चित करनेके लिए कहा :
  - ✓ अनावश्यक प्रभाव सीमित करने के लिए इसके परमाणु विनियामक की आजादी
  - ✓ रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाना
  - ✓ परमाणु सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति और रणनीति को बनाना ।
  - ✓ अंतरष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अधिकाधिक प्रत्यक्ष निरीक्षण की अनुमति हो ताकि इस विषय पर सरकार की नीति स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हो ।

समस्या और सुधारों की जरुरत

- वर्तमान में 1983 में स्थापित एईआरबी को देश की असैनिक परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और सुरक्षा पहलुओं को विनियमित करने का काम सौंपा गया है। हालांकि, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है क्योंकि यह अपने व्यावहारिक कार्यो के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग पर निर्भर है।
- आलोचकों का कहना है कि यह अपने विनियामक कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने में असमर्थ रहा है। वास्तव में एक स्वायत्त परमाणु नियामक प्राधिकरण की स्थापना की मांग लंबे समय से चली आ रही है।
- 1997 में राजा रमन्ना समिति की रिपोर्ट ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम में ,परमाणु नियामक प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संशोधन की सिफारिश की थी।
- एईआरबी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था। परंतु यह विधेयक अब समाप्त हो गया है और वर्तमान लोकसभा में इसे पुन: पेश करना होगा।

बेहतर परमाणु विनियमन की भारत की बाध्यता

- भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है लेकिन परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। लेकिन भारत ने परमाणु विद्युत क्षेत्र को अमरीकी निवेश के लिए खोलने के हेतु जनवरी में एक प्रमुख सौदे की घोषणा की है।
- जापान जैसे कुछ देशों की दृष्टि में भारत का एनपीटी जैसी परमाणु प्रसार रोकने वाली संधि पर, हस्ताक्षर ना करना, इसके, 'एनएसजी' में शामिल होने के, मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है । क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि, देशो को परमाणु हथियार प्राप्त करने से, रोकने के लिए, स्थापित की गयी थी ।
- एनएसजी को, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि असैनिक परमाणु व्यापार का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जा सके । एनएसजी की सदस्यता, भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देगी और वैश्विक परमाणु व्यापार से संबंधित मुद्दों पर अधिक प्रभावी बनाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एल -1 बी वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया

- अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस कदम से भारतीय तकनीकी कंपनियों और उनके कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने और सात साल के लिए देश में विशेषज्ञों लाने के लिए एल -1 बी कार्य वीजा ,प्राप्त करने की प्रक्रिया में ढ़ील दी है।
- यह कंपनियों को तेज और सरल तरीके से विदेशी कार्यालय से, अमरीकी कार्यालय के लिए श्रमिकों को अस्थायी तौर पर लाने की अनुमति देगा।

अमेरिका ने वीजा व्यवस्था को सुगम क्यों बनाया?

- ओबामा के अनुसार इस तरह का कदम अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करेगा। बहुत सी भारतीय कंपनियां ,अमेरिका के सेलेक्ट अमेरिका शिखर सम्मलेन में भाग लेती हैं, जो कि अमेरिकी निर्यात में वृद्धि और विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। एल 1 वीजा की संख्या में कटौती, भारतीय कंपनियों के अमेरिका में निवेश करने के मार्ग की एक प्रमुख बाधा थी।

भारत और हिंद महासागर : समुद्री व्यापार एवं सभ्यताओं के बीच सम्बद्धता के पुनर्नवीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- यह सम्मेलन 20 से 22 मार्च के बिच भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और इसमें कई देशों ने भाग लिया।
- यह तीन दिवसीय सम्मेलन, संयुक्त रूप से विकासशील देशों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (ISCS) और अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) द्वारा आयोजित किया गया था।
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) देशों के शीर्ष मंत्री, नौकरशाह और एक दर्जन से अधिक राजदूतों ने क्षेत्र में सामरिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए ओडिशा में पहली बार मुलाकात की।
- सम्मेलन का उद्देश्य, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को चिन्हित किये जाने के साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार संबंधों और सामरिक चुनौतियों को, प्रदर्शित करने वाले प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करना था ।

ऐतिहासिक संबंध

- हिंद महासागर अति प्राचीन काल से हमारा साझा समुद्री आवास बना हुआ है। भारत में दुनिया के कुछ प्राचीनतम बंदरगाह थे और सामुद्रिक गतिविधियों की हमारी एक लंबी परंपरा रही है। हमारे चारों ओर के समुद्र ने कई सहस्त्राब्दियों से, हमारे विस्तारित पड़ोस के साथ वाणिज्यिक , सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध

VISION IAS

बनाने में मदद की है। यह एशिया और अफ्रीका तक फैले हमारे सांस्कृतिक पदचिन्हों से स्पष्ट होता है।

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के हिसाब से हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम नहीं है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ,पहले हिंद महासागर रिम पहल और क्षेत्रीय सहयोग के लिए, हिंद महासागर रिम संघ (आईओआर-एआरसी) के रूप में जाना जाता था ।अब यह हिंद महासागर के तटीय देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह आर्थिक सहयोग के लिए,एक खुले क्षेत्रवाद, विशेष रूप से व्यापार सुविधा और निवेश संवर्धन के साथ-साथ इस क्षेत्र के सामाजिक विकास को मजबूत करने के सिद्धांतों पर आधारित है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का समन्वय सचिवालय एबेने, मॉरीशस में स्थित है।
- IORA के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:
  - ✓ क्षेत्र और सदस्य राज्यों के सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना
  - ✓ आर्थिक सहयोग के, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जो विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करते हैं, जो साझा हित और पारस्परिक लाभ देते हैं।

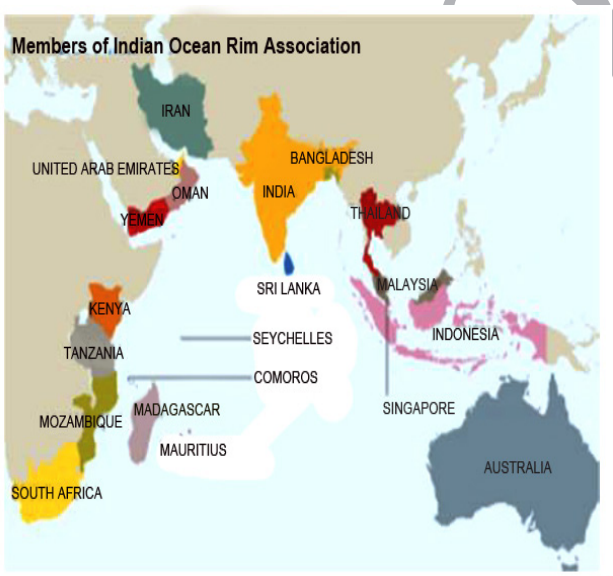

  - ✓ हिंद महासागरीय रिम के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना और बाधाओं को दूर करना तथा उदारीकरण को बढ़ावा देना।
- एसोसिएशन में 20 सदस्य देश और छह वार्ता भागीदार शामिल हैं।

भारत की चिंता:

- भारत, चीन की समुद्री सिल्क रोड परियोजना की वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंतित है। इसके अलावा चीन अब हिंद महासागर का नाम बदलने का प्रस्ताव भी दे रहा है।

एलजीबीटी के हित के खिलाफ भारत का वोट

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समलैंगिक जोड़ों के लाभ समाप्त किये जाने के पक्ष में मतदान किया।
- हालांकि, महासभा में पेश प्रस्ताव पर 80 देशो ने 'अस्वीकार' मतदान किया और 37 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रकार से, प्रस्ताव के विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े और प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। प्रस्ताव में समलैंगिक कर्मचारियों के जोड़ीदारों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित किये जाने का प्रावधान था ।

भारत के रुख की आलोचना

- भारत के वोट की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की थी।
- समलैंगिक अधिकार, मानव अधिकार होते हैं। पुन: एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के अस्तित्व और अधिकार को माने बिना भारत एक लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता।
- दुनिया में अभी केवल 76 देशों में समलैंगिक संबंध अपराध माने जाते हैं और भारत भी उनमे से एक है।
- बान की मून ने, समलैंगिक अधिकारों पर कई ठोस कदम उठाये हैं और दुनिया भर में समलैंगिक समुदाय के खिलाफ, भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने की दिशा में ,कई निर्णय पारित किये हैं। जनवरी 2015 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ,उन्होंने सरकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द करने का आग्रह किया क्योंकि यह मानव अधिकार और मानव गरिमा के खिलाफ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार समलैंगिकता को एक अपराध माना जाता है।

सरकार की प्रतिक्रिया

- समलैंगिकों के लाभ को विस्तार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस फैसले के खिलाफ मतदान के लिए हुई आलोचना के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि भारत का वोट समलैंगिक अधीकारों के विरोध की अपेक्षा भारतीय सिद्धांतों से अधिक संबंधित था।
- भारत के वोट का एक कारण ये भी था कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा यह निर्णय सदस्य राष्ट्रों के साथ विचार-विमर्श के बिना लिया गया था।

- भारत ने इसके पहले वाले प्रस्ताव के मतदान में भाग नहीं लिया था। वह प्रस्ताव सितम्बर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समलैंगिकों के भेदभाव के खिलाफ पारित किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि वर्तमान प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की स्वायत्तता से सम्बंधित था।

ली कुआन यू: सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री का निधन

आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक और सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू का 23 मार्च को निधन हो गया। ली 31 साल से सत्ता में थे और उन्होंने सिंगापुर जैसे अपराध एवं गरीबी से जूझ रहे देश को एशिया के सबसे समृद्ध राष्ट्र में परिवर्तित किया था।

- ली पीपुल्स एक्शन पार्टी के सह-संस्थापक थे, जो 1959 से ही सिंगापुर में सत्ता में है। ली ने ही इस नए देश का नेतृत्व किया ,जो 1965 में मलेशिया से अलग हुआ था।
- ली की बाजार अनुकूल नीतियों के लिए प्रशंसा हुई ,लेकिन उन्हें प्रेस, सार्वजनिक विरोधों के दमन और राजनीतिक विरोधियों पर सख्त नियंत्रण के लिए देश और विदेश में आलोचना का सामना करना पड़ा।
- उनके "सिंगापुर मॉडल" की कभी-कभी मृदु सत्तावाद के रूप में आलोचना की गयी।इस शासन के प्रतीक जहां एक ओर केंद्रीकृत सत्ता, स्वच्छ सरकार और आर्थिक उदारवाद थे तो वही दूसरी ओर , राजनीतिक विरोधियों का दमन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सभाओं पर सख्त नियंत्रण भी इसकी पहचान बने । इससे सतर्कता और स्व नियंत्रण की बाध्यता जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी । इस मॉडल की चीन समेत एशियाई देशों के कई नेताओं ने अध्ययन और प्रशंसा की और साथ ही यह अनगिनत शैक्षणिक प्रकरणों के अध्ययन का विषय रहा।
- ली "एशियाई मूल्यों" के जानकार थे,जहां समाज का हित, नागरिको के अधिकार से ऊपर था और नागरिकों को पैतृक शासन के बदले में कुछ स्वायत्तता सौंपी गयी थी।
- चीनियों ने, सत्तावादी शासन और सुशासन के सिंगापुर मॉडल की प्रशंसा की है और जिसमें संयुक्तता के त्याग के बिना ,चौंकाने वाली समृद्धि हासिल की गयी है।
- सालों से चीन के नेता, सिंगापुर की सफलता से सीख ले रहे हैं। सिंगापुर ने लोकप्रिय वैधता के साथ, एकल पार्टी शासन को बनाए रखा है। एक इमानदार नौकरशाही के साथ, सुशासन को बनाए रखा है। एक सामंजस्यपूर्ण, बहुजातीय समाज में ,अपने लोगों के लिए समान अवसर के साथ समावेशी विकास को जन्म दिया है।

भारत और क़तर संबंध

क़तर के शासक, क़तर तमीम बिन हमद अल थानी की यात्रा के दौरान, भारत और क़तर के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए , जिसमे सजायाफ्ता कैदियों का हस्तांतरण भी शामिल है।

भारत और क़तर के बीच हस्ताक्षरित समझौतों की सूची:

- **सजायाफ्ता कैदियों के हस्तांतरण पर करार**
  - ✓ इस समझौते के तहत, क़तर में दोषी भारतीय कैदी अपनी सजा का शेष भाग काटने के लिए भारत लाये जा सकेंगे। इसी तरह भारत में दोषी ठहराये गये क़तर के नागरिकों को उनकी शेष सजा काटने के लिए उनके अपने देश भेजा जा सकता है।
  - ✓ यह समझौता ,सजायाफ्ता कैदियों को उनके परिवारों से निकटता और उनके सामाजिक पुनर्वासन की प्रक्रिया में मदद देगा।
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता**
  - ✓ यह समझौता क़तर में भारतीय आईटी उद्योग के लिए व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। क़तर ने, 'क़तर 2030 विज़न' के रूप में समग्र विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है और आईसीटी के क्षेत्र में,क्षमता निर्माण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समर्पित एक मंत्रालय बनाया है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और क़तर के वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए मौसम विभाग के बीच समझौता:
  - ✓ कतर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के क़तर मौसम विभाग ने, वायुमंडलीय और महासागर विज्ञान के क्षेत्र में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ सहयोग के लिए, अपनी इच्छा व्यक्त की थी। भारत और कतर के बीच, वैज्ञानिक सहयोग, दोनों देशों में वायुमंडलीय और समुद्रीय क्षमता में सुधार के लिए लाभप्रद होगा।
- क़तर के विदेश मत्रालय के, राजनयिक संस्थान और भारत के विदेश मंत्रालय के ,विदेश सेवा संस्थान के बीच समझौता
  - ✓ इस समझौते से, भारत और क़तर के बीच, कौशल को बढ़ाने और दोनों देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षुओं, छात्रों, संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी। विदेश सेवा संस्थान ने ,राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री और संरचना के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के उद्देश्य से ,कई अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

VISION IAS

- रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता:
  - ✓ इस समझौते का उद्देश्य ,भारत की प्रसार भारती और क़तर मीडिया सहयोग के बीच नियमित रूप से रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के आदान-प्रदान और सामग्री को बढावा देना है।
- **समाचार के विनिमय और आपसी सहयोग के लिए करार**
  - ✓ क़तर की समाचार एजेंसी और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया के बीच समझौता दैनिक आधार पर अंग्रेजी भाषा के समाचार के नि: शुल्क आदान-प्रदान के क्षेत्र में, द्विपक्षीय सहयोग को विकसित करने और बढ़ाने के लिए है।

करीब 600,000 भारतीय नागरिक क़तर में काम करते हैं। कतर भारत के एलएनजी आयात (लगभग 86%) का सबसे बड़ा स्रोत है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 16 बिलियन डॉलर का है।

यमन संकट

हाउती कौन हैं?

- हाउती, शिया जैदी संप्रदाय के अनुयायी हैं। यमन की करीब एक तिहाई जनसँख्या जैदी संप्रदाय में ,अपनी आस्था रखती है। आधिकारिक तौर पर, अंसार अल्लाह (अल्लाह के समर्थक) के नाम से पहचाने जाने वाले इस समूह ने 1990 के दशक में उत्तरी यमन के जैदी समुदाय के गढ़ में, एक सहिष्णुता और शांति आंदोलन शुरू किया था।
- इस समूह ने , तत्कालीन शासक, अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ 2004 में एक विद्रोह शुरू किया जो कि 2010 तक चला। समूह ने 2011 की अरब स्प्रिंग प्रेरित क्रांति में भाग लिया, जिसके बाद अली अब्दुल्ला सालेह की जगह सत्ता अब्द्राह्बू मंसूर हादी के पास आ गयी।

यमन टकराव घटनाक्रम

- **21 सितंबर 2014:** हाउती विद्रोहियों ने ,साना में सरकारी और सेना की जगहों पर कब्ज़ा किया। प्रतिद्वंद्वी गुटों ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत राजधानी से हाउती समूह की वापसी और एक नई सरकार के गठन का प्रावधान था।
- **14 अक्टूबर 2014:** हाउती सेना ने साना से, 230 किमी पश्चिम में होदिदा के लाल सागर के बंदरगाह होदिदा पर कब्ज़ा किया और उसके बाद सरकारी बलों के द्वारा बिना किसी विरोध के केंद्र की ओर बढ़े, पर AQAP और उसके आदिवासी सहयोगियों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
- **20 जनवरी 2015:** हाउती सेना ने, हादी के निवास पर हमला किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्ज़ा कर लिया तथा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दो दिन बाद इस्तीफा दे दिया।
- **6 फ़रवरी 2015:** विद्रोहियों ने घोषणा की कि उन्होंने संसद को भंग कर दिया है और देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रपति परिषद का गठन किया है। अमेरिका और खाड़ी देशों ने ईरान पर हाउती विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। यद्यपि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में अधिकारियों ने तख्तापलट के प्रयास को निष्फल कर दिया।

- **21 फ़रवरी 2015:** हादी कई हफ़्तों की नज़रबंदी से भागकर अदन चले गए और अंतरष्ट्रीय समुदाय से, तख्तापलट को अस्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने इस्तीफे को रद्द कर दिया और अदन को अस्थायी राजधानी घोषित किया।

सऊदी अरब ने हवाई हमलों का नेतृत्व किया

- सऊदी हस्तक्षेप, राष्ट्रपति अब्द्राह्बू मंसूर हादी की ओर से सहायता के अनुरोध के फलस्वररुप में शुरू हुआ।
- हाउती के आगे बढ़ने से सऊदी अरब को डर था कि अल्पसंख्यक शिया विद्रोही, सुन्नी बहुल यमन पर नियंत्रण कर लेंगे, फलस्वरूप यमन, शिया, ईरान के करीब हो जायेगा।
- सऊदी अरब ने ,नौ अरब देशों के गठबंधन का नेतृत्व किया और यमन पर 25 मार्च 2015 को हवाई हमले शुरू किये। इसे "ऑपरेशन डीसिसिव स्टॉर्म" (Operation Decisive Storm) नाम दिया गया और इस प्रकार यमन में सैन्य हस्तक्षेप की शुरुआत हुई।
- इन हवाई हमलों ने, यमन को सऊदी अरब और ईरान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष के एक मोर्चे का रूप दे दिया है ।
- पर्यवेक्षकों के अनुसार, मध्यपूर्व के देशों में यह लड़ाई एक छद्म युद्ध की तरह है जिसमें एक तरफ हाउती का समर्थन करता ,शिया बहुल ईरान और दूसरी तरफ सुन्नी बहुल ,सऊदी अरब है।
- 21 अप्रैल 2015 को सऊदी अरब ने ऑपरेशन डीसिसिव स्टॉर्म को समाप्त करने की घोषणा की। सऊदी अरब ने कहा कि

VISION

अब सैन्य हस्तक्षेप की जगह राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हस्तक्षेप किया जायेगा क्योंकि सैन्य हस्तक्षेप का सऊदी अरब और पड़ोसी देशों के समक्ष उत्पन्न संकट को दूर कर दिया गया है ।

ऑपरेशन राहत

- 'ऑपरेशन राहत', यमन में फंसे भारतीय नागरिको को वापस लाने के लिए चलाये जाने वाले बचाव अभियान का नाम है।

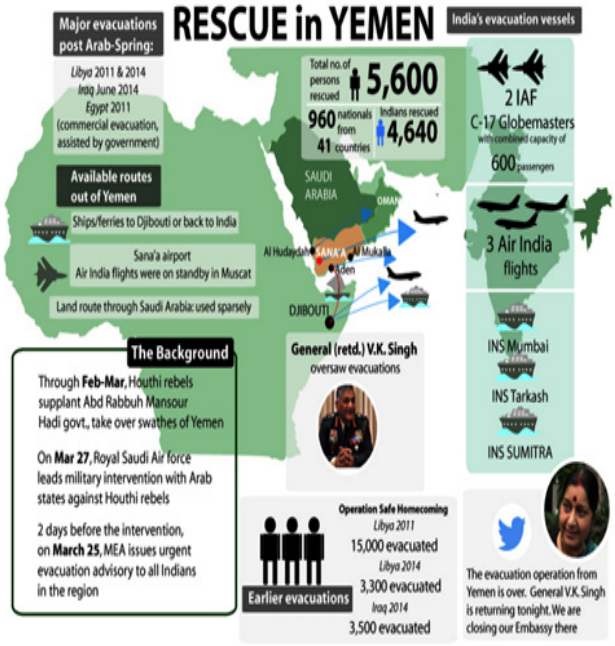

- भारत सरकार के द्वारा यमन से भारतीयों को निकालने के लिये सभी प्रयास किये गये ।
- भारत के प्रयास इतने प्रभावी थे कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित, 26 से अधिक देशों ने अपने नागरिकों को बचाने में ,भारत की मदद की मांग की।
- भारत ने ,अपने बचाव अभियान में 4640 भारतीयों और 41 देशों के 960 नागरिकों को यमन से सफलता पूर्वक बाहर निकाला।

बारूदी सुरंग प्रतिबन्ध संधि (MINE BAN TREATY)

ओटावा संधि अथवा एंटी पर्सोनेल माइन प्रतिबन्ध संधि अथवा बारूदी सुरंग प्रतिबन्ध संधि, जिसे आधिकारिक तौर पर सैन्य विरोधी सुरंग के उपयोग, एकत्रीकरण, उत्पादन, हस्तांतरण और उनके विनाश से संबंधित निषेध की संधि के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य सैन्य विरोधी सुरंगों को ख़त्म करना है। 162 देश इस संधि के सदस्य हैं।

- 1996 में भारत ने सैन्य विरोधी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतरष्ट्रीय समझौते का आग्रह करने वाले , संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। हालाँकि 1997 में जब सुरंग प्रतिबन्ध संधि अस्तित्व में आई तब भारत ने इससे बाहर रहने का फैसला किया।
- भारत ने कहा था कि कश्मीर में सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए उसे बारूदी सुरंगों की जरूरत है। पहले भारत न पता लगने योग्य बारूदी सुरंगों का एक प्रमुख निर्माता था और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और साथ ही कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) रेखा पर, उन्हें इस्तेमाल करता था।
- भारत ने दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के मद्देनजर ,ऑपरेशन पराक्रम के दौरान,अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सैन्य विरोधी बारूदी सुरंगों का लाखों की संख्या में इस्तेमाल किया था।
- रक्षा पर लोकसभा की स्थायी समिति की अप्रैल 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2001 और अप्रैल 2005 के बीच, सीमा पर बारूदी सुरंगों को बिछाने और हटाने के दौरान भारतीय सेना के 1776 जवान हताहत हुए।
- सैन्य विरोधी बारूदी सुरंगे अब अप्रचलित हथियार हैं, जो अब भारतीय सेना उपयोग में नहीं लाती। बारूदी सुरंगे बिछाने से, पिछले दशक में कश्मीर में उग्रवाद पर कोई असर नहीं हुआ। पर सुरंगों ने, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा पर रहने वाले समुदायों के लिए बहुत मुसीबत पैदा की है।

ईरान और विश्व शक्तियों के बीच ,परमाणु समझौता

- ईरान और सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों तथा जर्मनी (P 5 + 1 समूह) के बीच ,एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। सहमति के अनुसार, जून 30 तक "कार्रवाई के लिए एक मसौदे की रूपरेखा' तैयार कर ली जाएगी।
- कार्रवाई की योजना में ईरान के लिये स्वीकृत, सेंट्रीफ्यूज और संवर्धन संयंत्रों की संख्या को स्पष्ट किया गया है । संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कौन से सत्यापन जरूरी होंगे और ईरान पर से वित्तीय प्रतिबन्ध किन चरणों में हटाये जायेंगे इसको भी स्पष्ट किया गया है ।

समझौते के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा निम्न कदम उठाये जायेंगे

- ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज (centrifuges) की कुल संख्या में ,दो तिहाई की कमी करेगा,
- ईरान अपने निम्न संवर्धित यूरेनियम के भण्डार को, 10,000 किलोग्राम से 300 किलोग्राम करेगा,
- फोर्दो में चल रहे ईरान के परमाणु संयंत्र को 15 साल के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र में रूपांतरित करना होगा

- सभी अतिरिक्त भंडार और परमाणु हिस्सों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी वाले स्थान पर रखा जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ईरान पर लगे उन सभी प्रतिबंध हटा लेंगे जिनकी वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था कई वर्षों से असंतुलित बनी हुई है।

भारत को लाभ

- भारत ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए इस समझौते का स्वागत किया।
- भारत ने अमेरिका के दबाव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान के साथ अपने प्राचीन संबंधों को बनाए रखने के लि, कड़ी मेहनत की। हालांकि बैंकिंग और बीमा क्षेत्रो में प्रतिबंधो की वजह से ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ। भारत और ईरान के बीच करीब14 बिलियन डॉलर का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार है और दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन का अंतर बहुत ज्यादा है।
- भारत के लिए बड़ा लाभ यह है कि तेल की कीमत में और कमी हो सकती है। 2012 से पूर्व जब ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, तब भारत बहुत अधिक मात्रा में ईरान से तेल आयात किया करता था।
- इस शांति समझौते का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि भारत अब ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को जोड़ने वाले मार्ग को, पूरा कर सकता है। इससे भारत से ईरान-अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक नया व्यापार मार्ग खुल जायेगा।

वैश्विक प्रभाव

- ईरान और यूरोपीय संघ के, 3 + 3 (यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी के साथ चीन, रूस और अमेरिका) सूत्र द्वारा, ईरान के परमाणु क्रार्यक्रम पर, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) की एक घोषणा, एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिसका विश्व स्तर पर गहरा प्रभाव होगा।
- वार्ता की सफलता का परमाणु सुरक्षा पर व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव होगा। साथ ही ईरान और सऊदी अरब के छद्म युद्ध और सीरिया से लेकर यमन और ईराक तक विस्तृत संघर्ष वाले क्षेत्र पश्चिम एशिया पर भी व्यापक प्रभाव होगा।
- **इजराइल ने परमाणु करार का विरोध किया**
  - ✓ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह और उनका मंत्रिमंडल इस समझौते की रूपरेखा का "दृढ़ता से विरोध करने" में एकजुट हैं ।
  - ✓ नेतन्याहू ने कठोरता पूर्वक इस वार्ता की आलोचना की और कहा कि इसके बजाय ईरानी परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान पर भरोसा नही किया जा सकता और उसे कुछ सुविधाएं देने का मतलब है कि ईरान अंत में एक परमाणु बम का निर्माण कर लेगा।

चीन ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की

- चीन ने लगातार पांचवें वर्ष अपने प्रस्तावित सैन्य खर्च में बढोतरी करते हुए अपना रक्षा बजट 10.1 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।
- लगभग 142.2 बिलियन डॉलर के चीन के रक्षा व्यय ने भारत के रक्षा व्यय को 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा से पीछे छोड़ दिया है। भारत का रक्षा व्यय लगभग 40 बिलियन डॉलर है।
- इस बढ़ोतरी ने चीन को अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय वाला देश बना दिया है। अमेरिका का सैन्य बजट 2013 में 600.4 बिलियन डॉलर था।
- चीन अपने, आधुनिक सैन्य तंत्र को व्यापक रूप से मजबूत बनाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान को विकसित करेगा। नए और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी वाले हथियारों और उपकरणों को विकसित करेगा और रक्षा संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योगों का विकास करेगा।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के सदस्य देशों की संख्या में बढोतरी

- अमेरिका के विरोध के बावजूद चीनी नेतृत्व वाले इस विकास बैंक के लिए समर्थन बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ के शीर्ष देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली और यूनाइटेड किंगडम ने AIIB के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का फैसला किया।
- रूस, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स ने भी AIIB में शामिल होने की घोषणा की।
- यह दुनिया में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। पिछले साल चीन ने अन्य ब्रिक्स देशों के साथ शंघाई में 50 अरब डॉलर की अधिकृत पूंजी (subscribed capital) के साथ नए विकास बैंक की स्थापना की थी।
- चीनी मुद्रा को इस साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक आधिकारिक आरक्षित मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त होने की संभावना है। यह अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को कम करने की दिशा में एक कदम होगा।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक

- **एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक** चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।
- इस बहुपक्षीय विकास बैंक का उद्देश्य एशिया में बुनियादी ढांचा

VISION IAS

परियो जनाओं के लिए वित्त मुहैया कराना है।

- AIIB को कुछ लोगों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है, जिन पर अमेरिका जैसे विकसित देशों का प्रभुत्व माना जाता।
- AIIB का औपचारिक उद्घाटन चीन, भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर और वियतनाम सहित 21 संस्थापक सदस्यों द्वारा 21 अक्टूबर 2014 को बीजिंग में किया गया।
- भारत चीन के बाद बैंक का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है
- AIIB की अधिकृत पूँजी 50 बिलियन डॉलर होगी जो बाद में 100 बिलियन डॉलर हो जाएगी। इसकी तुलना में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की अधिकृत पूँजी क्रमश: 223 बिलियन डॉलर और 165 बिलियन डॉलर है।

चिंताएं

- अमेरिका और जापान AIIB में शामिल नहीं होने के फैसले पर दृढ़ हैं।
- अमेरिका ने नए बैंक के प्रशासन और उधार दे पाने सम्बन्धी क्षमताओं पर प्रश्नचिन्ह् खड़ा किया है ।

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिकी नेतृत्व में बनाया गया था।
- अमेरिका, यूरोप और जापान, अपनी अर्थव्यवस्थाओं के गिरावट के बावजूद, इन संस्थानों में अपना प्रभाव बनाये हुये हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका के पास अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर वीटो का अधिकार है।
- साथ ही साथ ये संस्थान चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मान्यता देने में नाकाम रहे हैं।

चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' पहल

- **'वन बेल्ट वन रोड'** को बेल्ट और रोड पहल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक चीनी संकल्पना है, जो कि भूमि आधारित "सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट" और सागर आधारित "समुद्री सिल्क रोड" के माध्यम से राष्ट्रों के सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत की गयी है ।
  - ✓ "बेल्ट और रोड" के दो घटक हैं- 21 वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड और सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट ,जो कि प्रशांत तट से बाल्टिक सागर तक ,यूरेशियाई भूमि में बनाया जाएगा।
  - ✓ "बेल्ट और रोड" एशिया, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों से होकर गुजरेगा । यह जहाँ एक ओर गतिशील पूर्वी एशियाई आर्थिक चक्र से सम्बद्धता प्रदान करेगा ,वहीं दूसरी ओर विकसित यूरोपीय आर्थिक चक्र को जोड़ेगा।
  - ✓ "सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट" चीन, मध्य एशिया, रूस और यूरोप को एक सूत्र में पिरो देने पर केंद्रित है। यह चीन को मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के माध्यम से, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के साथ जोड़ेगा और चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर से जोड़ेगा।
  - ✓ 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड चीन के तट को एक ओर दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर होते हुए यूरोप से जोड़ेगा, वहीं दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर होते हुए, दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ेगा।
  - ✓ भूमि पर, इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से, एक नया यूरेशियाई स्थल मार्ग विकसित करना है और साथ ही साथ चीन-रूस-मंगोलिया; चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया और चीन-इंडोचीन प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा को विकसित करना है।

प्रभाव:

- विश्लेषकों के अनुसार ठोस वित्तीय संस्थागत नेटवर्क द्वारा समर्थित 'वन बेल्ट वन रोड' पहल जब कार्यान्वित हो जाएगी तब भू-आर्थिक शक्ति अमेरिका के पाले से यूरेशिया की ओर खिसक जाएगी।
- चीन की इस योजना से तकरीबन 4.4 अरब लोगों या 63 फीसदी वैश्विक जनसंख्या को लाभ होने की संभावना है।
- विश्लेषकों का कहना है कि "बेल्ट और रोड" पहल अमेरिका और उसके सहयोगी दलों के 'एशिया धुरी अथवा पिवोट एशिया' कूटनीति को कमजोर कर सकता है।
- चीनी राष्ट्रपति, ज़ी जिनपिंग को उम्मीद है कि सिल्क रोड अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार अगले 10 वर्षों में 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू सकता है।

इजराइल चुनाव:

- इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी ने देश के चुनाव में शानदार जीत हासिल की।
- नेतनयाहू ने अपने चुनाव प्रचार में सुरक्षा मुद्दों पर बल दिया, जबकि उनके विरोधियों ने निर्वाह व्यय की उच्च लागत पर बल दिया।

आशय

- नेतन्याहू की चौथे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी से मध्य पूर्व एशिया में शांति प्रयासों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है

VISION IAS

और इजराइल का अमेरिका के साथ तनाव और बढ़ सकता है।

- अंतरष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से उस भूमि पर फिलिस्तीनी देश के गठन की मांग कर रहा है, जिस पर 1967 के युद्ध में इसराइल ने कब्जा कर लिया था।
- नेतन्याहू ने इजरायल-फिलीस्तीन संघर्ष का समाधान करने के लिए फिलिस्तीन के गठन की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के परमाणु समझौते का भी विरोध किया है।
- ओबामा के अनुसार फिलिस्तीन का गठन "फिलीस्तीनी आकांक्षाओं,क्षेत्रीय स्थिरता तथा इजरायल की सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम विकल्प है।"

इजराइल की सरकारी प्रणाली

- इजरायल की सरकारी प्रणाली संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। इसराइल में प्रधानमंत्री बहुदलीय. प्रणाली का नेता होता है और सरकार का प्रमुख होता है। कार्यकारी शक्तियां सरकार के पास होती हैं। विधायी शक्तियां इजराइल की संसद नेसेट के पास हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है।
- इजराइल का संविधान लिखित नहीं है। उसकी राजनीतिक प्रणाली 11 प्रमुख आधारभूत कानूनों में निहित हैं।
- नेसेट में 120 सीटों के लिए चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होते हैं और पूरे राष्ट्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।
- नेसेट में सीट पाने के लिए 2013 के चुनावों तक 2% वोट लाना जरूरी था, जो कि 2014 में 3.25% कर दिया गया

भारत की अफ़गान दुविधा

2014 के अंत तक अफगानिस्तान में दो महत्वपूर्ण बदलाव आये।

- पहला राष्ट्रपति हामिद करजई के काल के पश्चात की राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
- दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ने अपने 13 साल के लंबे 'ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ' (Operation Enduring Freedom) को समाप्त कर, अफ़गान सेना और पुलिस बलों को सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंप दी।

राजनीतिक परिवर्तन

अफ़गानिस्तान में पिछले वर्ष राष्ट्रीय एकता सरकार का 29 सितंबर को गठन हुआ जिसमें डा अशरफ गनी ने राष्ट्रपति और डॉ अब्दुल्ला ने सीईओ के रूप में शपथ ली। सीईओ का यह पद नया बनाया गया है, जिसे राष्ट्रपति के समकक्ष माना गया है। इसकी शक्तियों को अभी परिभाषित नहीं किया गया है।

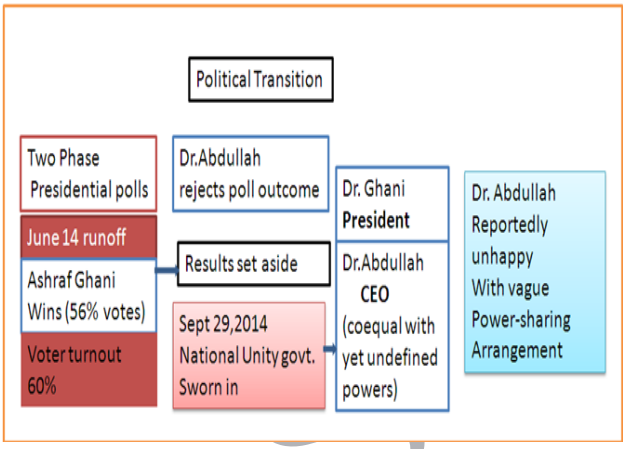

आर्थिक परिवर्तन

- अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर अमेरिका का खर्च करीब 104 अरब डॉलर रहा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 16 यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए चलाये गए मार्शल प्लान पर हुए खर्च की तुलना में थोड़ा ही अधिक है। हालांकि अक्षम वितरण तंत्र, बेकार योजना और प्रशासन पर अत्यधिक खर्च से जमीनी तौर पर काम सिर्फ 25 फीसदी ही हुए।
- कुछ चीज़ों में प्रगति देखी गयी है जैसे प्रत्याशित आयु (40 से 61 साल), साक्षरता (12 फीसदी से 33 प्रतिशत), विशेष रूप से लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति, स्वास्थ्य देखभाल, शहरीकरण, सड़क, मोबाइल, टीवी कवरेज आदि। सकल घरेलू उत्पाद 2 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर हो गया है ,लेकिन जो हासिल किया जा सकता था ,उससे काफी कम हासिल हुआ है।
- विकास योजनाओं को सालाना 5 अरब डॉलर से अधिक की बाहरी सहायता की जरूरत है।
- संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहा ,राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य अभी भी पूर्णत: सशक्त नहीं हुआ है ।अत: अभी भी अस्थिरिता की संभावना विद्यमान है ।
- भारत ने अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने करीब 2 अरब डॉलर की सहायता बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, मानव संसाधन विकास, और मानवीय सहायता के लिए वितरित की है।

पाकिस्तान के साथ रुख में बदलाव

- पाकिस्तान के साथ श्री गनी के दृष्टिकोण में बदलाव शायद अफगानिस्तान की विदेश नीति में सबसे नाटकीय बदलाव है।
- उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ, आई.एस.आई. चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर और दो कोर कमांडरों को काबुल आमंत्रित किया।

VISION IAS

- वे नवंबर में पाकिस्तान गए और रावलपिंडी में सेना मुख्यालय का दौरा किया। श्री गनी इस साल फरवरी में प्रशिक्षण के लिए छह अधिकारियों को एबटाबाद भेजने के लिए राजी हो गए हैं।
- श्री गनी का तालिबान के साथ वार्ता को पुन: आरंभ करने की इच्छा से भी इस इस निकटता का पता चलता है। अब यह इस पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान कैसे वरिष्ठ तालिबान नेताओं को वार्ता के लिए राज़ी करता है और अफगानिस्तान में अपने नियंत्रण वाले समूहों को हमला करने से कैसे रोकता है।
- श्री गनी ने पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान की धरती से संचालित तहरीक-ए-तालिबान उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और तहरीक-ए-तालिबान कैदियों को पाकिस्तान को सौंपा है।

तालिबान से वार्ता

अफगान एकता सरकार और तालिबान के बीच वार्ता की संभावना दिख रही है क्योंकि पाकिस्तानी सेना तालिबान को वार्ता के लिए राज़ी कर रही है।

- चीन की पहल: चीन के रवैये व इस संबंध में उसकी पहल का महत्वपूर्ण योगदान है। चीन अफगानिस्तान के रास्ते से झिंजियांग में आतंकवाद फैलने से चिंतित है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चीन ने हार्ट ऑफ़ एशिया सम्मेलन का नेतृत्व किया और चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान त्रिपक्षीय वार्ता को चालू किया।
- चीनी सरकार भी राष्ट्रपति गनी के साथ काम करने में सहज है।
- अमेरिका ने जनवरी 2012 में कतर में तालिबान को एक मुख्यालय खोलने में मदद की थी । उसके बाद से तालिबान की स्थिति में भी बदलाव आया है।
- पाकिस्तान के रुख में भी बदलाव आया है। 19 फरवरी को पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि तालिबान ने वार्ता के संकेत दिये थे।

यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के निष्पक्ष मध्यस्थ रहने पर एक सफल वार्ता हो सकती है। लोगों को यह उम्मीद कम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की नई एकता सरकार के साथ बेहतर संबंध बहाल कर पायेगा क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में विश्वास की कमी है।

भारत का दृष्टिकोण

- अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका से अफगानिस्तान में भारत की आर्थिक प्रतिबद्धताओं के प्रभावित होने की संभावना है।
- पाकिस्तान चाबहार बंदरगाह परियोजना को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता क्योंकि वह चाहता है कि अफगानिस्तान के लिए वही, एकमात्र प्रवेश द्वार बना रहे और भारत को दूसरा मार्ग ना मिले। हजिगाक में एक इस्पात संयंत्र और चार लौह अयस्क ब्लॉक के विकास और निर्माण की भारत की योजनाओं को भी पाकिस्तान की मौजूदगी से खतरा होगा।
- अफगानिस्तान के राजनीतिक दायरे में भारत के सीमित प्रभाव की वजह से भारत को इस क्षेत्र के किसी अन्य प्रमुख देश से भी हाथ मिलाने की जरूरत है।
- भारत, तालिबान और गनी की टीम के बीच की वार्ता और इसमें पाकिस्तान की भूमिका पर भी कड़ी नजर रखे हुए है।
- अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से पाकिस्तान असहज था,जो कि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित थी।

नया मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ,जिसके तहत केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के लक्ष्यों- ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन की तुलना में मूल्य वृद्धि नियंत्रण को प्राथमिकता देगा।

मौद्रिक नीति की नयी रूपरेखा रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी एक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निर्मित की गयी है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य: मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

समझौते की मुख्य बातें

- इसके तहत निम्नलिखित लक्ष्य होंगे:
  - ✓ जनवरी 2016 तक रिज़र्व बैंक मुद्रा स्फीति की दर को 6% तक लाने का प्रयास करेगा।
  - ✓ वित्तीय वर्ष 2016-2017 और उसके अनुवर्ती वर्षों के लिए यह लक्ष्य 4% (+2% बैंड) होगा।
- गवर्नर और उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति का प्रभारी होगा, जो लक्ष्य को अर्जित करने के लिए नीतिगत दरों एवं अन्य मौद्रिक नीति संबंधित उपकरणों का निर्धारण करेगा।
- मौद्रिक नीति की कार्यान्वन प्रक्रिया:
  - ✓ रिज़र्व बैंक क्रियान्वित किये जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करेगा तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने के लिये क्रियान्वयन प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करेगा। बदलती समष्टिगत वित्तीय स्थिति के साथ क्रियान्वयन किये जाने वाले लक्ष्यों और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रकशित किया जायेगा।
- प्रत्येक 6 माह में रिज़र्व बैंक एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा जिसमें निम्न बातों की व्याख्या होगी:
  - ✓ मुद्रास्फीति का स्रोत;
  - ✓ दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि के 6 माह से लेकर 18 महीने की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान।

आर्थिक परिदृश्य आधारित (लोचदार) मुद्रास्फीति लक्ष्य

- ✓ रिज़र्व बैंक को लक्ष्य प्राप्ति में असफल समझा जायेगा, यदि मुद्रास्फीति :
  - ✓ किसी वित्तीय वर्ष या अनुवर्ती वर्ष की लगातार तीन तिमाही तक 6% से अधिक रहती है।
  - ✓ वित्तीय वर्ष 2016-2017 या उसके सभी अनुवर्ती वर्षों में लगातार तीन तिमाही तक 2% से कम रहती है।
  - ✓ लक्ष्य प्राप्ति में असफलता: यदि रिज़र्व बैंक लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहता है, तो वह सरकार के सम्मुख एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्न बातें होगी:
  - ✓ लक्ष्य को अर्जित करने में इसकी असफलता के कारण,
  - ✓ रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा सकने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय
  - ✓ उपचारात्मक उपायों के समयबद्ध क्रियान्वन के द्वारा लक्ष्य अर्जित किये जाने हेतु एक समय सीमा का अनुमान।
- समझौते के व्याख्या और उसके कार्यान्वन से संबंधित कोई भी विवाद गवर्नर और सरकार के बीच बैठक द्वारा सुलझाया जायेगा।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण INFLATION ARGETING)

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ,मूल्यों को एक निश्चित स्तर या एक विशेष परास में बनाये रखने के लिए केन्द्रीय बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाली मौद्रिक रणनीति है। ब्याज दरों में परिवर्तन जैसी प्रविधियों का प्रयोग कर यह मुद्रास्फीति को एक लक्षित स्तर अथवा सीमाओं में बनाये रखती है।
- यह रणनीति मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु अभिकल्पित की गयी है।
- मुद्रा लक्ष्यीकरण के अंतर्गत आरबीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति की एक निश्चित दर को लक्षित करेगा।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

सरकार इस समझौते के कार्यान्वन के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन करेगी। इस अधिनियम में संशोधन से पूर्व, आरबीआई और सरकार के बीच मौद्रिक नीति समिति के संघटन को लेकर समझौता होना है।

मौद्रिक नीति समिति स्थापित करने हेतु वर्तमान में दो प्रतियोगी प्रस्ताव चर्चा में हैं: एक वित्त मंत्रालय द्वारा गठित बाह्य पैनल द्वारा सुझाया गया है तो दूसरा आरबीआई द्वारा प्रस्तावित है।

- इस संदर्भ में आरबीआई पैनल के प्रस्ताव के मुख्य बिंदु:
  - ✓ पांच सदस्यीय समिति

VISION IAS

- ✓ चेयरमैन: आरबीआई गवर्नर
- ✓ वाईस चेयरमैन: मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर
- ✓ मौद्रिक नीति का कार्यकारी निदेशक
- ✓ आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर द्वरा चुने गये 2 बाहरी सदस्य
- ✓ प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत प्राप्त होगा

- चेयरमैन के पास वीटो शक्ति नही होगी।
- वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग का प्रस्ताव: 7 सदस्यीय पैनल

- ✓ आरबीआई गवर्नर
- ✓ आरबीआई बोर्ड का एक कार्यकारी सदस्य
- ✓ सरकार द्वारा चयनित 3 बाहरी सदस्य
- ✓ आरबीआई गवर्नर के साथ परामर्श के बाद सरकार द्वारा चयनित 2 बाहरी सदस्य
- ✓ सरकारी प्रतिनिधि ,मताधिकार के बगैर बैठक में भाग ले सकेंगे
- ✓ आरबीआई गवर्नर को पैनल के मत पर वीटो करने का अधिकार होगा, परन्तु उसे इसका कारण बताते हुए सार्वजनिक वक्तव्य जारी करना होगा।
- ✓ प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत प्राप्त होगा।

विश्लेषण

- मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय ,सरकार और केंद्रीय बैंक के नीति निर्माणकारी भूमिका को और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करेगा।
- **विस्तृत जवाबदेही :** अब यदि केंद्रीय बैंक पूर्व निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है, तो वह पहले की अपेक्षा अधिक जवाबदेह होगा।
- आरबीआई किसी विशिष्ट नीतीगत दर के लिए कारण स्पष्ट करेगा।
- मौद्रिक नीति समिति के संघटन से यह निर्धारित होगा कि क्या आरबीआई की स्वतंत्रता बरक़रार रहती है ?या ब्याज दरों के निर्धारण में सरकार के मत को भी मान्यता मिलती है?।
- कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मौद्रिक नीति समिति को स्वतंत्र तथा स्वायत्त होना चाहिए एवं ऐसे सदस्यों से नहीं बना होना चाहिए जो सरकार द्वारा अनुग्रहित हों। इसे ऐसी समिति नहीं होना चाहिए जिसके अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नामित हों। यह संस्थात्मक स्वायत्तता एवं सक्षमता के लिए एक प्रतिगामी कदम होगा। इस प्रकार के निर्णयों को अल्पकालिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होने चाहिये । साथ ही ब्याजदरों का निर्धारण सरकार की प्राथमिकताओ से तय नहीं होना चाहिए।
- मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। इससे इसमें सरकार को भी अपना मत व्यक्त करने का मौका मिल पायेगा।
- मौद्रिक नीति समिति की स्थापना अंतरष्ट्रीय व्यवहृत प्रक्रियाओं के अनुरूप ही है।
- मौद्रिक नीति के आलोचक तर्क देते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति मुख्यत: खाद्य और ईंधन की कीमतों से निर्धारित होती है जिसमें मौद्रिक नीति का प्रभाव बहुत सीमित रहता है। अत: इस बात की अधिक संभावना है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण विकसित देशों की भांति भारत के लिए उतना उपयोगी न हो।

आईएमएफ द्वारा भारत की वृद्धि दर अनुमान में बढ़ोत्तरी

अन्तरष्ट्रिीय मुद्रा कोष ने अनुमानित किया है कि सकल घरेलु उत्पाद मापने की नयी प्रविधि के अनुसार चालू वर्ष के 7.2% की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भारत की वृद्धिदर 7.5 प्रतिशत रहेगी। हालाँकि, 2015 के बजट में सरकार द्वारा 2015-16 के लिए अनुमानित विकास दर 8.5% है।

- रिपोर्ट में किये गए कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षण
- रिपोर्ट के अनुसार भारत की सुभेद्यता अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कम हुई है और पुन: सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है।
- विश्वास बढ़ाने वाले सकरात्मक नीतिगत कृत्यों तथा निम्न वैश्विक तेल मूल्यों की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरोत्थान हो रहा है। इस रुझान को बनाये रखने के लिए भारत को निवेश चक्र को ऊर्जावान बनाना होगा तथा संरचनात्मक सुधारों की गति तीव्र करनी होगी।
- आईएमएफ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का नक्शा सुधरने की एक वजह, आर्थिक उत्पादन मापने के तरीके में सुधार करना भी रहा है।
- आईएमएफ ने यह चेतावनी भी दी है कि भारत के बाह्य असंतुलन के कम होने तथा बफर के मजबूत होने के बावजूद वैश्विक वित्तीय बाज़ार की अनिश्चितताओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सिफारिशें

- मुद्रास्फीति में वृद्धि को लम्बे समय तक नियंत्रित रखने के लिए केंद्रीय बैंक को कठोर मुद्रा नीति अपनाना चाहिए।
- रिपोर्ट ने 6 मुख्य सुधार बिंदु सुझाये हैं:
  - ✓ ऊर्जा, खनन और विद्युत के क्षेत्र के मार्ग के अवरोधों का निवारण करना।
  - ✓ अवसंरचना क्षेत्र में आवश्यक और उपलब्ध पूंजी के बीच, अंतर को पाटने के लिए निवेश को बढ़ावा देना।
  - ✓ भू-अधिग्रहण तथा पर्यावरण क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल तथा तीव्रतर बनाने हेतु कदम उठाना।
  - ✓ खाद्यान्न खरीद, वितरण और भण्डारण की सार्वजनिक प्रणाली में उच्चतर दक्षता हेतु कृषि क्षेत्र में सुधार करना।
  - ✓ रोज़गार के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहन तथा कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की निम्न भागीदारी की समस्या को दूर करने के लिए श्रम बाज़ार को और लचीला बनाना।
  - ✓ कुशल श्रम की बढ़ती कमी से निपटने के लिए शिक्षा में सुधार।

रेलवे द्वारा जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर

रेल मंत्रालय और भारतीय जीवन बीमा निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ है।

- इस समझौता ज्ञापन के तहत जीवन बीमा निगम रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वन के लिए अगले 5 साल में रेल मंत्रालय तथा इसकी इकाइयों को 1,50,000 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- यह वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2015-16 से उपलब्ध होगी।
- इससे रेल मंत्रालय को अपनी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वन हेतु संसाधन संवर्धन में सहायता मिलेगी।
- यह निवेश रेलवे की विभिन्न इकाइयों जैसे भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा जारी बांड द्वारा किया जायेगा।

प्राथमिकता आधारित ऋण(प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग):

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता आधारित ऋणों के विषय-क्षेत्र में वृद्धि करते हुए निम्नलिखित नयी श्रेणियों का इसमें समावेश किया है:
  - ✓ स्वच्छता
  - ✓ स्वास्थ्य देखभाल और पेयजल सुविधाएं
  - ✓ नवीनीकरणीय ऊर्जा।

आरबीआई पैनल की अन्य संस्तुतियां

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पुनर्परिभाषित प्राथमिकता आधारित ऋणों का लक्ष्य एक समान रूप से समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन पत्र से पृथक जोखिम ऋण के समतुल्य (सीईओबीई) का अथवा दोनों में से जो भी उच्च हो, का 40% रखा गया है।
- सभी विदेशी बैंकों को (उनकी शाखाओं की संख्या का ध्यान किये बिना) घरेलु बैंकों के समरूप ही माना जायेगा और उनके लिए भी सामाजिक-आर्थिक विकास के समान लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे।
  - ✓ इसने सुझाव दिया है कि 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित के लिए मार्च 2018 तक का समय दिया जा सकता है।
  - ✓ अन्य बैंकों जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं को संशोधित लक्ष्यों के संदर्भ में अपने द्वारा प्रस्तुत की गयी तथा आरबीआई द्वारा

VISION IAS

अनुमोदित की गयी कार्ययोजना के अनुपालन के लिए मार्च 2020 तक का समय दिया जाना चाहिए।

- कृषि के लिए ऋण का लक्ष्य एएनबीसी के 18% तक बनाये रखा गया है। परन्तु छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए एक 8% का उप-लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु सुझाया गया है।

प्राथमिकता आधारित ऋण: प्राथमिकता आधारित ऋण कम मूल्य के ऋण होते हैं, जो कृषि तथा संलग्न गतिविधियों के लिए किसानों को, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को, आवास के लिए गरीबों को, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तथा अन्य निम्न आय समूहों तथा कमजोर वर्गों को दिए जाते हैं। प्राथमिकता आधारित क्षेत्र अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्रक है जो संभवत: इस विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर तथा पर्याप्त ऋण नहीं जुटा पाते।

प्राथमिकता आधारित क्षेत्र

- कृषि
- सूक्ष्म और लघु उद्यम
- शिक्षा (बैंक द्वारा दिए जाने वाले व्यक्तिगत शैक्षिक ऋण)
- आवास
- निर्यात ऋण
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन
- उपभोक्ता ऋण (कमजोर वर्गों के लिए उपभोक्ता ऋण योजना के तहत)
- सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए ऋण (बैंकिंग क्षेत्र से ऋण 1 करोड़ की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए)
- बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खुले खातों पर 5000 तक के ओवरड्राफ्ट भी प्राथमिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने के योग्य होंगे।

प्रावधान

- घरेलु बैंकों (सार्वजनिक एवं निजी दोनों) को अपने शुद्ध बैंक ऋण(NBC) का 40% आरबीआई द्वारा परिभाषित प्राथमिकता आधारित क्षेत्र को देना होगा। विदेशी बैंकों के लिए यह आवश्यकता 32% की है।
- घरेलु बैंकों को अपने NBC का 18% कृषि तथा 10% कमजोर वर्गों को ऋण के तौर पर देना होगा। जबकि विदेशी बैंकों को NBC का 10% लघु उद्योगों तथा 12% निर्यात ऋण के तौर पर उधार देना होगा।

आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुख्य नीतिगत दर में 25 आधार बिन्दुओं की कटौती की है। तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की कटौती की गई है, जिससे यह 7.75% से घटकर 7.50% हो गई है।

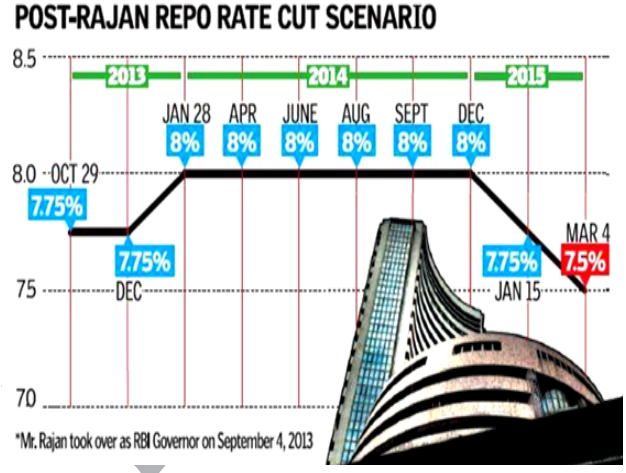

हालाँकि आरबीआई ने अनुसूचित बैंकों के लिए नगद आरक्षित अनुपात को शुद्ध मांग तथा समय उत्तरदायित्व (NDTL) का 4% पर अपरिवर्तित रखा है।

दर कटौती के कारण

- उपभोक्ता मुद्रास्फीति में गिरावट: जनवरी 2015 में नये सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति 5.1% थी जो कि जनवरी 2015 हेतु स्फीति के लक्ष्य 8% से काफी कम थी।

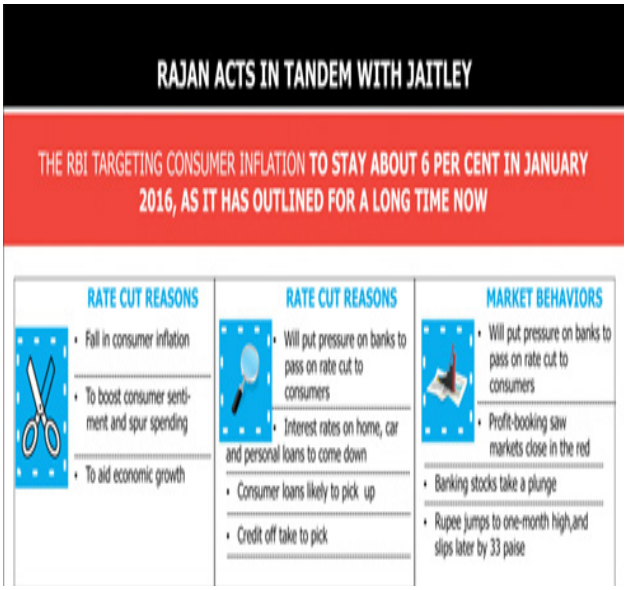

- उपभोक्ता को सकारात्मक अनुभूति कराने,प्रोत्साहित करने के लिए तथा व्यय में वृद्धि करने के लिए।

VISION

- आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए।
- तुलनात्मक रूप से वास्तविक बजट अनुमान और आपूर्ति पक्ष आधारित दबाव कम करने के प्रयास।
- अंतर्राष्ट्रीय कारक – चीन, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पाकिस्तान और मिश्र इत्यादि देशों के केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों में कटौती की है। यूरोप के कई केंद्रीय बैंको ने अपनी दरों को शुन्य से भी नीचे निर्धारित किया है।

निहितार्थ

- बैंकों पर उपभोक्ताओं तक दरों में कटौती का फायदा पहुँचाने का दबाव पड़ेगा।
- मकान, कार और व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज दरों में गिरावट आएगी।
- उपभोक्ता ऋणों में वृद्धि की संभावना।
- क्रेडिट ऑफ टेक में वृद्धि की संभावना।

1 रुपये के नोट का विमोचन

- 20 वर्ष से अधिक के समयांतराल के बाद 1 रुपये के नोट का विमोचन किया गया। नोट को वित्त सचिव राजीव महर्षि द्वारा 6 मार्च को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर परिसर में विमोचित किया गया।

पृष्ठभूमि:

- नवम्बर 1994 में मुख्यत: उच्च लागत के कारण तथा उच्च मूल्य के नोटों की छपाई को पूरी क्षमता के साथ कर पाने के लिए1 रुपये मूल्य के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
- 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य के नोटों की छपाई भी 1995 में रोक दी गयी थी। तब से इस मूल्य के लिए केवल सिक्के ही जारी किये जाते रहे हैं।

विवरण:

- आरबीआई ने कहा है कि जारी किये जाने वाले नोट टंकण अधिनियम, 2011 के अनुसार विधिक मुद्रा होंगे।
- आरबीआई के अनुसार नोट पर बिना सत्यमेव जयते शब्दों के अशोक चिह्न होगा और साथ ही इसके केंद्र में छुपा हुआ अंक तथा नोट के सीधे हाथ की तरफ छिपा हुआ शब्द भारत (हिंदी में) लिखा होगा।
- पुनर्विमोचित एक रुपये का नोट शत प्रतिशत कपास रैग के अवयवों से बनाया जायेगा।
- प्रति वर्ग मीटर इसका वजन 90 ग्राम होगा तथा इसकी मोटाई 110 माइक्रोन होगी।
- एक रुपये के नोट का रंग अन्य रंगों के मिश्रण के साथ आगे एवं पीछे से मुख्यत: गुलाबी तथा हरा होगा।

अतिरिक्त जानकारी:

- एक रूपये मूल्य के नोट की छपाई भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
- नोट पर वित्त सचिव के द्विभाषी हस्ताक्षर होंगे।
- भारत में अन्य मूल्य के नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
- नोट के आसपास की डिजाइन में सागर सम्राट- तेल अन्वेषण प्लेटफार्म का चित्र होगा।

ट्रेन टिकटों के लिए गो इंडिया स्मार्ट कार्ड

'गो-इंडिया' स्मार्ट कार्ड योजना प्रायोगिक आधार पर दो क्षेत्रों अर्थात नई दिल्ली- मुंबई और नई दिल्ली-हावड़ा पर आरम्भ की गई है। वर्तमान में गो-इंडिया स्मार्ट कार्ड यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकट के लिए भुगतान करने में समर्थ बनाता है।

मुख्य विशेषताएं:

- प्रारंभ में कार्ड को न्यूनतम 70 रूपये भुगतान करके जारी कराया जा सकता है जिसमें यात्री को 20 रुपये का बैलेंस प्राप्त होता है। उसके पश्चात् कार्ड को 20 रुपये या 50 रूपये के गुणक में 5000 रूपये तक की राशि से रिचार्ज किया जा सकता है।
- गो इंडिया स्मार्ट कार्ड की अधिकतम सीमा 10000 रुपये की है।
- गो-इंडिया स्मार्ट कार्ड की वैधता जीवन भर की है। अंतिम लेन-देन की तिथि से लगातार 6 माह तक प्रयोग न किये जाने पर स्मार्ट कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जायेगा जिसे सक्रियता शुल्क के रूप में 50 रुपये भुगतान कर पुन: सक्रिय किया जा सकता है।
- **प्रभाव:** चूँकि यह नकद रहित हस्तांतरण में सहायक होता है, अत: यह बुकिंग काउंटर पर हस्तांतरण में लगने वाला समय घटाकर यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा।

स्वर्ण धातु खाता योजना

स्वर्ण शोधक संस्था एमएमटीसी-पीएएमपी द्वारा स्वर्ण धातु खाता योजना प्रारम्भ की गयी है। यह योजना छोटे उपभोक्ताओं के द्वारा धारित स्वर्ण को गतिशील बनाने का प्रयास है। भारत विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ताओं में से एक है तथा भारत के द्वारा प्रतिवर्ष ,800—1000 टन स्वर्ण का आयात होता है। यद्यपि भारत में स्वर्ण का भंडार 20000 टन से भी ज्यादा होना अनुमानित है, परन्तु इस स्वर्ण के अधिकांश हिस्से को न तो व्यापार में काम लिया जाता है न ही इसका मौद्रिकीकरण किया जाता है।

VISION IAS

योजना के पीछे विचार

- भारतीय घरों में निष्क्रिय पड़े लगभग 20000 टन स्वर्ण के एक हिस्से को तरलता प्रदान करना।
- बाज़ार में स्वर्ण उपलब्धता बढ़ाना।
- उच्च स्वर्ण आयात के कारण चालू खाते के घाटे में वृद्धि के भय को कम करना।
- स्वर्ण आयात पर अंकुश लगाना।

योजना का विवरण

- स्वर्ण आधारित बचत खाता को रुपये वाले बचत खाते की तरह ही व्यवहृत किया जायेगा, जो ब्याज भी अर्जित करेगा और प्रबंधन में भी उतना ही आसान होगा।
- कंपनी की प्रस्तावित स्कीम न्यूनतम 50 ग्राम स्वर्ण जमा करने का प्रावधान करती है, जो कि 90% भारतीय उपभोक्ताओं के प्रोफाइल के अनुरूप हैं।
- परिपक्व होने पर ब्याज रूपये के रूप में न चुकाकर स्वर्ण के रूप में चुकाया जाता है और अंतत: निवेशक के खाते में और अधिक स्वर्ण होता है।

एमएमटीसी-पीएएमपी इंडिया: एमएमटीसी (भारत सरकार का एक उपक्रम) और पीएएमपी स्विट्ज़रलैंड (एक बुलियन ब्रांड) की निजी स्वामित्व वाली कीमती धातु शोधन कंपनी के बीच संयुक्त उपक्रम है।

बजट में घोषित कदम

स्वर्ण आयात पर अंकुश लगाने और निष्क्रिय पड़े स्वर्ण का मौद्रिकीकरण करने के लिए वित्त मंत्री ने 3 योजनाओं की घोषणा की है:

- स्वर्ण मौद्रिकिकरण योजना
- संप्रभु स्वर्ण बांड
- निश्चित ब्याजदर वाले विमोच्य स्वर्ण बांड।

स्वर्ण मौद्रिकीकरण योजना

यह नई योजना स्वर्ण जमाकर्ताओं को उनके धातु खाते पर ब्याज प्राप्त करने तथा ज्वेलर्स को अपने धातु खाते पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा देगी। बैंक/ अन्य विक्रेता भी इस स्वर्ण का मौद्रिकीकरण करने में समर्थ होंगे।

संप्रभु स्वर्ण बांड

यह बांड एक निश्चित ब्याज दर धारित करेगा और बांडधारक द्वारा बांड विमुक्ति के समय स्वर्ण के मूल्य के बराबर नगद भुगतान मुद्रा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह स्वर्ण के प्रत्यक्ष मूल्य पर नकद में विमुक्त किया जा सकेगा।

अन्य कदम

- सरकार शीघ्र ही एक भारतीय स्वर्ण सिक्के के विकास पर काम करेगी, जिसके मुख पर अशोक चक्र अंकित होगा।
- यह सिक्का भारत के बाहर ढाले गये सिक्कों की मांग कम करने में सहायक होगा और साथ ही भारत में उपलब्ध स्वर्ण के पुन:चक्रण में मदद करेगा।
- सरकार ने स्वर्ण के आयात पर आयात कर को 10% पर अपरिवर्तित रखा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुमान

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमानित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2015-16 में 7.8 प्रतिशत और 2016-17 में चीन को पीछे छोड़ते हुए 8.2% की दर से बढ़ेगी।

महत्वपूर्ण अनुमान

- मौद्रिक नीति में ढील दिए जाने की संभावना(easing) और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर उच्च पूंजीगत व्यय के कारण ,भारतीय विकास दर 2014-15 में 7.4% से बढ़ जाएगी।
- चीन की, वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में रही , 8.5% की औसत वृद्धि दर ,घटकर इस वर्ष 7.2% और 2016 में 7% रह जाएगी।

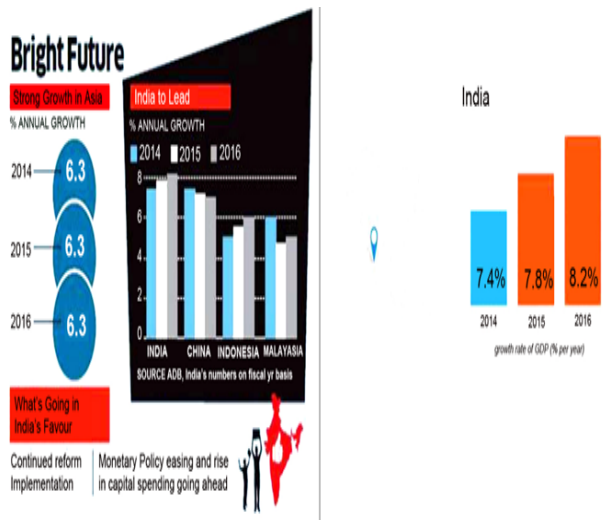

- विकासशील एशिया में इस वर्ष तथा अगले वर्ष वृद्धि की दर धीमी रहेगी। भारतीय विकास दर में वृद्धि, वस्तुओं के सस्ते मूल्य और पश्चिमी विश्व में बढ़ती मांग से इस क्षेत्र को सहायता मिलेगी।
- अगले 2 वर्षो तक यह क्षेत्र औसतन 6.3% की दर से बढ़ता रहेगा किन्तु यह दर 2009 तथा 2013 के बीच प्राप्त औसत वृद्धि दर 6.7% से कम रहेगी।

VISION IAS

- निम्न तेल मूल्य के कारण विकासशील एशिया में मुद्रास्फीति गत वर्ष के 3.1% से घटकर 2.6% रह जाएगी।
- एडीबी के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (एडीओ) 2015 ने अनुमानित किया है कि विकासशील एशिया 2015 तथा 2016 में 6.3% की स्थिर दर से वृद्धि करेगा।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

- एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 22 अगस्त 1966 को एशिया के आर्थिक विकास में सहायक होने के लिए की गई थी। फिलिपिन्स के मनीला में इसका मुख्यालय है।
- एडीबी को विश्व बैंक के मॉडल पर बनाया गया है। इसकी मतदान प्रणाली भी समान है जहाँ मताधिकार सदस्यों के पूंजी अंशदान के अनुपात में वितरित किये गए हैं।
- वर्तमान में जापान 15.67% के साथ सबसे बड़ा अंशधारक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंशधारिता 15.56%, चीन की 6.47%, भारत की 6.36%% और ऑस्ट्रेलिया की 5.81% है।

उद्देश्य: एशिया के देशों के आर्थिक विकास में सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाना। साथ ही इसका लक्ष्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त कराना है ।

सदस्य:

- वर्तमान में इसमें 67 सदस्य देश हैं- जिनमे से 48 एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
- एडीबी को विश्व बैंक के मॉडल पर बनाया गया है। इसकी मतदान प्रणाली भी विश्व बैंक के समान है जहाँ मताधिकार ,सदस्यों के पूंजी अंशदान के अनुपात में वितरित किये गए हैं।

वित्तीयन:

- एडीबी संसाधन जुटाता है:
- वैश्विक पूंजी बाज़ारों में बांड जारी करके,
- सदस्यों के योगदान से,
- ऋण वितरण गतिविधियों तथा ऋणों की अदायगी से प्राप्त हुई आय ।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स

- इसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक प्रतिनिधि होता है। बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स बैंक के प्रतिनिधि का चुनाव भी करता है, जो कि, निदेशकों के बोर्ड का चेयरमैन होता है और एडीबी का प्रबंधन करता है।
- एडीबी के 67 सदस्यों द्वारा एक वैकल्पिक बोर्ड ऑफ़ गवर्नर को नामित किया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष एक सदस्य देश में होने वाली वार्षिक औपचारिक बैठक में उनका प्रतिनिधित्व करता है।
- **ऋण:** यह पांच मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करते हुए कठोर तथा उदार ऋण दोनों उपलब्ध कराता है। ये क्षेत्र हैं;अवसंरचना, जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण, क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण, वित्तीय क्षेत्रक विकास और शिक्षा।

रुपे डेबिट कार्ड

रेल मंत्रालय ने यात्रियों द्वारा टिकट की बुकिंग के लिए एक नयी डेबिट कार्ड सेवा प्रारंभ की है।

- रुपे प्रीपेड कार्ड सेवा ,आईआरसीटीसी द्वारा यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ मिलकर विकसित की गई है।
- रुपे, भारत का स्वदेशी कार्ड पेमेंट गेटवे नेटवर्क है, जिसे वीज़ा तथा मास्टर कार्ड के आधार पर विकसित किया गया है जो डेबिट कार्ड सेवा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को वैकल्पिक प्रणाली उपलब्ध करता है।
- रेलवे ऐसे प्रत्येक कार्ड द्वारा आईआरसीटीसी पर टिकट की खरीद के लिए शुरूआती 6 माह में प्रारंभिक 5 लेनदेन पर कोई हस्तांतरण शुल्क नहीं लगाएगा। मुफ्त उपयोग की सीमा समाप्त होने पर प्रत्येक अनुवर्ती हस्तांतरण के लिए उपभोक्ता पर 10 रूपये का शुल्क लगाया जाएगा।
- किसी व्यक्ति के कार्ड की धारित सीमा, आंशिक के वाई सी के साथ 10000 रूपए और पूर्ण के वाई सी के साथ 50000 रुपये होगी।

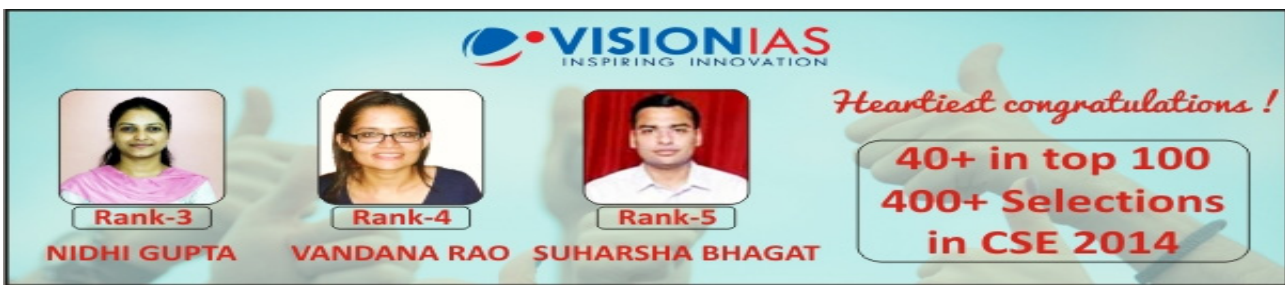

सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

बालिका शिक्षा में वृद्धि के लिए डिजिटल लैंगिक एटलस

परिप्रेक्ष्य

भारत ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लड़कियों की उच्च नामांकन दर अर्जित कर ली है। हालाँकि, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन निम्न रहा है। किन्तु देश में ऐसे अनेक राज्य हैं,जिनका प्रदर्शन अपेक्षा से निम्न रहा है । अभी तक सभी लड़कियां विद्यालय में नहीं पहुंची है । यह तथ्य निम्न ग्रामीण महिला साक्षरता दर , विशेष फोकस जिलों(एस एफ डी) तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति, विद्यालय में लड़कियों की कम उपस्थिति दर और विद्यालय से बाहर लड़कियों की संख्या और अनुपात द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है।

- आंकड़ों द्वारा बालिका शिक्षा के विषय में जो कुछ भी व्यक्त किया गया है, उसे लक्षित नियोजन ,प्रभावी कार्यान्वन तथा अधीक्षण के मार्ग मे आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए और अधिक विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता है।
- इस पृष्ठभूमि में देश का एक लैंगिक एटलस विकसित किया जा रहा है । यह जिन बालिकाओं के विकास पर अभी भी तत्काल और अनिवार्य रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ,उनकी भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करता है।
- लैंगिक एटलस, उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है और यह प्रस्तुत समस्या के समाधान के मार्ग में उपस्थित चुनौतियों और उनके लिए आवश्यक रूप से उठाये जाने वाले कदमों की ओर संकेत करता है।
- इसे एक प्रबंधन उपकरण के रूप में देखा जा रहा है ,जो कि, बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों के संबंध में उठाये गए कदम और जिन कदमों को उठाये जाने की आवश्यकता है ,दोनों ही पक्षों को चिन्हित करेगा।

एटलस के उद्देश्य

- बालिकाओं से संबंधित विकासात्मक क्षेत्रो में निम्न प्रदर्शन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करना; विशेषकर सीमान्त समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यक लड़कियों के लिंग संबंधी शिक्षा संकेतकों के संदर्भ में।
- विकलांग लड़कियों सहित सामाजिक परिदृश्य में उपेक्षित लड़कियों के लिए समतापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। लैंगिक एटलस एक प्रभावी प्रबंधन उपकरण के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यह निम्न प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने तथा आवश्यक कार्यवाही करने में सहायक होगा।

मुख्य विशेषताएं

- यह एटलस राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर लिंग संबंधित संकेतकों की एक तुलनात्मक संयुक्त सूचकांक आधारित चतुर्थक रैंकिंग प्रदान करता है।

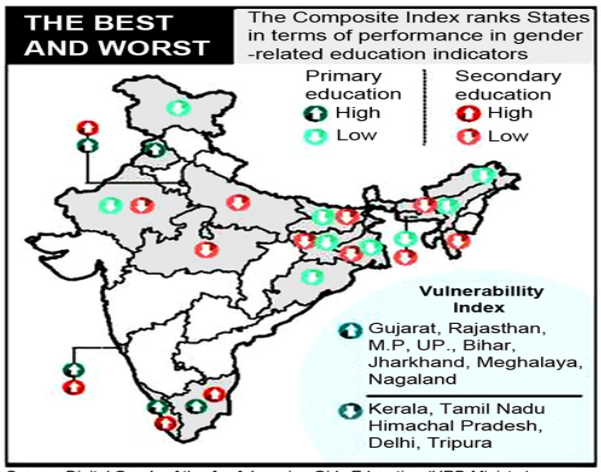

Source: Digital Gender Atlas for Advancing Girls Education (HRD Ministry)

- एटलस एक समयांतराल में ,लैंगिक विकास संबंधी अलग-अलग बिन्दूओं पर किये गए प्रदर्शन को रेखांकित करने और प्रवृत्ति विश्लेषण को संभव बनाता है।
- ई-एटलस को अपनी गतिशील चरित्र को बनाए रखने के लिए तथा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा आकड़ों को अद्यतन करने की पूर्वनिर्मित गुंजाइश के साथ एक खुले स्रोत मंच (ओपन सोर्स प्लेटफार्म) पर निर्मित किया गया है।
- लिंग आधारित शिक्षा संकेतकों में दिल्ली, केरल और तमिलनाडु भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले राज्य है।
- लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों के जिला स्तरीय आकड़ों के प्रयोग द्वारा, सरकार सार्वाधिक फोकस की आवश्यकता वाले ,देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना चाहती है।
- यद्यपि यह एटलस सरकारी एजेंसियों द्वारा पहले से संकलित किये गए आकड़ों का प्रयोग करता है; परन्तु यह 4-अक्षों पर आधारित; {पहुँच, अवसंरचना, शिक्षक, प्रतिफल (आउटकम)} होने के साथ बालिका शिक्षा से संबंधित 21 संकेतकों का प्रयोग कर ,एक नये संयुक्त सूचकांक की रचना करता है।
- यह एटलस उन कारकों जो बालिका शिक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे- कम उम्र में कार्यशील जनसंख्या में शामिल होने की संभावना और कम उम्र में विवाह, के आधार पर एक सुभेद्यता सूचकांक भी तैयार करता है।

VISION

मुस्लिम आरक्षण

- महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा में मुस्लिमों के लिए उपलब्ध 5% आरक्षण को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया है।

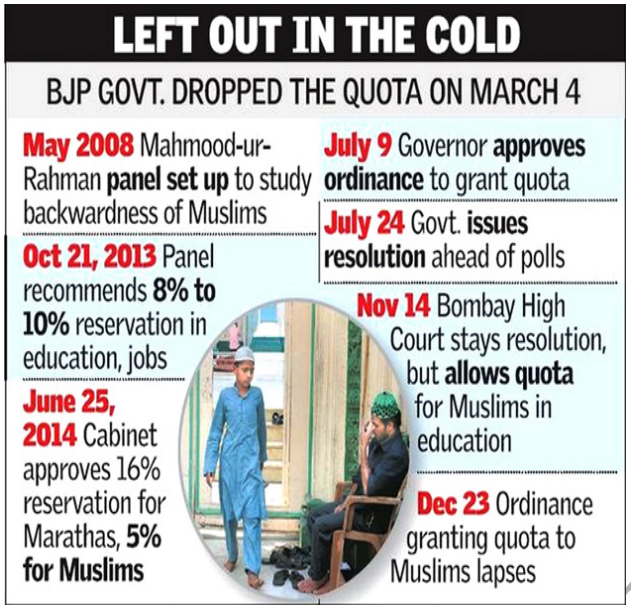

- 2014 में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मराठा और मुस्लिमों के लिए क्रमशः 16% और 5% आरक्षण की घोषणा की थी। तब इसे चुनौती देने के लिए न्यायालय में अनेक याचिकायें दाखिल की गयी। उसके पश्चात् न्यायलय ने मराठों के लिए आरक्षण रद्द कर दिया, परन्तु मुस्लिमों के लिए रोजगार में आरक्षण रद्द कर शिक्षा में आंशिक आरक्षण को बनाये रखा।

विश्लेषण

- भारतीय संविधान केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित करता है। हालाँकि कई न्यायालयों ने यह स्वीकार किया है कि जब आरक्षण किसी धार्मिक समुदाय के अन्दर निहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए उपसमूह से सम्बंधित हो तथा इस संबंध में पर्याप्त संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध हो, तब वंचित वर्ग के उत्थान के लिये आरक्षण प्रदान किया जा सकता है ।
- महाराष्ट्र के मामले में आरक्षण मुस्लिम समुदाय के अन्दर पहचाने गये 50 उप-समूहों को प्राप्त है।
- तमिलनाडु में मुस्लिमों के लिए 3.5% आरक्षण बिना किसी बाधा के लागू किया जा रहा है क्योंकि यह उन पर उनके सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण लागू है न कि उनके धर्म के आधार पर।
- सच्चर समिति, रंगनाथ मिश्रा समिति, महमूद-उर-रहमान अध्ययन समूह, सभी ने यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें पंथनिरपेक्ष शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

भारत मातृत्व अधिकार के मामले में लक्ष्य से पीछे

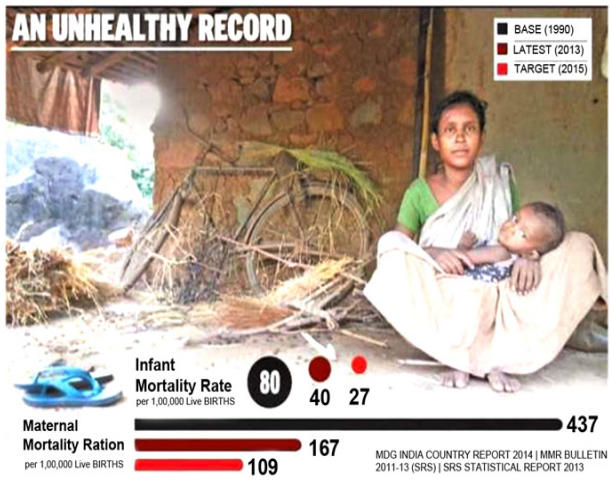

- भारत, मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने के मामले में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से काफी पीछे है।
- नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस आर एस) 2013 के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 167 और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 40 थी, जिनमे से अधिकांश बच्चों की मृत्यु जन्म के 7 दिन के भीतर हुई थी।
- भारत की उच्च मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर का एक कारण निदान में देरी और स्वस्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच है।
- तीसरे जिला स्तरीय कुटुंब सर्वे के अनुसार, भारत की एक चौथाई महिलाओं को पूर्व प्रसव सुविधा सुलभ नहीं होती और 2 सप्ताह तक की प्रसव—पश्चात् सेवा भी 50% महिलाओं को सुलभ नही होती।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना

2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) प्रारंभ की गयी थी। एकीकृत बाल विकास योजना के मंच का प्रयोग करते हुए इस कार्यक्रम को देश 53 जिलों में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया था।

- **योजना से लाभ:**
  - ✓ IGMSY विश्राम तथा स्वस्थ खान-पान आदतों को बढ़ावा देने तथा साथ ही स्वास्थ्य सेवा के पूर्ण उपयोग के लिए के लिए गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को

VISION

जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक राशि की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करता है ।

- ✓ इस योजना के अंतर्गत, सरकार (केंद्र या राज्य) अथवा लोक उपक्रम में कार्यरत महिलाओं के अतिरिक्त 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित जन्मों के लिए प्रति जन्म 4000 रुपये तीन किश्तों में दिए जाते हैं।
- ✓ यह योजना समय पर पंजीयन, सम्पूर्ण टीकाकरण, परामर्श सत्र में उपस्थित होना और बच्चे को केवल स्तनपान कराने की शर्त पर उपलब्ध है।
- ✓ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 में मातृत्व की स्थिति में आवश्यक न्यूनतम सुविधा प्रदान करने की बात की गयी है । इसी के अनुफलन में IGMSY के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन की राशि को सितम्बर 2013 में 4000 रुपये से बढाकर 6000 रुपये कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2015-16 में IGMSY को 200 अतिरिक्त उच्च भारित जिलों में विस्तार करने की घोषणा की है।

- **अपर्याप्त कार्यान्वन**
  - ✓ IGMSY को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया गया है। 2010 एवं 2013 के बीच लक्षित लाभार्थियों में से केवल 28% को ही इसका लाभ पहुँच पाया है। लाभार्थी, योजना के बारे में जागरूकता के अभाव अथवा अपूर्ण जानकारी के कारण योजना का लाभ उठाने में असफल रहे हैं।
  - ✓ IGMSY दिशा-निर्देश राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यान्वन प्रकोष्ठ स्थापित करने का सुझाव देते हैं। इसप्रकार के प्रकोष्ठ या तो बनाये ही नही गये हैं अथवा उनमें मानव शक्ति का आभाव है।
  - ✓ IGMSY दिशा-निर्देश बैंक खातों का जीरो-बैलेंस अथवा नों-फ्रिल होना आवश्यक बनाते हैं, किन्तु इस तथ्य पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि अब तक किसी भी महिला जिसके पास पहले से ही ऐसे खाते मौजूद हों ,के द्वारा योजना का लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया गया है।

- **प्रभावशीलता बढ़ाना**

दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वन द्वारा योजना की प्रभावशीलता में सुधार की पर्याप्त संभावना है। सरकार द्वारा स्वयं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में परिभाषित सभी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता है।

यहाँ कुछ मूल-तत्वों पर ध्यानकेंद्रित करना उचित रहेगा:

- ✓ जागरूकता पैदा करना,
- ✓ कार्यान्वन प्रकोष्ठों की स्थापना,
- ✓ अनुक्रियाशील शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना,
- ✓ जनता को आसान पहुँच वाली प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)

रोटा वायरस टीका

प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित तथा उत्पादित प्रथम रोटा वायरस टीके (रोटावैक) को विमोचित किया।

भारत में रोटा वायरस का विस्तार और प्रभाव

- प्रतिवर्ष, रोटा वायरस जनित डायरिया से 10 लाख लोगों की अस्पताल में भर्ती होते हैं तथा 5 वर्षों से कम आयु के लगभग 80000 बच्चे असमय कालकवलित हो जाते है।
- प्रभावित परिवारों पर भावनात्मक दबाव के अलावा यह बहुत से भारतीय परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा देता है और देश पर भारी आर्थिक बोझ भी डालता है।

टीके को कैसे विकसित किया गया ?

- रोटावैक के विकास में 25 वर्षों का समय लगा है। इस टीके को एक नवोन्मेषी लोक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- इसे हैदराबाद स्थित भारत-बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके अंतर्गत भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अमेरिकी सरकार के संस्थान, भारत के विभिन्न संस्थान तथा एनजीओ के बीच की भागीदारी शामिल है, जिसे बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से सहायता प्राप्त हुई।

लाभ:

- इसके कारण डायरिया की वजह से होने वाली ,शिशु मृत्यु में गिरावट आएगी।
- इसने निम्न क्षेत्रों में भारत की सक्षमता सिद्ध की है:
  - ✓ उच्च स्तरीय शोध एवं अनुसन्धान
  - ✓ भारत में परिष्कृत दवा उत्पादों का निर्माण,
  - ✓ सामाजिक चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान खोजने हेतु प्रभावी सरकारी निजी भागीदारी मॉडल।
- यह टीका मेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग का एक सफल उदहारण है जो इस क्षेत्र में सहयोग में और वृद्धि करेगा।

VISION IAS

- अत्यधिक लागत प्रभावी – 60 रुपये प्रति डोज।
- टीके को वैश्विक बाज़ारों में बेचा जायेगा जो कि भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा।

रोटा वायरस

यह एक विषाणु है जो कि गंभीर डायरिया का कारण बनता है।

- **लक्षण**
  - ✓ बुखार, मिचली और वामन , जलीय अतिसार.
- **संचरण:**
  - ✓ रोटावायरस संदूषित हाथों, सतह या वस्तुओं के साथ संपर्क तथा संभवत: श्वसन तंत्र के द्वारा संचारित होता है।
  - ✓ यह अत्यधिक संक्रामक है।
- **उपचार**
  - ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गंभीर डायरिया के उपचार हेतु जहाँ एक ओर मुख के माध्यम से आवश्यक जल की मात्रा शरीर में पहुचायी जानी चाहिये वहीं रोग के कारण जिंक की मात्रा में हुई कमी की भी पूर्ति की जानी चाहिये।

भारत में वृद्धों का दु:ख-दर्द

- विश्व में प्रत्येक 10 में से एक वृद्ध भारत नागरिक का आवास है। भारत में 10 करोड़ वृद्ध लोग निवास करते हैं। इनमे से 5.5 करोड़ भूखे सोते हैं और 3 करोड़ बिना किसी सहारे के रहते हैं।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के, 80% से अधिक वृद्ध पारिवारिक प्रताड़ना सहते हैं और 71% वित्तीय रूप से अपने पुत्र पर निर्भर हैं।
- 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या में से 50% ने पारिवारिक प्रताड़ना विशेषकर पुत्र द्वारा, के शिकार हैं।
- वृद्ध जनसंख्या का आम जनसंख्या के साथ राष्ट्रव्यापी निर्भरता अनुपात 13.1% है।
- भारत अपने जीडीपी का मात्र 0.032% पेंशन पर खर्च करता है,जो कि कुल जनसँख्या के केवल 25% भाग को को समाविष्ट करता है। इसके विपरीत थाईलैंड अपने जीडीपी का 0.324% पेंशन पर खर्च करता है, जो कि 94% जनसंख्या को समाविष्ट करता है।
- केंद्र सरकार मात्र 200 रूपये की पेंशन वह भी केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को प्रदान करती है।

वृद्धों के लिए संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

भारत सरकार के द्वारा जनवरी 1999 में वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी। यह नीति 60 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को "वरिष्ठ नागरिक" या "वृद्ध" के रूप में परिभाषित करती है।

- **अनुच्छेद 41**, राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य अपनी आर्थिक सक्षमता और विकास की सीमाओं के अनुसार वृद्ध लोगों को लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी प्रावधान करेगा।
- सामाजिक सुरक्षा को केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त/ समवर्ती जिम्मेदारी बना दिया गया है।
- अभिभावकों के देख-भाल को आपराधिक प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 125 और हिंदु दत्तक एवं देखभाल अधिनियम में शामिल किया गया है। उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अंतर्गत अभिभावक अपनी संतानों से निर्वाह राशि का दावा कर सकते हैं। परन्तु सरकार एक स्पष्ट, तीव्र और सस्ती प्रक्रिया का प्रावधान करना चाहती थी, इसीलिए तत्कालीन प्रावधानों और क़ानूनी बाध्यताओं के कुछ प्रक्रियात्मक प्रभावों को मिटाने के लिए अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 लागू किया गया, जिसे 'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम' भी कहा जाता है। 2007 का कानून स्पष्ट रूप से यह व्यक्त करता है कि अभिभावकों का देख-भाल संतानों का कर्तव्य होना चाहिए। यह धर्म का विचार किये बिना सभी लोगों पर लागू है।

सामाजिक क्षेत्रक के संबंध में बजट की मुख्य बातें

महिला एवं शिशु

- महिला एवं शिशुओं से संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर खर्च में भारी कमी : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए -17% , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए -51% , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए -51% की कमी की गयी है।
- लैंगिक बजट को 2014-15 के 4.2% से घटाकर ,2015-16 के लिए 3.7% कर दिया गया है।
- कुल बजट के प्रतिशत के रूप में बच्चों के लिए आवंटित बजट राशि के प्रतिशत में गिरावट: 2014-15 के 4.52% से कम होकर 2015-16 में 3.26% हो गयी ।

सामाजिक सुरक्षा जाल

- समाजिक सुरक्षा संजाल को विस्तृत करने, विशेषकर रिटायरमेंट पेंशन कवरेज के संदर्भ में बजट में सचेतन प्रयास देखा गया है, इसके लिए जन धन प्लेटफार्म का प्रयोग किया जाना है।
  - ✓ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: यह 12 रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराती है ।

VISION IAS

✓ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: यह 330 रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपये का जीवन बीमा उपलब्ध कराती है।

ये योजनायें प्रशंसनीय योजनाएं है, जो कि सबसे जरूरतमंद लोगों तक ,सामाजिक सुरक्षा कवच का विस्तार करेगी।

- सरकार प्रस्तावित अटल पेंशन योजना के तहत भुगतानकर्ता को 1000 से 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन देगी।

रोजगार

- मनरेगा में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि मनरेगा में आमूलचूल परिवर्तनों के बिना मनरेगा के लिए अनुदान पर्याप्त नहीं होंगे।
- 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की रोजगार क्षमता, विकसित करने हेतु एक "राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम" प्रारंभ किया जायेगा।

आवास क्षेत्र

- 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों का निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है।
- आवास क्षेत्रक को और प्रोहत्साहन मिलता यदि चुकाए गये ब्याज पर आयकर छुट को 200,000 से बढाकर 250,000 कर दिया जाता।

शिक्षा

- जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम में 5 और एम्स (AIIMS) की स्थापना।
- कर्नाटक में IIT जबकि झारखंड में धनबाद के भारतीय खनन विद्यालय को IIT में तब्दील किया जायेगा।
- जम्मू-कश्मीर तथा आन्ध्रप्रदेश में 2 नये IIMs की स्थापना की जायेगी
- पंजाब के अमृतसर में बागवानी के लिए एक परा—स्नातक संस्थान की स्थापना की जायेगी ।
- केरल में विकलांगता और इसके विविध प्रकारों के अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य

- वित्तीय समावेशन (जन धन योजना), सामजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसी अवधारणाओं को आपस में सम्बद्ध कर ,वित्त मंत्री ने भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं तक सब की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने हेतु एक सर्व-समावेशी रोड मैप तैयार किया है। स्वास्थ्य संबंधी छूटें, विशेषकर वृद्धों के लिए इस क्षेत्र में एक बड़ा प्रोत्साहन है। हालाँकि, यह चेतावनी भी व्यक्त की गई है कि स्वास्थ्य क्षेत्रक को सहारा देने वाले भौतिक तथा शैक्षिक आधारभूत ढांचे को उपलब्ध कराने के लिये काफी कुछ किया जाना शेष है। यह सब कुछ निजी क्षेत्र (जो भारत में 70% अतिरिक्त स्वास्थ्य संबधी की सुविधा प्रदान करता है) के साथ भागीदारी तथा उसे प्रोत्साहन देकर ही किया जा सकता है।
- निराशाजनक बिंदु:
  - ✓ चिकित्सकीय समुदाय को महामारी, दुर्लभ बीमारियों, चिकित्सकों की ग्रामीण पदावधि तथा सभी के लिए मुफ्त ,आपातकालीन उपचार उपलब्ध कराने के लिए पृथक अनुदान सहित स्वास्थ्य हेतु किए जाने वाले व्यय में, जीडीपी के कम से कम 2.5% तक की वृद्धि की उम्मीद थी। उनके द्वारा स्वास्थ्य को अवसंरचना का दर्जा देने की भी मांग की जा रही थी,जिसकी एक बार पुन: पूरी तरह अवहेलना की गई है।
  - ✓ स्वास्थ्य के लिए कुल 33,150 करोड़ रूपये का अनुदान 'सार्वभौमिक स्वास्थय सेवा को एक वास्तविकता नहीं बना सकेगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्रक ने, सिगरेट पर कर वृद्धि का यह कहते हुए स्वागत किया है कि इससे खपत पर कुछ अंकुश लगेगा। परन्तु बीड़ी को कर वृद्धि से वंचित क्यों रखा गया है? सिगरेट पीने वालों की तुलना मे बीड़ी पीने वालों की संख्या दुगुने से भी अधिक हो गयी है। बीड़ी उद्योग उपभोक्ताओं के लिए जानलेवा और उत्पादकों के लिए शोषणकारी है।
- वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को निरोधक स्वास्थ्य देखभाल से जोड़ा है। परन्तु निरोधक स्वस्थ्य देखभाल एक वृहत अवधारणा है और इसे पृथक रूप से देखा जाना चाहिए न कि अन्य तत्वों के साथ मिलाकर। गैर-संक्रामक बीमारियों के बढ़ते बोझ के साथ निरोधक स्वस्थ्य देखभाल को जोड़ना एक सही कदम होगा।

कृषि क्षेत्र

- सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता या उत्पादन बढ़ने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में 'प्रति बूंद- ज्यादा उत्पादकता' पर केन्द्रित प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (जैविक कृषि) प्रारंभ की है। सूक्ष्म सिंचाई, जल-संभर विकास और 'सिंचाई योजना' के लिए 5300 करोड़ रुपया और जैविक कृषि के लिए 300 करोड़ रुपया आवंटित किये हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राजस्थान के सूरतगढ़ से "मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना" का विमोचन किया है।

VISION IAS

- इस बात को स्वीकारते हुए कि कृषि आय के समक्ष चुनौतियाँ हैं; वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की है कि कृषि उत्पादों की कीमतों में सामान्य मूल्य वृद्धि की स्थिति में भी उसका लाभ किसानों तक आकस्मिक लाभ के साथ पहुचाने के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की स्थापना की जाएगी, जो कि पूर्व की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी रहा है। उनका अवलोकन था कि,"यद्यपि किसान अब व्यापारियों के चंगुल में नहीं हैं, परन्तु फिर भी उनके उत्पादों को सर्वोत्तम राष्ट्रीय मूल्य नही मिल पाता। "
- कृषि ऋण को 50,000 करोड़ रूपये बढाकर 2015-16 के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा इस लक्ष्य से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।
- हालाँकि, यूपीए सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए आवंटन में कमी की गयी है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रसार कार्यक्रम और बीमा योजनाओं की अवहेलना की गई है।

आपकी बेटी- हमारी बेटी योजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने 8 मार्च, 2015 को कन्या शिशु के लिए "आपकी बेटी-हमारी बेटी" योजना प्रारंभ की है। यह हरियाणा में घटते शिशु लैंगिक अनुपात की समस्या से निपटने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।

- योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी।
- इस योजना में अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा के नीचे के वे परिवार सम्मिलित होंगे जिनमे प्रथम कन्या शिशु का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके के बाद हुआ है। वे 21,000 रुपये पाने के हकदार होंगे।
- इसी प्रकार सभी परिवारों को 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी दूसरी कन्या शिशु के लिए 21,000 रुपये प्राप्त होंगे।
- जुड़वाँ लड़कियों या एकाधिक लड़कियों वाले परिवारों को प्रति कन्या शिशु के लिए 21,000 रुपये प्राप्त होंगे।
- मुख्यमंत्री ने कन्या शिशुओं और महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए 'हरियाणा कन्याकोष' प्रारंभ किया है। सरकार इस कोष की राशि 100 करोड़ तक बढ़ाएगी। इस कोष को 51 लाख रुपये मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से दिए जायेंगे।
- पांच जिलों- मेवात, फतेहाबाद, नामौल, पलवल, कैथल में माता एवं शिशु के पोषण पर ध्यान देने के लिए एक बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया जायेगा।
- इंदिरा गाँधी महिला शक्ति पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढाकर 1.5 लाख रुपये, बहन शन्नो देवी पुरस्कार की राशि 51,000 से बढाकर 1 लाख और जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरुस्कार की राशि 21,000 से बढाकर 51,000 कर दिया जाएगा।

कार्बन सिंक के रुप में महासागर:-

महासागर वर्तमान में महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं तथा पृथ्वी पर सबसे बड़े सक्रिय कार्बन सिंक की भूमिका अदा करते हैं । ये मानव के द्वारा वायु में निष्कासित की जाने वाली CO_2 के एक चौथाई भाग से अधिक को अवशोषित करते हैं। लम्बे घटनाक्रम में ये स्रोत व सिंक दोनों हो सकते है -

- वायुमंडलीय CO_2 ,सतह पर लगातार होने वाली विनिमय प्रक्रिया के कारण महासागरों में प्रविष्ट हो जाती है। यह एक भौतिक-रासायनिक प्रक्रिया है। समुद्री जल व वायु में उपस्थित CO_2 के आंशिक दाब में अन्तर होने के कारण ही गैसीय विनिमय होता है। यह विसरण जल व वायु की संपर्क सतह पर ,आंशिक दाब के साम्यावस्था में आने तक चलता रहता है।
- प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूक्ष्म प्रकाशसंश्लेषी जलप्लवक (phytoplanktons) CO_2 प्रयुक्त करते हैं। बायोलाजिकल (जैविक) पम्प के द्वारा महासागरीय सतह से CO_2 का स्थानान्तरण गहरे समुद्र की ओर होता है।
- CO_2 समुद्र से क्रिया कर घुलित अकार्बनिक कार्बन,जल में मुक्त रूप से घुली हुई CO_2 ,कार्बनिक अम्ल, बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट बनाती है।
- समुद्र जल का pH मान बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट की सान्द्रता के आधार पर निर्धारित होती है।
- समुद्री जीव कैल्सीभवन (Calification process) की प्रक्रिया में कैलिशयम व कार्बोनेट को जोड़ते है तथा चूनेदार पदार्थ (Calcareous material) बनाते हैं। जैसे ही ये जीव मर जाते है इनका कंकालीय पदार्थ डूब जाता है तथा तलछट में जम जाता है।

कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय (reservoir) है ,जिसमें कार्बन युक्त रासायनिक यौगिक अनन्त काल (लम्बे समय) के लिए जमा होते रहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन सिंक वायुमंडल से CO_2 को समाप्त करते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (sequestration) कहलाती है।

वनोन्मूलन का मानसून पर प्रभाव

- अध्ययन में पाया गया है कि उच्च अंक्षांशों व उत्तरी क्षेत्रों में जिनमें कनाडा के घासस्थल तथा U.S. में अलास्का व रुस शामिल है में निर्वनीकरण , दक्षिण एशिया में मानसून को प्रभावित कर सकता है।
- बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण ,मानसून में 12 प्रतिशत तक की कमी ला सकता है।

अंत: उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ)

- रिपोर्ट ने इस बात की ओर इंगित किया है कि ITCZ जो वर्षा को लाते हैं, दक्षिण की ओर स्थानान्तरित हो रही है।
- मानसून ITCZ के द्वारा आच्छादित क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि यह दक्षिण की ओर बढ़ती है, तो यह भारतीय भूमि में कम सक्रिय ,जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक प्रभावी होगा ।
- दूसरी ओर दक्षिणी गोलार्द्ध में मानसून अधिक सशक्त होगा जिसका क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा ।
- **निर्वनीकरण का विस्तार -** 1750 तक वैश्विक भूमि क्षेत्र का लगभग मात्र 7% भाग ही कृषि के लिए साफ किया गया था ।किन्तु यहअब कुल क्षेत्र का 1/3 हिस्सा हो गया है ।

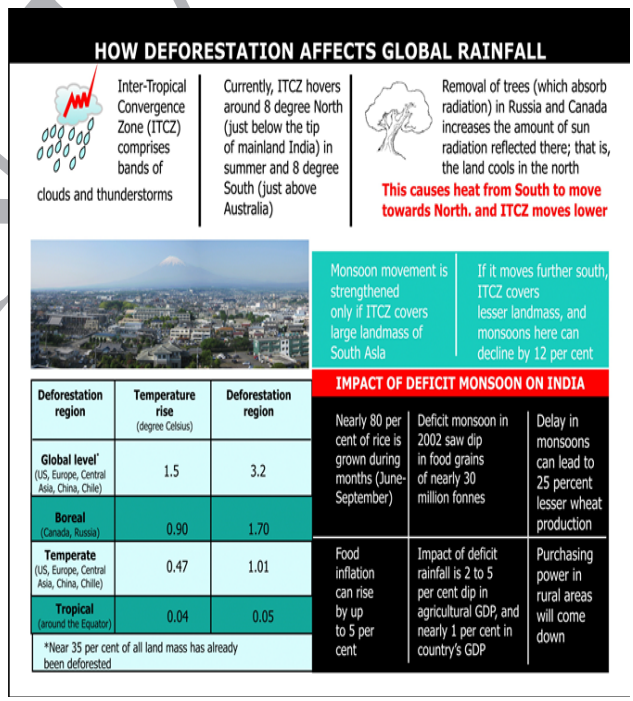

- मानसून पर प्रभाव के कारण - जब उत्तरी उच्च अक्षांशों के जंगलों को काटा गया तब अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश पुन: अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर दिया गया परिणामस्वरूप यह भाग तेजी से ठण्डा हो गया।

विभिन्न देशों पर प्रभाव -

- **भारत:** भारत सर्वाधिक प्रभावित हुआ । वैश्विक निर्वनीकरण के कारण ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा में 18% तक की गिरावट आई।
- दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया:-

निर्वनीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्द्ध में इन देशों में होने वाली वर्षा में मामूली वृद्धि हुई है।

सुन्दरवन के हरितावरण एवं वन क्षेत्र में कमी

- भारतीय सुन्दरवन अपने मैग्रोव व वन क्षेत्र का 3.71 प्रतिशत खो चुके हैं, जबकि इसके भू क्षेत्र में अपरदन (erosion) के कारण 9,990 हेक्टेयर भाग ,मात्र एक दशक में खो चुका है। (ISRO के अध्ययन के अनुसार)
- अध्ययन यह दर्शाता है कि सुंदरवन के 95.14 प्रतिशत हिस्से के हरित आवरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि सम्पूर्ण क्षेत्र के 1.1 प्रतिशत भाग पर नवीन वनस्पति आ गई है।
- ISRO के अध्ययन ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि सुंदरवन अत्यधिक संवेदनशील एवं गतिशील परिदृश्य वाला क्षेत्र है ।
- 9600 वर्ग किमी॰ का भारतीय सुन्दरवन तटीय अपरदन व तटीय भूमि में परिवर्तनों के प्रति अतिसंवेदनशील है।

अध्ययन क्यों किया गया - राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा सुंदरवन में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान अध्ययन के निर्देश दिये गए थे।

- **नुकसान के कारण:-** प्राकृतिक व मानवीय (मानवीय हस्तक्षेप) कारण।

सिंधुदुर्ग तट पर तीन नई प्रवाल भित्तियाँ पायी गईं

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के हालिया सर्वेक्षण के दौरान महाराष्ट्र के मालवा के समीप सिंधुदुर्ग तट पर तीन नई प्रवाल भित्तियाँ मिली है।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा मिली तीन प्रवाल भित्तियों के नाम है- गोनिआत्सरी (Goniatsreasp,) पोरिटेस्प(Poritessp) तथा टरबाईनरीएस्प (Turbinariasp.)
- देश के अन्य भागों में पाई जाने वाली भित्तियों जैसे-मन्नार की खाडी, कच्छ की खाडी, लक्षद्वीप व अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह से भिन्न मालवा में मिलने वाली भित्तियां अभी तक अविरंजित(unbleached) है।
- यह नया आकर्षण स्थल है । इसके माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे आस-पास के क्षेत्रों में ऐडवेंचर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के प्रयास

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसने स्थानीय लोगों की क्षमता निर्माण के लिए 80 लाख रु. स्वीकृत किये हैं।
- इससे पहले भी ZSI ने, विश्व बैंक के सहयोग से मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) में से प्रवाल भित्तियों को, कच्छ की खाड़ी (गुजरात) में स्थानांतरित किया था।

पश्चिम बंगाल में गैंडे की जनसंख्या में वृद्धि

- पश्चिम बंगाल एक सींग वाले गैंडो की जनसंख्या 250 है । असम के बाद एक सींग वाले गैड़ो की सख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है।
- इस संकटग्रस्त प्राणी की संख्या जलदापारा राष्ट्रीय पार्क में 200 व गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क में 50 है।
- काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जिसमें इनकी संख्या 2000 से ऊपर है, के बाद जलदापारा राष्ट्रीय पार्क गैंडों की जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है।
- गोरुमारा में गैंडों का नर-मादा अनुपात – 2:1.4 है

अवैध शिकार के कारण - असम के गैंडा संरक्षण क्षेत्रों में, गैंडे के सींगों का अवैध व्यापार मुख्य समस्या है। कुछ अन्य अंगों जैसे- नाखून, त्वचा आदि का भी एशिया के परम्परागत औषधीय बाजार में ऊँचा मूल्य है।

भारत में गैंडे का आवास विस्तार

- उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल तथा असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में गैंडे पाये जाते हैं।
- असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क व दारंग जिले के ओरंग राष्ट्रीय पार्क में विश्व में पाये जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की कुल जनसंख्या का 95% पाया जाता है।

तितलियों की नई प्रजातियाँ

- वन्य जीवन के विशेषज्ञों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाये जाने वाली सुन्दर प्रजाति की तितली मलाया ग्रीन बैंडेड पिकॉक (Papiliopalinu) को पहली बार भारत मे खोजा है।
- यह तितली दक्षिणी म्यांमार व प्रायद्विपीय थाईलैंड व फिलीपींस में पाई जाती है।
- प॰ बंगाल में तितलियों की 600 ज्ञात प्रजातियाँ हैं, जबकि पूरे भारत में तितलियों की 1500 प्रजातियाँ पाई जाती है।
- प॰ बंगाल शायद एकमात्र राज्य है, जहाँ पर पिकॉक तितलियों की विविधता पाई जाती है जैसे- दुर्लभ कृष्ण पिकॉक, नीला पिकॉक, पेरिस पिकॉक कॉमन पिकॉक व कॉमन बंडेड पिकॉक इत्यादि।
- देश में पाई जाने वाली दूसरी अन्य पिकॉक तितली है बुद्धा तितली अथवा मालाबार

VISION IAS

समुद्र स्तर में वृद्धि का सुंदरवन क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रभाव

- सुंदरवन में समुद्र स्तर व लवणता के तेजी से बढ़ने के कारण , इस वन में रहने वाले बहुत सारे लोग देश के अन्य भागों में पलायन कर गये है।
- इससे क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ गया है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यदि वहाँ के निवासियों की क्षमता का विकास करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये गये, तो आने वाले वर्षो में भंयकर पलायन हो सकता है।
- समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण, कृषि भूमि का बड़ा भाग जलमग्न हो गया है

प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एण्ड टाइमली इंप्लीमेंटेशन)

यह एक ऐसा मंच है जहाँ आम-जन की शिकायतों को सुने जाने के साथ ही भारत सरकार व राज्य सरकारों की परियोजना व महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की निगरानी व समीक्षा भी की जाती है।

गुण: बहुउद्देशीय तथा मल्टी- मॉडल प्लेटफार्म

- अद्वितीय एकीकृत तथा अन्त: संवादात्मक मंच
- इस मंच के माध्यम से तीन उद्देश्यों की पूर्ति होगी : शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्रोजेक्ट की जाँच या मानिटरिंग। यह एक ITआधारित निवारण तथा जाँच तंत्र है।
- यह मुख्यत: तीन नवीनतम तकनीकों को जोड़ता है - डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कान्फ्रेन्सिंग तथा भू-स्थानिक तकनीक।
- इस तकनीक की सहायता से प्रधानमंत्री केन्द्रीय व राज्य कार्यालय/अधिकारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और जमीनी स्तर की परिस्थितियों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- इसके द्वारा प्रधानमंत्री संबंधित केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालयों /अधिकारियों से संबंधित मुद्दों पर पूर्ण जानकारी व जमीनी स्तर की नवीनतम स्थिति के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

महत्व:

- यह सरकार को अधिक दक्ष व उत्तरदायी बनायेगा।
- यह सहकारी संघवाद की दिशा में एक कदम है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर ले आया है।
- यह ई-गवर्नेंस (ई-शासन) तथा सुशासन के संदर्भ में एक नवीन प्रोजेक्ट भी है।

अवाक्स (AIRBORNE WARNING AND CONTROL SYSTEMS अर्थात AWACS)

- सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा बनाये जाने वाले दो भारतीय एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (A-330 एयरक्राफ्ट पर आधारित) के विकास को स्वीकृति दी है।
- वर्तमान में डीआरडीओ दो छोटे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एण्ड कंट्रोल सिस्टम का विकास कर रहा है, जो इस वर्ष तैयार हो जायेगा।
- तीन AWACS पहले से ही भारतीय वायु सेना में परिचालित है।

AWACS के अनुप्रयोग

- इसे आकाश की आँख कहा जाता है।
- यह आने वाले लड़ाकू विमान व मिसाइल की पहचान कर सकता है।
- यह सीमा पार सेना की टुकड़ियों पर निगरानी रख सकता है।
- यह सेना के कंमाडरों को शत्रु सेना की गतिविधियों का समय पर सामना करने के लिए तुरंत निर्णय हेतु समर्थ बनाता है।

AWACS व AEW&C के मध्य अंतर

- AWACS के पास बेहतर क्षमता है तथा बड़े एयरक्राफ्ट पर लगा होता है जबकि AEW&C छोटे एयरक्राफ्ट पर लगा होता है।

शोध हेतु मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (छात्रवृत्ति) में इजाफा

- सरकार ने PHD छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ा दी है, जिसमें जूनियर रिसर्च वाले छात्र को 25 हजार रु. प्रतिमाह मिलेगें (पहले 16000 रु. मिलते थे)।
- इसी प्रकार दो वर्ष के बाद शोध करने वाले सीनियर शोधार्थियों (SRF) को 28,000 रु. प्रतिमाह मिलेंगें (पहले 18000 मिलते थे)।

छात्रवृत्ति बढ़ाने के कारण -

- भारत में शोध की गुणवत्ता में सुधार करना।
- शोध को आकर्षक कैरियर विकल्प बनाना।
- कम पैसे मिलने के कारण होने वाले प्रतिभा पलायन को रोकना।

मानव भ्रूणों का जीनीय संपादन (GENETICALLY EDITING HUMAN EMBRYOS)

आनुवांशिक परिवर्तित मानव भ्रूण -

VISION IAS

- ✓ वैज्ञानिकों के समूह ने आनुवांशिक रुप से परिवर्तित मानवभ्रूण को लेकर नैतिक व सुरक्षा संबंधी आशंकाए व्यक्त की हैं।
- ✓ आनुवांशिक परिवर्तित मानवभ्रूण के विरुद्ध तर्क-
- ✓ इस तकनीकी के माध्यम से वांछित आकार प्रकार के शिशु को जन्म देना संभव हो जायेगा ।विशिष्ट जीनो के प्रयोग से जहा एक ओर कुशाग्र बुद्धिमत्ता जैसे गुणों को प्राप्त किया जा सकेगा ,तो वही नीली आखों ,जैसे शारीरिक अभिलक्षणों को भी उतपन्न किया जा सकेगा ।

इस प्रयोग के भविष्य में अकल्पनीय प्रभाव हो सकते हैं

- ✓ जैव वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के प्रतिनिधि वैज्ञानिकों ने,इस प्रकार के अनुसन्धान को हतोत्साहित करने के लिए, इस प्रकार के अनुसंधानों के स्वैक्षिक विलंबन का आग्रह किया है ।
- ✓ जीन संपादन तकनीकी के माध्यम से हानि कारक उत्परिवर्तनो को रोका जा सकता है।इससे हीमोफीलिया ,सिकलसेल , एनीमिया और कैंसर के कई प्रकारों का उपचार किया जा सकेगा ।

तीन त्वरित सहायता जहाज नौसेना में सम्मिलित (IMMEDIATE SUPPORT VESSELS (ISVS) COMMISSIONED IN NAVY) :भारतीय नौसेना को तात्कालिक रूप से सशक्त करने के लिए आई .एस .वी के

- दूसरे जत्थे, जिसमें IN ISV T38,IN ISV T40 शामिल है, को नौसेना में सम्मिलित किया गया ।अब पूर्वी कमांड अपनी छ:पूरक आई एस वी के साथ ,पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेगी ।
- आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन,शिप बिल्डर तथा नेवी के द्वारा सयुंक्त रूप से इन छ: आई एस वी के निर्माण अभियान को सम्पन्न किया गया।

नौसेना के लिए आई एस वी का महत्व

- ये आई एस वी भारी मशीन गन ,उत्कृष्ट कोटि के रडार एवं नौवहन प्रणालियों से सुसज्जित होंगे ।
- ये नौसैनिक जहाज दिन और रात की संपूर्ण समयावधि में निगरानी रखने में सक्षम होंगे
- इनका प्रयोग विशेष समुद्री सैनिकों ,'मार्कोस' (MARCOS) को सैन्य कार्रवाई के लिए नियत स्थल पर पहुचाने तथा वहा से सैन्य कार्यवाही समाप्ती के पश्चात, निकालने के लिए किया जा सकेगा ।

अस्त्र प्रक्षेपास्त्र (ASTRA MISSILE)

- स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से विकास ।
- हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र ।
- पराध्वनिक गती(1.2 मैक-1.4 मैक)।
- दृश्य सीमा से परे प्रहारक क्षमता (110 किलोमीटर से अधिक दूरी तक की प्रहारक क्षमता जो प्रक्षेपण ऊंचाई पर निर्भर करती है)।
- विभिन्न ऊंचाईयों से प्रक्षेपित किया जा सकता है ।

चर्चा में क्यों ?

- निर्धारित कृत्रिम लक्ष्य पर, सुखोई -30 युद्धक विमान से प्रक्षेपित कर ,सटीक निशाना लगाया गया ।
- कृत्रिम लक्ष्य को निशाना बनाने के सन्दर्भ में अपनी क्रियाशीलता को सिद्ध किया ।इसके साथ ही इसकी विभिन्न उप प्रणालियाँ भी सटीक क्षमता का प्रदर्शन करने में सफल रही हैं।
- प्रणोदन, नौवहन निर्देशन तथा युद्धक विमान से कुशलता पूर्वक पृथक होकर प्रहार करने जैसी ,सभी उप प्रणालियाँ निर्धारित कसौटियों पर खरी उतरीं हैं

स्टोक होम जल पुरस्कार :(STOCKHOLM WATER PRIZE)

- स्टोकहोम जल पुरस्कार ,1991 में स्थापित किया गया ।इसे किसी व्यक्ति ,संगठन अथवा संस्था को जल संरक्षण संबंधी उत्कृष्ट कार्यो के लिए ,वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है ।
- स्टोकहोम जल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को , एक लाख पचास हज़ार अमेरिकी डालर के अतिरिक्त विशेष रूप से डिजाइन की गयी प्रतिमा भेंट की जाती है ।

डिजीलाकर (DIGILOCKER):

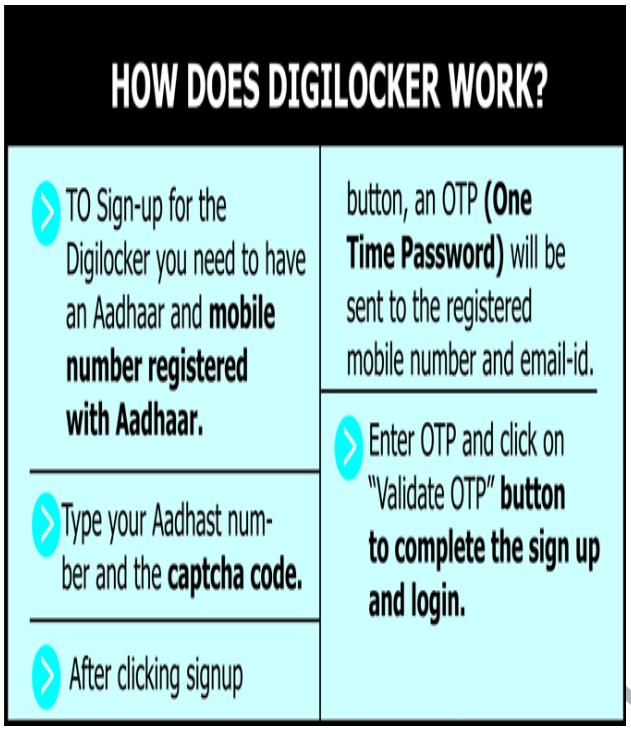

यह सरकार के द्वारा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में ऑनलाइन संग्रह करने की डिज़िटल लॉकर व्यवस्था है।सरकार के द्वारा शुरू की गयी इस सुविधा को सराहा जा रहा है ।लॉकर का प्रयोग संबद्ध व्यक्ति विशेष रूप से प्रदान की गयी संख्या के प्रवेश के माध्यम से कर सकेंगे ।

अभिलक्षण

- यह व्यक्ति की आधार संख्या से संबद्ध, दस्तावेजों का व्यक्तिगत संग्रह स्थल है ।
- डिजिलॉकर का प्रयोग ई -दस्तावेजों के संग्रह के साथ ही , विभिन्न विभागों के द्वारा जारी किये गए ई-दस्तावेजों से संबद्ध, युनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर (URI) लिंक को सुरक्षित करने में भी किया जा सकेगा ।
- इसके माध्यम से ई-हस्ताक्षर सुविधा भी प्रदान की गयी है, जिसका प्रयोग दस्तावेजों को इलेक्ट्रोनिक रूप से हस्ताक्षरित करने में किया जा सकेगा ।
- प्रयोग कर्ता बीमा, चिकित्सा रिपोर्ट,पैनकार्ड ,पासपोर्ट ,स्कूली प्रमाणपत्र ,विवाह प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख पाएंगे ।
- नागरिक प्रमाण पत्रों के साथ विभिन्न विभागों के द्वारा जारी किये गए लिंक को संग्रह करने के लिए एक जीबी की नि:शुल्क संग्रह सुविधा प्रदान की गयी है ।

लाभ :

- यह भौतिक दस्तावेजों के प्रयोग को सीमित करेगा तथा ई-दस्तावेजों को प्रमाणिकता प्रदान करेगा ।
- यह शासन द्वारा जारी किये गए दस्तावेजों तक लोगों को सुरक्षित पहुँच प्रदान करेगा ।
- यह शासकीय कार्यो में अतिभार को कम करेगा तथा इसके माध्यम से नागरिक आसानी से सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे

चर्चा में क्यों : सूचना और संचार मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, इस योजना के प्रारंभ किये जाने के बाद से, सार्वजानिक जीवन के सभी क्षेत्रों द द्वारा इसे बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ।

सेवा वितरण में सुधार के लिए रेलवे द्वारा उठाये गए कदम

- **काया कल्प परिषद्**
  - ✓ रेल मंत्री ने एक कायाकल्प परिषद का गठन किया गया है और रतन टाटा को इस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
  - ✓ उद्देश्य: कायाकल्प परिषद् एक नवोन्मेष परिषद् है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे में सुधार, बेहतरी और बदलाव के लिए अभिनव तरीकों और प्रक्रियाओं की सिफारिश करना है।
- **रूपे प्री-पेड डेबिट कार्ड का शुभारंभ**
- यह सेवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से, आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गयी है।
- **उपलब्धता:** यूबीआई कार्यालयों या ऑनलाइन आईआरसीटीसी के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इस कार्ड के लिए यूबीआई में बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है और इसे ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है।

रूपे प्री पेड डेबिट कार्ड का उपयोग

- ग्राहक इससे रेल टिकेट बुक कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और सेवा बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
- कार्ड धारक के लिए नि: शुल्क 1 लाख रूपए की दुर्घटना बीमा सुरक्षा का भी प्रावधान है।
- ग्राहकों को यह कार्ड दो रूपों में जारी किये जा रहे हैं: भौतिक रूप में और वर्चुअल रूप में।

VISION IAS

- **रूपे क्या है:** रूपे वीजा और मास्टर कार्ड की तरह भारत का कार्ड भुगतान गेटवे है तथा यह बैंकों को डेबिट कार्ड सेवा प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली प्रदान करता है।
  - ✓ इससे पहले इसी महीने आईआरसीटीसी ने ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों को बेचने के लिए आमेज़न के साथ करार किया है।
  - ✓ आईआरसीटीसी ने चुनिंदा स्टेशनों पर यात्रियों को उनके आर्डर पर डोमिनोज पिज़्ज़ा प्रदान करने के लिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ करार किया है।
  - ✓ आईआरसीटीसी ने रेल टिकट खरीदने के लिए व टिकट प्राप्ति पर नकद भुगतान करने की सुविधा (कैश ऑन डिलीवरी) के लिए, बुक माय ट्रेन डॉट कॉम से भी समझौता किया है।
  - ✓ इससे पहले एनपीसीआई ने उल्लेख किया था कि ग्राहक रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग कर ,आईआरसीटीसी पर रेल टिकट बुक कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण और प्रमाणन कार्यक्रम (NERPAP)

राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण और प्रमाणन कार्यक्रम, भारतीय निर्वाचन आयोग का मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम है। यह निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (EPIC) को पंजीकृत मतदाता के आधार कार्ड के साथ जोड़ेगा।

उद्देश्य:

- पूरी तरह से त्रुटि मुक्त और प्रमाणीकृत मतदाता सूची ।
- यह कार्यक्रम डेटाबेस से नकली, गलत, और अपात्र मतदाताओं, और ऐसे मतदाता जो अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं को मतदाता सूची से हटायेगा।

इस कार्यक्रम में क्या किया जायेगा?

- मतदाता के निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र को प्रमाणीकरण के उद्देश्य से यूआईडीएआई (UIDAI) के आधार के साथ जोड़ा जाएगा।
- मतदाता अपने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या और आधार संख्या को एसएमएस, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट द्वारा भेज सकते हैं।
- त्रुटियों को सुधारने आदि जैसे मुद्दों के साथ मतदाता के फोटो की गुणवत्ता में सुधार
- निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र और आधार कार्ड से संबंधित डेटा एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं
  - ✓ विशेष शिविर का आयोजन, मतदाता सुविधा केन्द्र, ई सेवा केंद्र और नागरिक सेवा केन्द्र
  - ✓ बूथ लेवल अधिकारी भी घर-घर जाकर मतदाता की जानकारी एकत्रित करेंगे।
  - ✓ जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अप्रैल 2015 में राष्ट्रव्यापी विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।
- एक से ज्यादा मतदाता पहचान-पत्र के स्वेच्छा से प्रकटीकरण की सुविधा भी प्रदान की गई है।

वायु सेना और नौसेना के लिए रक्षा खरीद

- रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने वायु सेना के लिए 38, पाइलेट्स (Pilatus) बुनियादी प्रशिक्षक विमान, खरीदने को मंजूरी दी गयी है।
- इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को नौसेना के लिए 12 माइन काउंटर-मेजर वेस्सल (MCMV) के निर्माण के लिए प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- वायु सेना ने अनुमान लगाया है कि उसे 181 बुनियादी प्रशिक्षक विमान की आवश्यकता है।
- 75 पाइलेट्स विमान ,2012 में स्विट्जरलैंड से खरीदे गए थे और 38 विमानों को अब मंजूरी दी गयी है।
- शेष 68 HTT-40 विमानों की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा की जाएगी जो कि देश में ही बनाये जायेंगे।
- पहले आठ ,MCMV के लिए जारी की गयी निविदाओं को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था ।
- खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत एक "खरीदो और बनाओ" श्रेणी का प्रावधान होगा और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक विदेशी विक्रेता के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के तहत जहाजों का निर्माण करेगी। यह सौदा 32,000 करोड़ रुपये में हुआ।

बल्ब का पुनर्चक्रण

कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) को बल्ब का स्थान लेने के लिए बनाया गया था यह एक फ्लोरोसेंट लैंप है।

- समान्य रोशनी देने वाले बल्ब की तुलना में सीएफएल 20-33% ही बिजली उपयोग में लेता है और इसकी जीवन अवधि 8-15 गुना ज्यादा होती है।
- एक सीएफएल का मूल्य बल्ब की तुलना में ज्यादा होता है,

VISION IAS

लेकिन यह अपने ज्यादा मूल्य की तुलना में पांच गुना अधिक मूल्य की बिजली की बचत करता है।

- सभी फ्लोरोसेंट लैंप की तरह सीएफएल में भी जहरीला पारा होता है जो उनके विघटन की प्रक्रिया को पेचीदा बना देता है।

पुनर्चक्रण की समस्या

- अनुपयोगी सीएफएल, पारा युक्त बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब को आम तौर पर नगर निगम के कचरे में फेंक दिया जाता है या असंगठित विक्रेता को बेच दिया जाता है जिससे मिट्टी, पानी, और हवा में पारे का हानिकारक रिसाव होता है।
- पारे के लम्बे समय तक संपर्क से गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। त्वचा से संपर्क, पारे युक्त हवा या भोजन के माध्यम से इसे ग्रहण करने से त्वचा, आंखों, और श्वसन तंत्र को स्थायी नुकसान हो सकता है।
- विकसित देशों की तुलना में, भारत में तैयार बल्बों में अधिक पारा होता है।
- फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट (FTL) और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के उत्पादन में भारत में आठ टन पारा लगता है तथा आयातित सीएफएल से और तीन टन पारा भारत पहुंचता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार पारा युक्त वाष्प की साँस लेने से स्नायु, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक बार वातावरण में आने के बाद, यह घातक मिथाइल मरकरी में बदल जाता है, जो मानव और वन्य जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषण, आविष और परिशिष्ट) विनियम, 2011 ने मानव उपभोग के लिए मछली में 0.5 पीपीएम पारा और अन्य खाद्य पदार्थों में 1 पीपीएम पारा की सीमा निर्धारित की है।

विकल्प:

- पारा युक्त सीएफएल के कचरे के बेहतर प्रबंधन की जरुरत है। जरूरी मानकों और नियामक नियंत्रण के माध्यम से, सीएफएल में पारे की मात्रा को कम उपयोग करने तथा संग्रह और कचरे के निपटान के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है।
- उपभोक्ताओं को पुराने सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उनका वैज्ञानिक माध्यम से निपटान सुनिश्चित करना चाहिए।
- इस्तेमाल किये हुए बल्ब के मामले में, अगर पुरस्कार आधारित प्रणाली शुरू होती है तो उपभोक्ताओं को लाभ होगा। पारा के बल्ब का पुनर्चक्रण एक पर्यावरण प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा स्टेशन

- अंतरिक्ष सौर ऊर्जा स्टेशन, अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा इकट्ठा कर उसे पृथ्वी तक पहुचायेगा। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा हमारी ऊर्जा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्याओं को हल कर सकती है। अंतरिक्ष में उपलब्ध सौर ऊर्जा, हमारे आज के ऊर्जा उपयोग की तुलना में अरबों गुना अधिक है।

अन्तरिक्ष सौर ऊर्जा के फायदे

- तेल, गैस, इथेनॉल, और कोयला संयंत्र के विपरीत अंतरिक्ष सौर ऊर्जा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है।
- स्थलीय सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के विपरीत अंतरिक्ष सौर ऊर्जा 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन उपलब्ध है। यह बादल, दिन के कम उजाले या हवा की कम गति के बावजूद हमेशा उपलब्ध रहती है।
- अंतरिक्ष सौर ऊर्जा, इसे विकसित करने वाले देशों को ऊर्जा स्वतंत्रता प्रदान करेगा और पृथ्वी आधारित ऊर्जा संसाधनों पर, निर्भरता को कम करेगा।
- अंतरिक्ष सौर ऊर्जा को दुनिया में किसी भी जगह प्रेषित किया जा सकता है, और इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है जैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कोई बिजली ग्रिड नहीं हैं, वहां मेथनॉल के उत्पादन में। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा का समुद्र के पानी के विलवणीकरण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

चीन की योजना

- धुंध को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए और ऊर्जा संकट को हल करने की कोशिश में चीन, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक विशाल सौर ऊर्जा स्टेशन के निर्माण की योजना बना रहा है।
- यह पावर स्टेशन, विशाल सौर पैनलों के साथ सुसज्जित, भू-समकालिक (geosynchronous) कक्षा में, एक सुपर अंतरिक्ष यान होगा। उत्पन्न बिजली को माइक्रोवेव या लेज़र किरणों में बदलकर पृथ्वी पर भेजा जायेगा।
- अमेरिका और जापान जैसे देशों ने ,अंतरिक्ष सौर ऊर्जा स्टेशन का अध्ययन किया है। वायरलेस विद्युत पारेषण प्रौद्योगिकी के विकास में जापान अग्रणी है।
- भूमि आधारित सौर संयंत्रों से उत्पन्न विद्युत में रात और दिन तथा मौसम के साथ उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अंतरिक्ष सौर ऊर्जा 99% समय तक एकत्रित की जा सकती है। समान प्रति इकाई क्षेत्र पर अंतरिक्ष आधारित सौर पैनल ,भूमि आधारित

VISION IAS

पैनलों से दस गुना ज्यादा विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं।

चुनौतियां

- एक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अंतरिक्ष पावर स्टेशन का वजन लगभग 10,000 टन होगा। लेकिन कुछ ही रॉकेट पृथ्वी की कक्षा के लिए 100 टन से ज्यादा पेलोड ले जा सकते हैं।
- इसके लिए एक सस्ता और ज्यादा भार वाहक प्रक्षेपण वाहन की आवश्यकता है।

जापान ने वायरलेस तरीके से बिजली प्रेषित की

- जापानी शोधकर्ताओं ने माइक्रोवेव का उपयोग कर वायरलेस तरीके से ,लक्ष्य तक बिजली प्रेषित की। इससे अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, वास्तविकता के और करीब आ गयी है।
- जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अनुसार शोधकर्ता, 1.8 किलोवाट बिजली को माइक्रोवेव में बदलने और उसे 55 मीटर की दूरी पर स्थित एक रिसीवर में सटीक प्रेषित करने में सक्षम थे।
- उच्च प्रभावशीलता वाली माइक्रोवेव को एक छोटे से लक्ष्य पर ,वायरलेस तकनीकी के द्वारा स्थानातरित करने का यह दुनिया में पहला प्रयोग था।
- अंतरिक्ष आधारित सौर विद्युत उत्पादन में ,सूरज की रोशनी भू-स्थिर कक्षा में एकत्रित की जाती है और पृथ्वी पर एक रिसीवर को प्रेषित की जाती है।
- पृथ्वी पर लगाये सौर पैनलों के विपरीत उपग्रह आधारित सौर पैनल हर समय ऊर्जा एकत्रित करते हैं और उन पर मौसम का भी असर नहीं होता।

जलवायु परिवर्तन मुद्दे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आते

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया है कि उसके न्यायिक क्षेत्राधिकार के तहत जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत आता है।
- NGT अधिनियम की धारा 14 के अनुसार वे सारे नागरिक मुद्दे जो पर्यावरण से संबंधित है, ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आते है। इस तरह के मुद्दे, अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होते हैं। NGT अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट सात अधिनियम हैं -
  - ✓ जल अधिनियम,
  - ✓ जल उपकर अधिनियम,
  - ✓ वन (संरक्षण) अधिनियम,
  - ✓ वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम),
  - ✓ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
  - ✓ सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और
  - ✓ जैव विविधता अधिनियम।

रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनायें

सड़क, ट्रेन और बिजली लाइन जैसी रैखिक परियोजनायें जिनका विस्तार जंगलो के अन्दर व्यापक क्षेत्र में है , हमारे जंगलों के लिए नये खतरें के रूप में सामने आये हैं। जंगलो को पहले से ही खनन, कृषि और बांधों से खतरा उत्पन्न होता रहा है।

रैखिक परियोजनाओं की समस्याएं

- सड़क और बिजली लाइनें आर्थिक विकास और अन्य जरूरतें, जैसे गतिशीलता और सेवाओं के वितरण में मदद करती हैं। एक विकासशील देश के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। किन्तु वे प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों तथा ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाले वाली समस्याएं भी लाती हैं। वे लोगो के परंपरागत अधिवासों को विभक्त करने का कारण भी है
- पहाड़ो में सड़क निर्माण से वनों का नाश, भूस्खलन और कटाव हो सकता है, जैसा कि हिमालय और पश्चिमी घाट के कई हिस्सों में सड़क निर्माण के दौरान देखा गया है।
- इन सड़को पर वाहनों के टकराने से लाखों पशु भी मारे गए हैं।
- विद्युत लाइनों से भी असंख्य वन्य जीव मारे गए हैं।
- पेड़ों और जंगलों की कटाई के कारण यहाँ रहने वाले जानवरों को सड़क पार करनी पड़ती है या वृक्ष कुंज के बीच के रिक्त स्थान (कैनोपी गैप)को पार करने के लिए वे बिजली के तार का उपयोग करने पर मजबूर होते हैं, जिससे उनपर बिजली और सड़क से मृत्यु की दोहरी मार पड़ती है।
- रैखिक परियोजनाएं अपने वास्तविक क्षेत्र से कई गुना ज्यादा क्षेत्र को प्रभवित करती हैं, क्योंकि नकारात्मक ' एज इफ़ेक्ट ' की वजह से परियोजना के दोनों तरफ प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक किलोमीटर की सड़क ,आसपास के आवास में ,कम से कम 10 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित करती है।

आगे के लिए विकल्प

- अगर रैखिक बुनियादी सुविधाओं को वैज्ञानिक तरीकों से, पारिस्थितिकी संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए और अच्छी तरह से तैयार किया जाता है ,तो यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ आवास की रक्षा भी कर सकती हैं।

VISION IAS

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 2011 में रैखिक परियोजनायों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया था, जिसे दिसंबर 2014 में संरक्षित क्षेत्रों में सड़कों के लिए दिशा-निर्देशों में आंशिक रूप से शामिल किया गया।
- दिशा-निर्देशों ने 'बचने' के सिद्धांत' को प्रधानता दी है, जिसके अनुसार जहाँ तक हो सके रैखिक परियोजनायें ,वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों और मूल्यवान प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में ना बनाकर कहीं और बनाना चाहिए जिससे इनमे बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही गांवों और कस्बों के संपर्क में वृद्धि करने वाली परियोजनाओं को वन्य जीवन से संबद्ध क्षेत्र में ना बनाकर, उनके बाहर से बनाना चाहिए।

पर्यावरण मंत्रालय के हाल के आदेश

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, धीरे-धीरे इस तरह की परियोजनाओं के लिए मानदंडों को आसान कर रहा है। केंद्र सरकार ने पेड़ों की कटाई जैसी गैर-वन गतिविधियों को मंजूरी देने के साथ, रैखिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी को आसान बनाया है।
- यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के विपरीत है, जिसके अनुसार मंजूरी देने के दो चरण हैं :
- पहले चरण में प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति होनी चाहिए। इस स्तर पर आवश्यक धन की उपलब्धता और जितने वन क्षेत्र को परियोजना के माध्यम से क्षति पहुचेगी, उसके बराबर वनीकरण से संबद्ध प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है ।
- दुसरे चरण में, राज्य सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद औपचारिक मंजूरी प्रदान की जाती है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार के अंतिम आदेश के बिना वन क्षेत्र में कोई भी गैर-वन गतिविधि नहीं होगी।
- ट्रिब्यूनल ने निर्देश जारी किये हैं कि इस तरह के आदेश को वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- वन क्षेत्र में गैर-वन गतिविधि के उपयोग की मंजूरी केवल राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत दी जा सकती है।

केंद्र सरकार का तर्क

- केंद्र सरकार ने कहा है कि सड़क, रेलवे लाइन, बिजली लाइन, पाइपलाइन जैसी रैखिक परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए मानदंडों का सरलीकरण आवश्यक है ।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन, प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने, उनसे निपटने तथा उनके जोखिम को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों की श्रंखला का एक भाग है ।

- सम्मेलन में प्राकृतिक आपदाओं से अधिकाधिक लोगों के प्रभावित होने की प्रवृत्ति पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर से सरकारी अधिकारी, गैर-सरकारी विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। तीसरा सम्मेलन सेंडाइ, जापान में 2015 में आयोजित किया गया था।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रथम विश्व सम्मलेन 1994 में आयोजित किया गया था, जबकि 2005 में द्वितीय विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमे 2005-2015 के लिए "ह्योगो फ्रेमवर्क" अपनाया गया था।
- सम्मेलन में औपचारिक रूप से ह्योगो फ्रेमवर्क (2005-2015) का स्थान लेने वाले समझौते को अपनाया गया। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2015-2030) के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सेंडाइ फ्रेमवर्क

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2015-2030) पर सेंडाइ फ्रेमवर्क, सेंडाइ जापान में आयोजित 2015 के सम्मेलन का नतीजा है। सेंडाइ फ्रेमवर्क ने कार्रवाई के लिए चार विशिष्ट प्राथमिकताओं को बताया है:

- आपदा जोखिम को समझना;
- आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत बनाना;
- लचीलेपन(रेजेलिएंस) के लिए ,आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्रियाओं में निवेश;
- आपदा के बाद पुनर्वास, पुनर्स्थापन व पुनर्निर्माण हेतु, बेहतर प्रतिक्रिया के माध्यम से पहले से भी बेहतर परिस्थितियों का सृजन करने के लिए, आपदा तैयारियों को बढ़ाना।

सेंडाइ फ्रेमवर्क के परिणाम और लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वैश्विक प्रगति का आकलन करने के लिए सात वैश्विक लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की गई है:

- 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर को उल्लेखनीय स्तर तक कम करना; 2005-2015 की तुलना में 2020-2030 के बीच प्रति 1,00,000 की जनसँख्या पर ,आपदाओं के कारण होने वाली मौतों के औसत में कमी करना ;

VISION IAS

- 2030 तक विश्व स्तर पर प्रभावित लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी करना; 2005-2015 की तुलना में 2020-2030 के बीच प्रति 1,00,000 जनसँख्या पर वैश्विक औसत को कम करने का लक्ष्य,
- 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आपदा के कारण प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को कम करना;
- 2030 तक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के बाधित होने को , उनकी प्रतिक्रिया शक्ति के विकास के माध्यम से ,आपदा क्षति को काफी हद तक कम करना;
- राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों वाले देशों की संख्या में 2020 तक वृद्धि;
- विकासशील देशों को पर्याप्त और सतत सहयोग के माध्यम से 2030 तक फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु उनके राष्ट्रीय प्रयासों को सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करना;
- 2030 तक अधिकाधिक लोगों को बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली से संबंधित करना होगा । आपदा जोखिम के आंकलन तथा इससे संबंधित जानकारी की उपलब्धता और इस तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि।

ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन

कार्यवाही के लिए ह्योगो फ्रेमवर्क (2005-2015) 2005 में जापान के कोबे में आयोजित सम्मेलन का परिणाम था। ह्योगो फ्रेमवर्क ने कार्य के लिए पांच विशेष प्राथमिकताएं तय की थी:

- आपदा जोखिम में कमी को प्राथमिकता देना;
- जोखिम की जानकारी और पूर्व चेतावनी में सुधार;
- सुरक्षा और लचीलेपन की संस्कृति का निर्माण;
- प्रमुख क्षेत्रों में जोखिम को कम करना;
- प्रतिक्रिया के लिए तैयारियों को मजबूत बनाना।

गाँधी शांति पुरस्कार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को वर्ष 2014 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है।

1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह अहिंसक तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है

इसरो का योगदान

- इसरो अपने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत आर्थिक विकास के लिए उपग्रह आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक गतिविधियों के बेहतर संपर्क के माध्यम से राष्ट्र के विकास में योगदान देता है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसरो ने कृषि भूमि और जल विभाजक क्षेत्रों में मानचित्रण सुधार, मछुआरा समुदायों को परामर्श प्रदान करना, विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए सूचना प्रदान करना, धरोहर स्थलों का डेटा बेस तैयार करना आदि के साथ-साथ बेहतर जलवायु और आपदा प्रबंधन में मदद और ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा दिया है।
- इसरो ने टेली-चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को भी बढावा दिया है। इसमें इनसैट प्रणाली के उपग्रह द्वारा ग्रामीण अस्पतालों को जोड़ा जाता है, जिससे ग्रामीण आबादी को उच्च चिकित्सा परामर्श मिलता है।

स्टीफन हॉकिंग

- ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ,अपने नाम का ट्रेडमार्क करवा रहे हैं, अब वे जेके राउलिंग और डेविड बेखम जैसी हस्तियों की श्रेणी में शामिल हो जायेंगे, जिन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड में बदल लिया है।
- "दी थ्योरी ऑफ़ एव्रीथिंग" नामक ऑस्कर विजेता फिल्म स्टीफन हॉकिंग पर आधारित थी। स्टीफन हॉकिंग द्वारा अपने नाम को ट्रेडमार्क करवाने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के "अनुचित" उत्पादों में अपने नाम के दुरुपयोग को रोकना है।
- यह ट्रेडमार्क कंप्यूटर गेम, मशीनी व्हीलचेयर, बधाई कार्ड और स्वास्थ्य देखभाल को समाविष्ट करेगा।

शनि ग्रह के चंद्रमा - टाइटन पर स्थित तैलीय समुद्र में रोबोट पनडुब्बी

- अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शनि के चंद्रमा टाइटन के तेल समुद्र में एक रोबोट पनडुब्बी भेजने का प्रस्ताव दिया है। ये समुद्र पानी से नहीं, बल्कि मीथेन और ईथेन जैसे हाइड्रोकार्बन से भरे हैं। ये पदार्थ वहां पर 180 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद हैं
- टाइटन गहरी जमी हुई पृथ्वी के समान दिखता है जो इसे अन्वेषण के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है।
- यह योजना "नासा उन्नत अभिनव अवधारणा" (NIAC) द्वारा वित्त पोषित है, जिसमे शोधकर्ताओं को कुछ अलग सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूरोपीय ह्युजेंस प्रोब नामक रोबोट ने टाइटन की सतह को 2005 में छुआ था।

मार्श ऑर्बिटर मिशन (MOM) अर्थात मंगलयान

VISION IAS

- मार्श ऑर्बिटर मिशन ने 24 मार्च को मंगल ग्रह की परिक्रमा के छः महीने पूरे कर लिए। इसे छह महीने के कार्य के लिए डिजाइन किया गया था।
- मंगलयान 8 जून से 22 जून तक, 15 दिन की "अंधकार" या ग्रहण की स्थिति में रहेगा तथा इस दौरान पृथ्वी से इसका संपर्क टूट जायेगा क्योंकि पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच सूर्य आ जायेगा।
- इस अवधि के दौरान यान को स्वायत्त मोड में अपने फैसले खुद लेने हैं और इस दौरान ये अधिक ईंधन की खपत करेगा। यह आगे कितने समय तक काम करेगा और कितना ईंधन बचेगा यह इस चरण पर निर्भर करेगा।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के द्वारा मंगलयान की अवधि को लाल ग्रह और उसके वातावरण का पता लगाने के लिए अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
- चूंकि 1340 किलो वाले मंगलयान के पास पर्याप्त ईंधन (37 किलो) है अतः इसके मिशन को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

'मैत्री' परियोजना

- रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' और फ्रांस की MBDA द्वारा कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसआर-एसएएम) के सह-विकास के लिए 'मैत्री' परियोजना को मंजूरी दी।
- थल सेना और वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह परियोजना 2007 से चल रही है।

MBDA के साथ समझौता ज्ञापन (MOU)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' ने 2013 में MBDA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे परंतु DRDO द्वारा विकसित 'आकाश' मिसाइल प्रणाली भी इसी तरह का कार्य करती है, इसलिए इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।
- थल सेना और वायु सेना ने 'आकाश' की क्षमताओं के साथ संतोष व्यक्त किया है, लेकिन नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि 'आकाश' युद्धपोतों के लिए उपयुक्त नहीं है।

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class:I
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE/ONLINE
Classes also available
www.visionias.in

- INTERACTIVE AND INNOVATIVE WAYS OF TEACHING
- ONLINE ACCESS TO STUDY MATERIAL, TESTS & PERFORMANCE INDICATORS
- CONTINUOUS ASSESSMENT THROUGH ASSIGNMENTS AND ALL INDIA TEST SERIES
- INDIVIDUAL GUIDANCE

40+ Selections in top 100
400+ Selections in CSE 2014

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015

Enroll into innovative Assessment System from the leader in Test Series Program

- General Studies
- Geography
- Philosophy
- Essay
- Sociology
- Psychology
- Public Administration

All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion

Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015

For Civil Services Mains Examination 2015

Starts : 7th Sep

CSE 2013

200+ Selections in CSE 2013

GAURAV AGRAWAL
Rank-1

CSE 2014

NIDHI GUPTA
Rank-3

VANDANA RAO
Rank-4

SUHARSHA BHAGAT
Rank-5

OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR

ETHICS MODULE

- By renowned faculty and senior bureaucrats
- 25 Classes
- Regular Batch

Starts : 15th Sep

www.facebook.com/visionias.upsc
www.twitter.com/Vision_IAS

DELHI:
- HEAD OFFICE: 1/8-B, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro
- Rajinder Nagar Centre: 78, 1st Floor, Old Rajinder Nagar, Near Axis Bank
- 103, 1st Floor B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar

Contact : - 9650617807, 9717162595, 8468022022

JAIPUR:
- Ground Floor, Apex Mall, Jaipur, Rajasthan Contact :- 9001949244, 9799974032

HYDERABAD:
- 1-10-140/A, 3rd Floor, Rajamani Chambers, St. No.8, Ashok Nagar, Telangana - 500020. Contact :- 9000104133, 9494374078, 9799974032

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS